राजस्थान विधान सभा

अष्टम बैठक, दिनांक ११ सितम्बर, १९५३

(सदन का कार्य प्रात: ८ बज कर ३७ मिनिट पर प्रारंभ हुआ)

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०० (३०।सी.एम.)

(श्री तनसिंह द्वारा श्री खेतसिंह का प्रश्न पूछा गया)

Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether the integration of the Rajasthan Secretariat is complete or still provisional ?

(b) If still provisional, when is the Government going to finalise it ?

(c) Whether the Government is aware of the inefficiency and lethargy which have crept in, on account of unintelligent handling of the question of secretariat integration ?

(d) Whether the Government is prepared to conduct an enquiry into this scandal and penalise the official or officials responsible ?

(e) If the integration is final, how does the Government propose to solve the legitimate grievances of most of the staff and when ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—The question is by Shri Khet Singh.

श्री अध्यक्ष— He has delegated his authority to Shri Tan Singh.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) The integration of Rajasthan Secretariat has been completed.

(b) This question, in view of reply (a) above, does not arise.

(c) No.

(d) This question does not arise in view of reply to (c) above.

(e) The representations received from the aggrieved staff of the Secretariat are under consideration of the Government and will be disposed of in due course.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--विरोधी पक्ष की ओर से और जनता के दूसरे नुमाइन्दों की तरफ से क्या गवर्नमेंट के ध्यान में ऐसा नहीं लाया गया कि सेक्रेटेरियट में और दूसरे विभागों में लेथार्जी या नेग्लीजेन्स आगई है ?

श्री जयनारायण व्यास--मैं समझता हूं कि अगर ध्यान में नहीं लाया गया है तो उनके ध्यान में नहीं लाया गया है जो कि सेक्रेटेरियट में लेथार्जी (lethargy) की बात कहते हैं। थोड़ी बहुत लेथार्जी हो सकती है ।

श्री जसवन्तसिंह--कौन कौन से महकमें में लेथार्जी हो सकती है और किसके लिये मुख्य मंत्री को डाउट है ।

श्री जयनारायण व्यास--ज्यादातर आंपोजिशन में हो सकती है। डिपार्टमेंट में कोई लेथार्जी नहीं है । ज्यादातर व्यक्तियों में लेथार्जी होती है ।

श्री जसवन्तसिंह--लेथार्जी का मतलब यहां तंग किया जाना है तो यह दूसरी बात है ।

श्री जयनारायण व्यास--पूरी डिटेल्स में नहीं ले रहा हूं ।

श्री जसवन्तसिंह--अगर वे चाहते हैं तो यह दूसरी बात है, किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि सेक्रेटेरियट के कौन कौन से डिपार्टमेण्ट में लेथार्जी है ?

श्री जयनारायण व्यास--डिटेल्स में मैं नहीं गया हूं, आंपोजिशन भले ही गया हो ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट । श्री खेतसिंह ।

प्रश्न संख्या १०१ (३१ सी.एम.)

(श्री तनसिंह द्वारा श्री खेतसिंह का प्रश्न पूछा गया)

Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether the present working strength of the Rajasthan Secretariat is over and above what was suggested in the Swaminathan Report and later on accepted by the Government ?

(b) Whether the Government is now prepared to revise the strength of the Secretariat, keeping in view the actual strength ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--(a) The present strength of the Secretariat does not exceed that suggested in the report of Shri Swaminathan excepting the following cases :—

(1) Stenographers 10

(These could not be relieved because of the increasing volume of work).

Page No.3

[श्री जयनारायण व्यास]

(2) Officers 4

(The excess is due to the fact that no account was taken in the report of the posts of Budget Officer, Accounts Officer, Assistant Legal Remembrancer and Registrar. These posts have been found to be essential.)

(b) The present ministerial strength :

Superintendents	..	27
Upper Division Clerks	..	163
Lower Division Clerks	..	243

is not adequate even as per the Shri Swaminathan's report. Increase in the volume of work since the examination by Shri Swaminathan is necessitating the increase of strength by 5 Upper Dn. Clerks, and 22 Lower Dn. Clerks. The matter is under the consideration of the Government.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—स्टेनोग्राफर्स के बारे में क्या स्वामीनाथन् के जाने के बाद में कमी महसूस की गई या पहले भी ?

श्री जयनारायण व्यास—स्वामीनाथन् के जाने के पहले भी और बाद में भी वॉल्यूम ओफ वर्क बढ़ गया था ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—किन किन कामों में वॉल्यूम ओफ वर्क बढ़ गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि स्टेनोग्राफर्स के बारे में सवाल पूछा गया था, डिक्टेट कराने के काम में ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया था ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या नया मंत्री मंडल जो आया है उसको डिक्टेट कराने की अधिक आवश्यकता पड़ती है ?

श्री जयनारायण व्यास—मंत्री मंडल को भी डिक्टेट कराने की ज्यादा आदत हो सकती है, अगर दिलचस्पी ली जाय तो; वैसे सेक्रेटेरियट में भी आदत पड़ गई है। काम ज्यादा बढ़ गया है और इसी दृष्टि से स्टेनोग्राफर्स को रिटेन किया गया है ।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतावेंगे कि हर एक मिनिस्टर के पास पर्सनल असिस्टेन्ट और प्राइवेट सेक्रेटरी रखे गए हैं, तो क्या उनको रखना जरूरी है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सवाल पैदा ही नहीं होता है, रखते हैं तो जहां जरूरी होते हैं वहीं रखे जाते हैं ।

Page No.4

श्री जसवन्तसिंह—स्वामीनाथन् ने कितने डिप्टी सेक्रेटरीज् की स्ट्रेन्थ तय की थी ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं बता देता हूं ।

श्री जयनारायण व्यास—स्वामीनाथन् रिपोर्ट के पहले १३ डिप्टी सेक्रेटरियों की स्ट्रेन्थ थी । इसके बाद में काम, जो कि कितनी फाइलें आई कितने कागज गये, इस बेसिस पर मुकर्रर किया जाता है। इस हिसाब से १३ से ७ करके देखे गये, पर इससे काम नहीं चला । तब तीन और बढ़ाये गये और आज १० डिप्टी सेक्रेटरी हैं जो कि पहले से अब भी तीन कम हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—स्वामीनाथन् की रिपोर्ट में क्या सेक्रेटरीज का काम करने का सवाल नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं समझ सकता कि किस सेक्रेटरी से ताल्लुक है ?

श्री कानसिंह—स्वामीनाथन् की रिपोर्ट में राजस्थान के लिये जो स्टाफ नियत किया गया है क्या उसको नियत करते समय अन्य रियासतें, जैसे मध्यभारत, बंगाल, मध्य प्रदेश आदि स्थानों के कम्पेरेटिव आंकड़े देखे हैं और कम्परेटिवली हमारे यहां कितना ज्यादा स्टाफ और खर्चा दिखाया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रश्न साफ नहीं है ।

श्री कानसिंह—राजस्थान में जो स्टाफ और उसका खर्चा दिखाया गया है वह अन्य प्रदेशों से कितना ज्यादा दिखाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—ये कम्पेरेटिव फिगर्स पूछते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे पास मध्यभारत आदि प्रदेशों के कम्पेरेटिव फिगर्स तो इस समय नहीं हैं, पर यह अवश्य है कि इन सबको देखकर ही स्वामीनाथन् ने अपने सुझाव दिये हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—डिप्टी सेक्रेटरीज और असिस्टेन्ट सैक्रेटरीज जो हैं, क्या उनके पास काफी काम है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ऐसा ख्याल है कि डिप्टी सेक्रेटरियों के पास काफी से ज्यादा भी काम है और जितना वक्त देना चाहिये उससे भी ज्यादा वक्त उन्हें देना पड़ता है ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—तब क्या यही कारण है कि एक एक सेक्रेटरी की अकसर शिकायतें जनता के पास से आई हैं कि उनके मामलों के कई कागज पांच पांच, छे-छे महीने तक पड़े रहते हैं और उनकी सुनवाई महीनों तक नहीं होती है। इन मामलों में अगर ढिले होती है तो काम उनके पास ज्यादा होने की वजह से होती है ?

Page No.5

श्री जयनारायण व्यास--अगर कभी डिले (Delay) होती है तो काम ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है और इस वजह से भी कि कागज मुकम्मिल नहीं हो पाते क्योंकि कागज एक ही जगह से डिसपोज आफ नहीं होते, उनका ताल्लुक दूसरे २ विभागों से और स्थानों से भी होता है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--क्या कागजों का मुकम्मिल नहीं होना, यह साबित नहीं करता कि यह भी स्टाफ की इनएफीशियेन्सी (Inefficiency) के कारण होता है।

श्री जयनारायण व्यास --यह इनएफिशियन्सी नहीं है।

प्रश्न संख्या १०२

श्री तेजपाल--क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) बयाना सर्किल के फोरेस्ट अफसर तथा स्टाफ के खिलाफ अब तक सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(२) उनमें से कितनी की जांच सरकार ने कराई है ?

(३) जांच का क्या नतीजा निकला है ?

(४) यदि शिकायतें ठीक निकली हैं तो क्यों नहीं अब तक ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)--बयाना सर्किल के फोरेस्ट अफसर तथा स्टाफ के खिलाफ जो शिकायतें की गई हैं, उन सब की जांच कराई गई और जांच करने के बाद शिकायतें ठीक प्रमाणित नहीं हुई, इसलिए कार्यवाही करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री तेजपाल--क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि जिनके खिलाफ शिकायत थी और उसकी जांच के लिए उन्हीं से पूछा गया है तो ऐसी सूरत में क्या वह आशा कर सकते थे कि सही रिपोर्ट मिल सकती है ?

श्री अमृतलाल यादव--जी, ऐसा नहीं है। रेंजर के ऊपर डी. एफ. ओ. होता है और उसी से जांच करवाई गई थी। डी. एफ. ओ. हैड आफिसर होता है और उसी के मातहत कई रेंजर रहते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा--क्या जांच कराते समय यह नहीं कहा गया था कि इस अधिकारी से नहीं किसी दूसरे अफसर से जांच कराई जानी चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव--यह नहीं बताया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--इसमें कितनी शिकायतें थीं, यह नहीं बताया गया ?

श्री अमृतलाल यादव--जितनी भी हों।

Page No.6

श्री सन्तोषसिंह—ये शिकायतें किस किस किस्म की थीं, यह तो बता सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—एक दो किस्म में बता सकता हूं। वहां पर घास की चराई पर पुच्छी टैक्स लगता है यानि पुच्छी का मतलब है प्रति मवेशी और प्रति मवेशी वहां एक आना या दो आना जो भी होता है टैक्स लगता है। यह पुच्छी टैक्स बहुत पहले से चला आ रहा है, पर वह टैक्स वसूली के वक्त लोगों ने दिया नहीं जोकि एक साल का और दो-दो साल का भी बाकी था। इसमें कुछ सख्ती वगैरह हुई। इस पर कुछ शिकायतें हुई कि हमसे इस साल वसूली हुई है। पर जब जांच की गई तो मालूम हुआ कि यह तो एक साल पहले और दो साल पहिले ही लग चुका था।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु—मैं पूछ रहा हूं गिनती क्या थी ?

श्री अमृतलाल यादव—गिनती मुझे ठीक नहीं मालूम।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—यह पुच्छी टैक्स क्या चीज है ?

श्री अमृतलाल यादव—जैसा मैंने अपने उत्तर में अर्ज किया था पुच्छी होती है गाय-बैल आदि जानवरों की पूंछ। गांव की भाषा में पुच्छी का मतलब लिया जाता है प्रति मवेशी।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या वह पूंछ गिनने में इस्तमाल लेते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां। उनमें जो गिनती होती है वह पूंछ से करते हैं और कहते हैं कि एक मवेशी एक पूंछ के पीछे हुआ।

श्री अध्यक्ष—जैसे आंख-कान दो होते हैं, नाक एक होता है।

श्री जसवन्तसिंह—अगर किसी गाय की पूंछ कटी हुई होती है तो उसको भी गिनती में लेते हैं या नहीं ?

श्री तेजपाल—मैं इस बात की भी जानकारी लेना चाहता हूं कि रास्ते निकलने वालों को भी परेशान किया गया, उसके बारे में आपका क्या जवाब है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप सारे मामले को देख जाएं तो इससे आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा।

श्री कानसिंह—जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया जांच कराई गई, वह जांच किस अफसर द्वारा कराई गई ?

श्री अमृतलाल यादव—अभी मैंने अर्ज किया कि जांच डी. एफ. ओ. द्वारा कराई गई जो कि रेंजर के ऊपर का ऑफिसर होता है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, श्री लालूराम।

Page No.7

प्रश्न संख्या १०३

श्री लालूराम—क्या वाणिज्य व उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) टौंक जिले में जिनिंग फैक्ट्रीज कितनी हैं ?

(२) उनमें से कितनी चालू हैं और कितनी बन्द हैं ?

(३) जो बन्द हैं उनको सरकार चालू क्यों नहीं करती ?

श्री कुम्भाराम आर्य (वाणिज्य व उद्योग मंत्री)—

(१) सात।

(२) एक के सिवाय सभी सीजन में चालू थीं।

(३) जो बन्द है उसे भी पुनः चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४

श्री भैरूंसिंह बरकाना (डि० नं० १२)—क्या मंत्री, उद्योग तथा व्यवसाय विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(अ) क्या यह सत्य है कि गांवों से हड्डियां ठेकेदारों के मार्फत बाहर भेजे जाने की नीति सरकार द्वारा अपनाई गई है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर "हां" में है तो क्या सरकार इस बात की जानकारी रखती है कि इससे गांवों के खाद में कमी हो रही है तथा इस का असर उपज पर पड़ रहा है ?

(स) 'ब' में इंगित कमी की पूर्ति सरकार किस प्रकार करना चाहती है ?

(द) क्या सरकार जानती है कि हड्डी के व्यवसाय में ठेकेदारी प्रथा के घुसने से अनेक हरिजनों की रोजी मारी जा रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (मंत्री, उद्योग तथा व्यवसाय विभाग)—(अ) यह सत्य नहीं है कि हड्डियों के ठेके हड्डियों के बाहर भेजने के लिये दिये गये थे। ये ठेके उन हड्डियों के कारखाने वालों को दिये गये थे जो उन हड्डियों को पीसते हैं। ये ठेके अब रद्द कर दिये गये हैं और सारे राजस्थान में ठेके देने के नये तरीके पर सरकार विचार कर रही है।

(ब) राजस्थान में खाद की कमी नहीं है। इसके विपरीत राजस्थान में कई कारणों से हड्डियों की खाद का प्रयोग करना प्रचलित नहीं है। पूरी हड्डियां खाद के काम में नहीं लाई जा सकती हैं, उन्हें पीस कर काम में लाने से वे दो-तीन साल बाद फल देती हैं। इसलिए गांवों से हड्डियों को बाहर पीसने के लिये भेजने से खाद में कमी नहीं पड़ सकती है पीसी हुई हड्डियां गांववालों को हर वक्त उपलब्ध हो सकती हैं।

Page No.8

[श्री कुंभाराम आर्य]

(स) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ड) सरकार हरिजनों की रोजी के बारे में सदैव ध्यान रख रही है । जबकि दूसरे व्यक्तियों से १२ आने प्रति मन रोयल्टी ली जाती है तो हरिजनों से सिर्फ ८ आने प्रति मन लिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त हड्डियों से सम्बन्धित हर प्रश्न पर हरिजन कोओपरेटिव संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है । हरिजनों द्वारा हड्डियां इकट्ठी करने की रोजी में कोई खास परिवर्तन होना नहीं पाया जाता । हड्डियों का उपयोग बढ़ने से हरिजनों को लाभ ही है ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु--क्या गंगानगर जिले में किसी हरिजन को ठेके दिये गये ?

श्री कुम्भाराम आर्य--इससे सम्बन्ध नहीं रखता यह प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष--Order' ! Order !! The member who tabled the question has prior right to put supplementary questions ?

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--Sir, he should be vigilent.

श्री अध्यक्ष--He is there. He has caught my eyes.

श्री भैरूंसिंह बरकाना--पाली जिले में क्या ऐसे ठेके दिये गये हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य--इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री भैरूंसिंह बरकाना--इन हड्डियों के ठेके क्या माननीय मंत्रीजी देते हैं या नीचे के अधिकारी देते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य--इसके लिए आपको कानून पढ़ना चाहिये ।

श्री भैरूंसिंह बरकाना--आप पढ़े हुए हैं, आप ही बता दीजिये ।

कुं० जसवन्तसिंह--Is this the reply ?

श्री अध्यक्ष--This was not the proper question.

कुं० जसवन्तसिंह--They do not understand.

श्री अध्यक्ष--That was no question.

श्री जयनारायण व्यास--This is a question of procedure.

श्री अध्यक्ष--They can seek information on the factual basis.

प्रश्न संख्या १०५ तथा १०६

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७

श्री तेजपाल--क्या पुनःस्थापन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला भरतपुर में मेवों को जो जमीन दी जा रही है, क्या वह उसी तहसील (जि० भरतपुर) वालों को दी जा रही है जिन तहसीलों के वे निवासी हैं? अगर दूसरी तहसीलों में दी गई, तो क्यों ?

(२) सरकार का कुछ ऐसा नियम है कि जमीन उस स्थान से तीन मील की दूरी पर दी जा सकती है जहां के कि वे निवासी हैं। फिर क्या कारण है कि दस और पन्द्रह मील की दूरी पर जमीनें दी जा रही हैं ?

(३) इस प्रकार जमीन जो दी गई हैं क्या सरकार उसको वापिस लेकर वहां के भूमिहीन काश्तकारों को देने के लिए सोच रही है? यदि सोच रही है तो कब तक ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—जिला भरतपुर के मेवों को जो जमीन दी जा रही है वह उन्हीं के द्वारा छोड़ी हुई जमीन है। सरकार इस बात के लिए, जहां तक हो सकता है, मेवों की जो ओरिजिनल होल्डिंज हैं (Original holdings) हैं, जो खेत कुए होते हैं वही देने का प्रयत्न करती है। अगर वह अवेलेबल नहीं होती है तो तीन मील या पांच मील के एरिया में जितनी नजदीक जमीन मिल सके देती है। इसके अलावा यदि कोई ऑल्टर्नेटिव होल्डिंज न हो तो तीन मील के एरिया के आगे भी दे सकते हैं।

इस प्रकार जो जमीन दी गई है उसको वापिस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इवेक्यु प्रोपर्टी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) पर मेवों और शरणार्थियों का ही अधिकार होता है।

श्री तेजपाल—वहां के जो लोकल काश्तकार हैं और जो सदियों से वहां काश्त कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जहां तक इवेक्यु लेन्ड का सवाल है उस पर तो मेवों और शरणार्थियों का अधिकार है और उनसे जो जमीन बच जाती है उसके लिए पट्टा कमेटियां कायम करके जमीन को पट्टे पर उठाया गया है।

प्रश्न संख्या १०८

श्री भैरूसिंह बरकाना—क्या मंत्री, उद्योग तथा, व्यवसाय विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) अभी तक मधुमक्खी पालन के संबंध में क्या क्या कार्य हुए हैं और उनमें क्या सफलता मिली है ?

(ख) इस धन्धे के लिये कितने उत्साही व्यक्ति ट्रेन्ड कराये गये हैं ?

(ग) क्या सरकार जानती है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' व्यवस्था में मधुमक्खियां अधिक सहायक होती हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य (उद्योग मंत्री)—(क) इस व्यवसाय से सम्बन्धित एक योजना ५५,६२० रु० सालाना लागत की जुलाई मास में बनी है। निश्चित निर्णय लेने के पहले योजना पर विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। हाल ही में ७ सितम्बर को उत्तर प्रदेश के डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज से भी बातचीत हुई है और अक्टूबर में होनेवाली प्रदर्शनी के अवसर पर इस प्रश्न पर विस्तृत से विचार विनिमय करके शीघ्र ही निर्णय किया जावेगा।

(ख) इस विषय में उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण पाने के लिये एक विद्यार्थी को धन प्रदान किया गया था। उसने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।

(ग) अधिक अन्न उपजाओ व्यवस्था में मधुमक्खियां सहायक होती हैं। इस विषय में विशेषज्ञों के निर्णय से सरकार विज्ञ है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह— जो विद्यार्थी भेजा गया था वह किस कॉलेज में पढ़ता था ?

श्री कुम्भाराम—इसी विषय का कॉलेज था।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—वह कौनसे कॉलेज में पढ़ता था ?

श्री अध्यक्ष—ये संस्था का नाम जानना चाहते हैं।

श्री कुम्भाराम—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हिम्मतसिंह—किस जिले में यह काम शुरू करने की कोशिश की जायगी ?

श्री कुम्भाराम—जहां पर मधुमक्खियां मिल सकेंगी वहां पर।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह— कहां पर किस क्षेत्र में मधुमक्खियां ज्यादा मिलती हैं ?

श्री कुम्भाराम— जहां पर पहाड़ी और झाड़ियां अधिक होती हैं।

Page No.11

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--ऐसा कौनसा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ी या झाडियां अधिक होती हैं ?

श्री **कुम्भाराम**-- आप भूगोल पढ़िये ।

कुंवर श्री **जसवन्तसिंह**-- हम यह जानना चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब **को** भूगोल का ज्ञान कितना है ?

(विरोधी पक्ष से करतल ध्वनि)

श्री **मानसिंह महार**--विद्यार्थी को भेजने पर सरकार ने कुछ खर्च किया था ?

श्री **कुम्भाराम**--जी हां ।

श्री **मानसिंह महार**--क्या आप अन्दाज बता सकते हैं ?

श्री **कुम्भाराम**--आप इस प्रश्न को अलग से पूछियेगा ।

श्री **भैरूंसिंह बरकाना**--धंधा कब तक शुरू कर दिया जायगा ?

श्री **कुम्भाराम**--शीघ्र

श्री **मानसिंह महार**--'शीघ्र' की परिभाषा क्या है ?

श्री **कुम्भाराम**--वेगो वेगो ।

(हंसी)

श्री **सन्तोषसिंह कछवाहा**--उस विद्यार्थी का नाम-पता क्या-है ?

श्री **कुम्भाराम**--श्री कन्हैयालाल ।

श्री **सन्तोषसिंह**--मैंने पता भी पूछा है, किस जगह का है ?

श्री **अध्यक्ष**--आपके पास पूरा विवरण है तो दे दीजिये । This is a very relevant question. कहां का है, किस कॉलेज का कौन है ?

श्री **कुम्भाराम**--बाद में दिया जा सकता है ।

श्री **राज हिम्मतसिंह**--मिनिस्टर लोग बराबर तैयार होकर नहीं आते हैं, इसके लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री **अध्यक्ष**--Order, Order, Next.

प्रश्न संख्या १०६

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि खनिज विभाग का इण्टीग्रेशन हुए करीब तीन साल हो गये परन्तु अभी तक इस विभाग के स्टाफ का फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कुम्भाराम—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मानसिंह महार—इनका इन्टीग्रेशन कब तक हो जायगा ?

श्री कुम्भाराम—'ना' के जवाब से समझ लेना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—क्या इन्टीग्रेशन हुआ नहीं ?

श्री कुम्भाराम—हो गया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अगर इन्टीग्रेशन हो गया है तो अभी तक वहां के लोगों का फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ ? जब कि अन्य सर्विसेज का इन्टीग्रशन हो चुका है, इस विभाग का क्यों नहीं हुआ ?

श्री कुम्भाराम— अवश्य हो गया है।

श्री महार—क्या फिक्सेशन होगया।

श्री कुम्भाराम—हां।

श्री सन्तोषसिंह—इन्टीग्रेशन के कितने अर्से बाद फिक्सेशन हुआ करते हैं ?

श्री कुम्भाराम—यह तो विषय पर निर्भर है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या यह झूठ नहीं है कि फिक्सेशन होगया है ?

श्री कुम्भाराम—आपको बोलने की छूट है।

ी भैरूंसिह (डि. नं. १६) आपको भी झूठ बोलने की छूटी है।

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या ११०

श्री तेजपाल--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) भरतपुर जिले के सरकारी कार्यालयों में राजा-महाराजा तथा बादशाहों के चित्र क्यों लगे हुए हैं ?

(२) क्या सरकार इनको हटाये जाने की आज्ञा प्रसारित करेगी ?

(३) यदि करेगी, तो कब तक ?

श्री जयनारायण व्यास--सरकार ने पहले ही आज्ञा प्रसारित करदी है कि सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपिता के चित्रों के अतिरिक्त और कोई चित्र न लगाये जावें और यदि कोई लगे हुए हों तो उनको हटा दिया जावे ।

सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि भरतपुर जिले में किसी सरकारी कार्यालय में राजा-महाराजा या बादशाहों के चित्र लगे हुए हैं । फिर भी, इस मामले में कलेक्टर भरतपुर से रिपोर्ट मांगी गई है ।

श्री रोशनलाल--मुख्य मंत्री, राजस्थान जब दौरे पर जाते हैं तो क्या गेस्ट हाउस में वे चित्र देखते हैं या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास--यह आज्ञा इसीलिये तो प्रसारित की गई है ।

श्री रोशनलाल--यह आज्ञा कितने समय पूर्व प्रसारित की गई ?

श्री जयनारायण व्यास--थोड़े समय पूर्व प्रसारित की गई ।

श्री रोशनलाल--थोड़े समय पूर्व से आपका क्या मतलब है ?

श्री जयनारायण व्यास--मैंने कहा कि ठीक दिन या महीना याद नहीं ।

श्री श्री दास गोयल--जयपुर हाई कोर्ट में जो इस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं उनको भी हटाने की ओर मुख्य मंत्री ध्यान देंगे ?

श्री जयनारायण व्यास--मुझे चित्र का तो पता नहीं, फिर भी मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सब स्थानों पर लगाने के लिये महात्मा गांधी का चित्र अब तक तैयार नहीं हुआ; इसके लिये एक खास प्रकार का चित्र तैयार किया जा रहा है जो सब दफ्तरों में लगाया जायगा । जब तक चित्र तैयार न हो तब तक यह भी संभव है कि पहले के लगे हुए चित्र पड़े रहे होंगे । किन्तु अब आज्ञा जारी कर दी गई है और उस आज्ञा के अन्तर्गत हटा दिये जायेंगे ।

श्री कानसिंह--क्या किसी पार्टी के मुख्य व्यक्तियों का फोटो दफ्तर में लगाना सरकार आवश्यक समझती है ?

श्री जयनारायण व्यास—इससे यह आशय नहीं लगाना चाहिये।

श्री माधोसिंह (भंसवाड़ा)—इस आज्ञा के अन्तर्गत क्या जहां राजप्रमुख या महाराजप्रमुख के चित्र हैं उनको भी हटाया जायगा?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरूंसिंह—राजाओं के चित्र किस सिद्धान्त के अनुसार हटाये जा रहे हैं?

श्री जयनारायण व्यास—मैं किसी सिद्धान्त की चर्चा करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं।

श्री कानसिंह—किन किन पार्टियों के नेताओं के चित्र सरकारी दफ्तरों में लगाये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—आर्डर, ! आर्डर !!

श्री कंवरलाल जेलियो—आज तक जो चित्र लगे हुए हैं वे किस शर्त के आधार पर लगाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !!

प्रश्न संख्या १११

श्री जवानसिंह—क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—फोरेस्ट रेन्जर्स का कहां तक एकीकरण हुआ है और अगर नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—फोरेस्ट रेन्जर्स के एकीकरण के नियम सरकार के विचाराधीन हैं और पास होते ही उन पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री जवानसिंह—यह कब से सरकार के विचाराधीन है।

श्री यादव—पिछले थोड़े दिनों से।

श्री जवानसिंह—यह कब तक हो जायगी?

श्री यादव—बहुत जल्दी ही।

श्री जवानसिंह—"बहुत जल्दी" से क्या यह समझा जाय कि इसी साल?

श्री यादव—इसी साल नहीं जी, कुछ ही महीनों में।

श्री कानसिंह—क्या मंत्री महोदय की ४९ से ५३ तक ४ साल के अन्दर भी "जल्दी" की तारीख पूरी नहीं हुई?

श्री यादव—वह हो जायगी, महीने दो महीने में ही नहीं बल्कि एक महीने में ही।

श्री जवानसिंह--क्या इन्टीग्रेशन डिपार्टमेंट के समाप्त हो जाने के पश्चात् वन विभाग ही उनका एकीकरण करेगा ?

श्री यादव--नहीं, एक कमेटी है इकोनोमिक कमेटी (Economic Committee); उसमें वह रूल्स पास हो जाने के बाद में फोरेस्ट महकमा ही करेगा।

श्री जवानसिंह--क्या यह सही नहीं है कि फोरेस्ट के रेन्जर्स का सिलेक्शन काफी अर्से पहले हुआ था ?

श्री यादव--वह हुआ था लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की फोरेस्ट पोलिसी (Forest policy) है, जो मौजूदा नियम हैं और दूसरे यहां के एकीकरण के नियम हैं अन्य महकमों वगैरह में, उनके मुआफिक वह लिस्ट प्रोवीजनल बनाई जायगी। सरकार के वह विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह--क्या यह पहले जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें अनधिकार चेष्टा हो रही है ?

श्री यादव--पहले जो लिस्ट बनाई....क्या ?

श्री जवानसिंह--उसमें अनधिकार चेष्टा हो रही है ?

श्री यादव--जी नहीं, अनधिकार चेष्टा नहीं हो रही है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति पर वह एकीकरण हो जायगा।

प्रश्न संख्या ११२

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :--

(अ) श्री ओंकारलाल जोशी, सहायक संचालक, खनिज विभाग मोअत्तिल किये गये थे और उनके विरुद्ध सरकार ने जांच कराई थी ?

(ब) उन पर क्या क्या चार्ज लगाये थे और प्रत्येक चार्ज के संबंध में सरकार की जांच का क्या नतीजा रहा ?

(स) क्या उनके विरुद्ध नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९५१ में डबल टी. ए. बिल्स बनाकर भत्ते लेने का भी एक चार्ज था? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गई या नहीं और उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री कुम्भाराम आर्य (व्यापार एवं उद्योग मन्त्री)--(अ) हां।

(ब) श्री ओंकारलाल जोशी, सहायक संचालक, खनिज विभाग, जोधपुर पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए:--

(१) मजदूरों के निवास स्थान के लिये २४ झोपड़ियों के निर्माण संबंधी एक कृत्रिम ठेका, धन्ना के नाम पर, जो डेगाना की खानों पर काम करता है, स्वीकार किया तथा विभिन्न पार्टियों को, जिनसे

[श्री कुंभाराम आर्य]

उपरोक्त झोंपड़ियों के निर्माण हेतु, धन्ना मिस्त्री के नाम पर माल खरीदा गया था, पैसों का भुगतान करके सरकार के साथ विश्वासघात किया।

(२) बिना टेन्डर्स मांगे ही इन्होंने लगभग १५००) रु. की लागत की कुछ सागवान और शीशम की लकड़ी खरीद ली। इस लकड़ी के क्रय-विक्रय के संबंध में इन्होंने कोई हिसाब नहीं रखा। इसके अतिरिक्त इसके उचित रूप से प्रयोग में लाने हेतु भी इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया और कुछ लकड़ी इन्होंने अपने निजी काम में ली। इस प्रकार इन्होंने न केवल अनियमितता ही की, बल्कि अपने अधिकारों का भी दुरुपयोग किया।

(३) इन्होंने बिना टेन्डर्स मांगे तथा अपने दत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हुए २५८४।।।) के लागत के टायर और ट्यूब सर्व श्री राजपूताना आॅटोमोबाइल्स, जोधपुर, से खरीद लिये और अपने डिस्पेच रजिस्टर में इस संबंध में झूठा दाखिला भी करवाया।

(४) इसके द्वारा तीन मजदूरों को जिनके नाम चतुर्भुज, शंकर तथा गनेशी हैं डेगाना माइन्स एकाउन्ट्स पर नौकर रखा गया तथा उनको अपने मकान पर जो जोधपुर में है काम करने तथा अन्य दूसरे स्थानों पर कार्य करने का हुक्म दिया गया।

(५) बगैर टेन्डर मांगे ही उन्होंने मिट्टी हटाने का ठेका एक जोधा ठेकेदार को दिया। ठेका हजारों रुपयों का था तथा ठेके की स्वीकृति देना शक्ति के बाहर था। इस प्रकार उन्होंने अनियमितताओं के अतिरिक्त अपनी शक्ति से भी अधिक कार्य किया।

उपरोक्त आरोपों में से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

(स) श्री जोशी द्वारा टी.ए., डी.ए. दुबारा लेने की कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

श्री मानसिंह महार—Will not the Government be pleased to make any enquiry about it?

(हंसी)

श्री कुम्भाराम आर्य—जब कि कोई शिकायत ही नहीं है तो इन्क्वायरी कैसी?

श्री मानसिंहमहार—अगर इस प्रकार की शिकायत की जाय तो क्या सरकार इस पर कोई जांच करवायेगी?

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कोई दरख्वास्त देंगे तो करायेगी।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं हुआ।

Page No.17

श्री **कुम्भाराम आर्य**--सरकार २४ घंटे तैयार है ।

श्री **कानसिंह**--जो आरोप थे वह अदम सुबूत थे या अदम वकूआ ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--अदम सुबूत समझें या अदम वकूआ समझें, उनकी एन्क्वायरी हुई थी और वे साबित नहीं हुए ।

श्री **जसवन्तसिंह**--यह एन्क्वायरी किसके जरिये से करवाई गई ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--Through proper channel.

श्री **जसवन्तसिंह**--किस अफसर के द्वारा यह जांच करवाई गई ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--श्री रामदत्त शर्मा ।

श्री **जसवन्तसिंह**--श्री रामदत्त शर्मा का डेजिग्नेशन (designation) क्या है ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--एडीशनल कमिश्नर ।

श्री **जसवन्तसिंह**--किस डिविजन में ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--उस वक्त जोधपुर में थे ।

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**--क्या यह उनके परम मित्र थे ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--नहीं थे ।

श्री **मानसिंह महार**--When was Mr. Onkarlal Joshi re-instated ?

(हंसी)

श्री **अध्यक्ष**--वह रिइन्स्टेट (re-instate) कब हुए थे ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**--इसके निर्णय होने के बाद ।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट ।

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**--सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन (supplementary question) और है, साहब ।

माननीय मंत्री महोदय, ने जो आरोप बताये थे उसमें वह आरोप नहीं था, जो श्री एच.के.व्यास ने उनके एक पत्र का फोटो उनके दफ्तर में पेश किया था, जिनका सुबूत बिल्कुल साफ है ।

Page No.18

श्री कुम्भाराम आर्य—कौन सा ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—श्री एच.के.व्यास ने जो फोटो स्टेटमेंट उनका पेश किया था, उसका कोई चार्ज है उनके ऊपर ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इन्क्वायरी के कागजों में कोई सुबूत नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी भेजी गई जिसमें पहले उनको मोअत्तिल किया गया था और बाद में इन्क्वायरी हुई । उसमें क्लर्क के लिखने पर उनको दुबारा नौकरी में लगा दिया गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य—किसी क्लर्क ने दुबारा नहीं लगाया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अगर वह चिट्ठी आपको बता दें तो क्या गवर्नमेंट इन्क्वायरी करेगी?

श्री अध्यक्ष—जरूर, जरूर । This should be presumed.

एक सदस्य—क्या जो जांच करवाई गई, वह निष्पक्ष है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जो एन्क्वायरी कराई उसको सरकार निष्पक्ष मानती है ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जोधपुर की छीतर की तीन खानों के ठेके बगैर गवर्नमेंट से पट्टे लिये ही चली, जिसकी शिकायत हुई, पुलिस में केस हुआ । यह किस्म आरोप में नहीं था क्या ? इसको इसमें गिनाने की आवश्यकता नहीं थी क्या ?

(घंटी)

यह आरोप की बात है, आरोप नहीं लगाये हुए थे ।

श्री अध्यक्ष—आरोप सब तो दिये थे ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह आरोप नहीं बताया गया कि छीतर की खानें बगैर पट्टे के चाई गई ।

श्री कानसिंह—यह सब डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई, तो अदम वकुआ और अदम सुबूत का कोई जवाब नहीं दिया गया है । एक शिकायत के बारे में पुलिस को रिपोर्ट हो चुकी है, उसके बारे में अदम सुबूत है या अदम वकुआ है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैंने सुना नहीं ।

(हंसी)

Page No.19

श्री **कानसिंह**—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी आपने यह फरमाया था कि यह शिकायत डिपार्टमेंन्टल थी, इसलिये नहीं बतलाया जा सकता कि यह अदम वकुआ या अदम सबूत रही या नहीं ? लेकिन जैसा कि श्री संतोषसिंहजी ने एक शिकायत के बारे में बतलाया उसका क्या नतीजा रहा ?

श्री **कुम्भाराम**—मैं आपकी बात समझा नहीं ।

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !! इनका प्रश्न यह है कि जो इन्क्वायरी हुई और जो चार्जेज उन पर लगाये गये थे क्या वे निराधार थे जो साबित नहीं हो सके ।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—इसमें यह लिखा है कि साबित नहीं हुई ।

श्री **मानसिंह जमवा रामगढ़**—Is the Government prepared to hand it over to Anti- corruption Department.

श्री **अध्यक्ष**—Order ! Order !! next.

प्रश्न संख्या ११३

श्री **जवानसिंह**—क्या मंत्री वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट को एक्सटेन्शन मिलने वाली है ?

(ब) अगर हां, तो क्यों ?

श्री **अमृतलाल यादव (वन मंत्री)**—(अ) नहीं ।

(ब) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री **रोशनलाल**—उनका समय कब खत्म होता है ?

श्री **जयनारायण व्यास**—उनके समय के मुतल्लिक उनकी छुट्टी के मामले में कुछ गड़बड़ है, यदि वह छुट्टी उन्होंने जिस गवर्नमेंट से वे यहां आये हैं उससे ली है तो छुट्टी के बाद से उनका समय समझा जायगा । समझा गया तो उनका समय १० दिसम्बर को समाप्त होता है ।

श्री **हरिदेव जोशी**—यह मामला कब तय हो जायगा? क्या इसमें उनकी मियाद का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री **जयनारायण व्यास**—दो चार दिन में ही यह मामला तय हो जायगा ।

श्री **संतोषसिंह**—वे अब तक सर्विस में मौजूद हैं तो क्या वे मेडीकली फिट हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—यह सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री **कंवरलाल जेतिया**—क्या उनके स्थान पर नयी नियुक्ति हो गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—नई नियुक्ति तो नहीं हुई है पर उनके रिटायर होने पर उनके स्थान पर काम करने की व्यवस्था करदी जायगी ।

श्री कंवरलाल जेलिया—"व्यवस्था" का क्या मतलब है ?

श्री जयनारायण व्यास—इन्तजाम ।

श्री कंवरलाल जेलिया—इलजाम किस बात का ?

श्री जयनारायण व्यास—इलजाम नहीं, इन्तजाम ।

श्री कंवरलाल जेलिया—नई नियुक्ति कब होगी ?

श्री जयनारायण व्यास—नियुक्ति तब होती है जब कि पहला ग्रादमी चला जाता है । एक जगह पर दो ग्रादमियों की नियुक्ति नहीं होती ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इस स्थान के लिये बाहर से ग्रादमी ग्रायेगा या डिपार्टमेन्ट वालों में से किसी को चान्स दिया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न इस समय पैदा नहीं होता ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या किसी रिटायर्ड ग्रादमी को रखने का ग्रापका ध्यान है ?

श्री जयनारायण व्यास—हमारे ध्यान में सब कुछ हो सकता है, रिटायर्ड ग्रादमी को रखने की बात भी हो सकती है । लेकिन जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक किसी तरह की सूचना देना एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ग्रॉफ व्यू से ठीक नहीं होता ।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि नियुक्ति का हुक्म जारी हो गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—नियुक्ति का इन्तजाम ग्रन्दर का ग्रन्दर ही होता है पर हुक्म तभी निकलता है जब नियुक्ति हो जाती है ।

श्री जवानसिंह—मेरा प्रश्न यह था कि क्या नियुक्ति का हुक्म हो गया या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं इसका उत्तर देना ठीक नहीं समझता ।

प्रश्न संख्या ११४

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि भीलवाड़ा में भोडल, भीलवाड़ा क्षेत्र के ब्लॉक नम्बर ६ का ठेका पी.एल. राजगरिया को दिया गया है ग्रौर ठेका देने से पूर्व यह नोटीफाइड नहीं कराया गया ?

(२) यदि हां, तो नोटीफाई न कराने का क्या कारण है ?

Page No.21

श्री **कुम्भाराम आर्य**—(१) नहीं।

(२) कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री **मानसिंह**—क्या सरकार का इरादा इसे नोटिफाई करने का है ?

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री **संतोषसिंह**—प्रश्न उत्पन्न होने में कितनी देरी है ? (हंसी)

श्री **अध्यक्ष**—Order ! Order !! When the House meets.

श्री **कानसिंह**—क्या हिज मास्टर्स वाइस में बोले थे ?

प्रश्न संख्या ११५

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) खनिज विभाग के विरूद्ध आजकल न्यायालयों में कितनी नालिशें हो रही हैं ?

(ख) मुकद्दमों की मालियत क्या है ?

(ग) क्या सरकार किसी मुकद्दमें में यह समझती है कि सरकार की गलती के कारण वह मुकद्दमे दायर हुए है? यदि हां, तो उनके साथ फैसला करने के लिये क्या सरकार सोच रही है ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**—(क) खनिज विभाग के विरूद्ध कुल २८ मुकद्दमे भिन्न भिन्न अदालतों में चल रहे हैं।

(ख) इन मुकदमों की कुल मालियत २३०००) रु० के लगभग है।

(विराम)

मुकद्दमों की कुल मालियत २ लाख ३० हजार है, न कि २३ हजार।

श्री **जसवन्तसिंह**—आपकी नजर में २३ हजार और २ लाख ३० हजार में कोई फरक है या नहीं ?

श्री **कुम्भाराम**—इस फरक में चश्में की गड़बड़ थी।

श्री **जसवन्तसिंह**—तो फिर चश्मा लगाने की जरूरत ही क्या है ?

श्री **कुम्भाराम**—गड़बड़ है इसलिए।

श्री **मानसिंह** (जमुआँ रामगढ़)—What action does the Government intend to take for the loss it has to bear ?

(विराम)

Who is going to bear the loss-huge loss ; Officers concerned or the Government ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**—यह लोस किसी को नहीं हुआ।

श्री **अध्यक्ष**—It is in air.

प्रश्न संख्या ११६

श्री **धर्मपाल**—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) सन् १९५२ में कितने गजेटेड ऑफीसरों के तबादले एक डिविजन से दूसरे डिविजन में हुए ?

(ब) कितना रूपया इनके टी. ए., डी. ए., में खर्च हुआ ?

(स) क्या सरकार इतनी बड़ी रकम जो तबादलों में खर्च होती है, इसको बचाने का प्रयत्न कर रही है ?

(ड) क्या यह सच है कि एक-एक महीने में एक ही अफसर का ३-३ बार तबादला हो जाता है ?

(इ) अधिक से अधिक एक अफसर को एक स्थान पर कितने वर्ष रहने का नियम है ? (कृपा कर इस विषय पर प्रकाश डालिएगा)।

श्री **जयनारायण व्यास** (**मुख्य मन्त्री**)—जो सूचना मांगी गई है वह तुरन्त प्राप्त नहीं की जा सकती। तबादले जो किये जाते हैं वे जरूरत को देखकर और सब पहलुओं को दृष्टि में रखकर किये जाते हैं।

(ब) इसका उत्तर 'ना' में है।

(स) किस वक्त और कितने अर्से के बाद ट्रान्सफर्स किये जाने चाहियें, इसका खास नियम नहीं है।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या एक महीने में एक आदमी के १० ट्रान्सफर्स भी जरूरत देखकर किये जाते हैं ?

श्री **जयनारायण व्यास**—एक महीने में एक ही आदमी के १० ट्रान्सफर्स वैसे तो नहीं किये जाते हैं, लेकिन किसी खास वजह से एक महीने में १० ट्रान्सफर्स भी हो सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह--क्या एक महीने में एक ही अफसर दो-दो, तीन-तीन जगह तबदील हो सकता है ?

श्री जयनारायण व्यास--यदि कोई मिसाल देकर कहा जाय तो उसके बारे में भी प्रकाश डाला जा सकता है ।

श्री जसवन्तसिंह--क्या एक ही पोस्ट पर दो तीन अफसर भेजे जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--जब तक कोई ऐसी मिसाल नहीं देंगे तब तक कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा ।

श्री संतोषसिंह--जब किसी..............

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मोहब्बतसिंह--बांसवाड़ा म्युनिसिपेलिटी के एग्जिक्युटिव ऑफिसर की बदली मेड़ता की गई । मेड़ता में उसे दो रोज रखा गया और वहां से उसे टोंक भेजा गया और टोंक में उसे ३ दिन रखा गया और फिर उसका तबादला कर दिया गया, अब उसे सुजानगढ़ भेजा गया है ।

श्री संतोषसिंह--एक आर. टी. ओ. को जोधपुर से उदयपुर भेजा गया और जब वह उदयपुर पहुंचा तो वहां तार मिला कि उसको चार्ज मत दे । उसको चार्ज नहीं दिया गया और अब तक वह यों ही बैठा है ।

श्री जयनारायण व्यास--इसके लिये कोई कारण उत्पन्न हो गया होगा ।

श्री कानसिंह--एक बीकानेर में एस. डी. ओ. थे । वहां से उनको डीडवाना भेजा गया और डीडवाना वाला बीकानेर भेजा गया । बीकानेर में उसे चार्ज नहीं दिया गया और उसे वापिस डीडवाना जाना पड़ा ।

श्री जयनारायण व्यास--मेरे ध्यान में ऐसी घटना नहीं लाई गई । प्रमाण सहित आप यदि कहेंगे तो मैं इसके बारे में देखूंगा ।

श्री कानसिंह--क्या इस तरह की कार्यवाही आपके नोटिस में नहीं आती ?

श्री जयनारायण व्यास--मेरे ध्यान से आपके ध्यान में पहले आती है और शायद बढ़-चढ़ कर भी आती हैं ।

श्री मानसिंह--क्या आपको यह मालूम है कि जयपुर के आर. टी. ओ., का ट्रान्सफर यहां से किया था । उसे जोइनिंग टाइम भी दिया गया था, लेकिन उसे वापिस यहीं पर रख दिया ?

श्री जयनारायण व्यास--हर एक एस. डी. ओ., हर एक तहसीलदार, हर एक कस्टम रजक के तबादले की लिस्ट मेरे दिमाग में रखना संभव नहीं है ।

प्रश्न संख्या ११७

श्री **भैरूंसिंह बरकाना**—क्या मंत्री, उद्योग तथा व्यवसाय विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार बोन डाइजेस्टर सिस्टम प्रचारित करने का विचार रखती है ?

(ख) इस दिशा में अभी तक क्या कार्य हो सका है ?

श्री **कुम्भाराम आर्य** (उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री)—(१) बोन डाइजेस्टर के प्रचार का विषय कृषि विभाग से संबंधित है। यहां सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इस समय राजस्थान में हड्डियों को पीसने की ५ फैक्ट्रियां जयपुर, जोधपुर, गोसूंडा, कोटा, पावपलाना 'बीकानेर' में हैं, जो वैज्ञानिक खाद के रूप में प्रयोग करने के लिय हड्डियों का चूर्ण समस्त राजस्थान भर को दे सकने में समर्थ हैं। इसमें से फैक्ट्रियां अपने आप ही हड्डियों का चूर्ण बनाकर व अन्य रसायनों का योग करके या मिलाकर उच्चकोटि की वैज्ञानिक खाद तैयार कर रही हैं जो कि कुछ मात्रा में राजस्थान में भी प्रयोग की जा रही है। बोन डाइजेस्टर सिस्टम का प्रचार करने से यदि छोटे २ गांवों में बोन डाइजेस्टर लगाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आवे तो स्वीकृति मिलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(२) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 'क' के उत्तर में अंकित है।

श्री **भैरूंसिंह** (१२)—क्या पाली से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आई है ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**—मेरे नाम से कोई रिपोर्ट नहीं आई।

श्री **भैरूंसिंह** (१२)—आएगी तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री **कुम्भाराम आर्य**—जरूर, जरूर।

श्री **माधोसिंह** (६०)—क्या सरकार राजस्थान से बाहर जो खाद जा रही है उसको रोकने का प्रबन्ध करेगी। क्या राजस्थान के बाहर जाने से खेती को नुकसान होता है।

श्री **कुम्भाराम आर्य**—आप उसकी खपत की जिम्मेदारी लें।

प्रश्न संख्या ११७ ए

श्री **अर्जुनसिंह** (४)—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सच है कि चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट प्रेस की तनख्वाह से लगभग २५०) रु० वसूल किये जा रहे हैं ?

२. क्या उन्होंने रुपये चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर की हैसियत से नाजायज तौर पर खर्च किये थे ?

[श्री अर्जुनसिंह]

३. क्या यह सच है कि यह रुपया प्रेस के अन्दर ही गोदाम से प्रेस के छपाई के कमरे में रिमें ले जाने के लिये एक बैलगाड़ी करने में खर्च किया गया था ?

४. क्या इस प्रकार के और भी नाजायज खर्चे थे ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--(१) जी नहीं। लेकिन इफ्तखार अली जो पहले गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे और आजकल चीफ सुपरिन्टेंडेन्ट, प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी हैं उनसे २४०) रु० वसूल किये जा रहे हैं।

(२) हां, सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट प्रेस, जयपुर की हैसियत से था।

(३) हां।

(४) नहीं।

प्रश्न संख्या ११७ बी

श्री अर्जुनसिंह (वि. सं. ४)--क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

१. क्या यह सच है कि चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट, गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर ने कई ग्रुस चाकू जो कि अप्रूव किये गये नमूने के खिलाफ हैं और बमुकाबले खराब हैं ले लिये हैं ? और उनका पेमेन्ट भी कर दिया है ?

२. क्या इसकी जांच की गई है ? उस पर क्या कोई अनुशासन की कार्यवाही की गई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मेसर्स जनरल इक्विपमेंट मर्चेन्टस, दिल्ली का टेन्डर चाकू सप्लाई करने के लिये मंजूर किया गया था। नमूने के खिलाफ चाकू गवर्नमेन्ट प्रेस, जोधपुर में सप्लाई के लिये भेजे गये मगर वहां उन चाकुओं को लेना मंजूर नहीं किया गया। इस पर फर्म से लिखा-पढ़ी की गई। फर्म रेट में कमी करने के लिये तैयार है फिर भी इस संबन्ध में जांच की जा रही है और इस संबन्ध में चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट को पूछा गया है कि क्या ऐसे चाकू इस फर्म ने किसी दूसरी जगह भी सप्लाई किये हैं और किये हैं तो कितने और कहां कहां ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा (१३६)--क्या उस फर्म को पेमन्ट कर दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास--अगर पेमेंट होगया होगा तो वह रकम उस फर्म से वापिस वसूल की जावेगी, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ है अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री अर्जुनसिंह--क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि भविष्य में इस फर्म से कोई लेन-देन नहीं किया जावेगा, चूंकि इस फर्म ने धोखा दिया ?

श्री जयनारायण व्यास--इस बारे में पूरी तरह जांच करके ही कि आया फर्म ने धोखा दिया है या कोई गल्ती हुई है, कोई फैसला किया जासकता है।

Page No.26

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

(७ एस. एन. क्यू.)

श्री कंवरलाल जेलिया (७०) —क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।—

१. चंबल घाटी योजना की नहर योजना का कार्य शुरू होने से पहले भारत सरकार व दोनों राज्य सरकारों के बीच क्या कोई निर्णायक फैसला अपर बेरेज व लोअर बरेज में से हो चुका है ?

२. यदि उत्तर 'हां' में है, तो इनमें से कौनसी साइट तय हुई है ?

३. चंबल नहर योजना का कार्य निश्चित हुई साइट से कब से प्रारंभ होगा ?

४. चंबल घाटी योजना में, भारत सरकार, राजस्थान व मध्य भारत सरकार किस रूप में धन राशि खर्च करेंगी ? इसमें जनता से सरकार किस रूप में सहयोग चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्थान सरकार अपर बेराज पसन्द करती है । अखीर मई के महीने में भारत सरकार के सेन्ट्रल वाटर और पॉवर कमिशन के डाईरेक्टर ने मौके को देखा था और उनकी राय के अनुसार नक्शे और तखमीने बना लिये गये हैं और आजकल उनकी जांच सी.डब्ल्यू. और पी.सी. में हो रही है ।

२. ऊपर की साइट तय हुई है ।

३. आने वाले जाड़े में काम आरंभ करने की आशा है ।

४. अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि भारत सरकार, मध्य भारत सरकार और राजस्थान सरकार कितना कितना धन इस योजना पर खर्च करे । जनता से आशा की जाती है कि वह स्माल सेविंग्ज में राजस्थान के अन्दर रुपया जमा करने में सहयोग दे ।

प्रश्न संख्या ३

श्री छत्रसिंह (२८)—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. क्या किशनगढ़ में छोटेलाल सिंचाई ओवरसियर है ?

२. क्या उक्त ओवरसियर को जनता द्वारा बहुत शिकायतें की गई हैं ?

३. क्या ओवरसियर का शिकायत पर तबादला कर दिया गया था ?

४. क्या ओवरसियर चार्ज देने से इन्कार हुआ ?

५. क्या ओवरसियर [illegible] किया गया ?

Page No.27

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(१) हां ।

(२) नहीं ।

(३) ओवरसियर का तबादला इस कारण किया गया था कि इसको इस जगह पर काफी समय हो गया है ।

(४) ओवरसियर ने चार्ज देने से इन्कार नहीं किया था कुछ कारणों से अभी न हटाये जाने की प्रार्थना की थी ।

(५) ओवरसियर की प्रार्थना पर ध्यान देकर यह तय किया गया कि उसका तबादला अभी न किया जावे ।

श्री छतरसिंह—क्या पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार अब उसका जल्दी से जल्दी तबादला करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पब्लिक के हित को देखते हुए तो उसको वहां पर रखा गया है ।

श्री भीमसिंह—जब सरकार ने उसका तबादला कर दिया था तो क्या कारण था कि उसको वहां पर अभी तक रखा जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं जब किशनगढ़ गया तो वहां के लोगों ने शिकायत की कि तालाब का बांध नहीं बांधा इससे बहुत सारे पानी का नुकसान हुआ और उन लोगों की शिकायत पर मैंने उसका तबादला करने की आज्ञा दे दी थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह उसकी गलती नहीं थी, इसलिये अपने निर्णय को बदल दिया ।

श्री भीमसिंह—पूरी जानकारी हासिल करके बदला था या बगैर जानकारी हासिल किये ही बदल दिया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पब्लिक ने मुझे कहा कि पानी खुला रह गया था, इसलिये ज्यादा जांच की जरुरत नहीं थी ।

श्री कानसिंह—जब आपने पर्सनली जांच की तो उस वक्त कौन कौन से आदमी बयान देने के लिये आये और बाद में कौन कौन से आदमी आये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब मैं मौके पर गया था तो दो आदमियों ने मुझे कहा था और उनके कहने पर मैंने उसके तबादले का हुक्म दे दिया ।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मंत्री उनके नाम बतावेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब मैं किशनगढ़ गया था उस समय लोग आये थे, नाम नहीं जानता।

श्री करनसिंह--क्या उन लोगों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन लोगों ने शिकायत की थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री करनसिंह--क्या जो लोग शिकायती थे उनसे ज्यादा मौतबर थे जिन्होंने उसके लिये कहा था कि उसका कोई कुसूर नहीं है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--मेरे पास दो-तीन आदमी आए थे और उन्होंने कहा कि यह दूसरों का कुसूर था, इसलिये उसका तबादला कैंसल कर दिया गया ।

श्री मुख्य मंत्री की यात्रा के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष-मेरे पास कुछ समाचार पत्रों की खबरें आज पेश की गई हैं जिनमें यह बताया गया है कि मैंने कल हाउस के सामने यह बतलाया था कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली गये थे ।

जहां तक मुझे स्मरण है और जो सदन की कार्यवाही यहां नोट होती है उसको मैंने देखा है तो मैं कह सकता हूं कि मैंने ऐसी कोई सदन को सूचना नहीं दी ।

('दिल्ली जाने के लिए कहा' ऐसी आवाज)

श्री जसवन्तसिंह--क्या मैं कह सकता हूं कि·····

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ।

कुछ दिनों पूर्व मुख्य मंत्री का टूर प्रोग्राम मेरे पास आया था और परसों मेरे पास उनका पत्र आया जो इस प्रकार है :-

"I am going on two days tour for important and administrative reasons and shall be absent from the Assembly on the 9th and 10th September, 1953. Shri Mohanlal Sukhadia, Revenue Minister, would act as Leader of the House for these two days.

I beg to request that leave of absence for two days may kindly be granted."

मैंने सदन के सामने यह नहीं कहा कि मुझे यह सूचना है कि मुख्य मंत्री दिल्ली गए हैं । मुझे यह स्मरण नहीं है कि किसी माननीय ने यह प्रश्न पूछा हो कि क्या मुख्य मंत्रीजी दिल्ली गए हैं और मैंने यह कह दिया हो कि वे मेरे से लीव लेकर गए हैं । अतः जो समाचार समाचारपत्रों में छपे हैं मैं उनको कान्ट्राडिक्ट कर देता हूं ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष--Order. Order Please !!

श्री जसवन्तसिंह--How can it be? You did say.....

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !! This news is altogether wrong.

(विराम)

Bills for reference to Select Committee. Shri Bhogilal Pandya.

राजस्थान सिचाई तथा जलोत्सारण विधेयक, १९५३ (प्रवर समिति को)

श्री योजना मंत्री (श्री भोगीलाल पंड्या)--Sir, I beg to move that the Bill to regulate irrigation and drainage in Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of the following personnel :—

1. The Minister-in-charge.
2. Shri Gurduyal Singh.
3. Shri Shyam Lal Goel.
4. Shri Sampat Ram.
5. Shri Kishenlal Shah.
6. Shri Prabhudayal.
7. Shri Shri Bhansingh.
8. Shri Hans Raj Jatia.
9. Shri Udailal Vardia.
10. Shri Shambhu Singh.
11. Shri Bhanupratap Singh.
12. Col. Shri Daleepsingh (Bateda).
13. Shri Bheronsingh (Kelwa).
14. Shri Chiterlal.
15. Shri Jagat Singh.

श्री मानसिंह महार (जमुवारामगढ़) --माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष--Motion moved.

श्री मानसिंह महार--क्या मुझे बोलने की आज्ञा है ?

श्री अध्यक्ष--Yes.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष सदन के सामने जो राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज बिल, सन १९५३, अभी हमारे सामने सिचाई मंत्री महोदय ने पेश किया और यह फरमाया कि इसको सिलेक्ट कमटी में रेफर कर दिया जाय, इसके बारे में मेरा यह संशोधन है कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने से पहले इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट किया जाय। माननीय अध्यक्ष, बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में जब हम देखेंगे तो, मालूम होगा कि इसमें क्या चीज है:-

"Government is entitled to use and control, for public purposes the water of all rivers and streams flowing in natural channels and of all lakes, tanks and other collections of still water. For regulating such use and control in respect thereof and also in respect of all irrigation works, it is necessary to have a uniform law for the entire State. At present there exists no such law. Hence the Bill. Of course the Rajasthan Minor Irrigation Works Act has since been enacted but its scope is narrow and such irrigation works as come within the purview of that Act are excluded from the Bill. It is modelled more or less after the Northern Indian Canal and Drainage Act, 1873, of the Central Legislature."

[श्री मानसिंह महार]

इसको पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि राजस्थान माइनर इरिगेशन वर्क्स एक्ट के पास हो जाने के बाद इस बिल को सदन के सामने रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं हो सकती है कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाय। यह एक बहुत अहम बिल है और हमने यह देखा है कि इस सदन में जो बिल आते हैं उनके ऊपर स्वतन्त्र रूप से लोग राय प्रगट नहीं करते हैं। यही हालत सिलेक्ट कमेटीज़ में होती है। जब सिलेक्ट कमेटी में बिल जाता है तो वहां अलग ही स्पिरिट हो जाती है। अपोजिशन की ओर से कहा जाता है कि ये चार बातें हमारी मान लीजिए तो राज्य पक्ष की ओर से कहा जाता है कि ये चार बातें हमारी मान लीजिये। इस प्रकार से जो न्यायसंगत बातें होती हैं उनमें तोड़-मरोड़ हो जाती है। अतः जो बिल इस समय सदन के सामने है उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने से पूर्व यदि पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्क्युलेट किया जायगा तो पब्लिक की आजाद राय हमारे सामने आयगी और उस आजाद राय की बेसिस पर सिलेक्ट कमेटी के जो सदस्य होंगे वे अपनी राय ज्यादा अच्छी तरह से मंत्री महोदय के सामने पेश कर सकेंगे। इसलिए मैं सदन से अपील करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से भी अपील करूंगा कि इस बिल के बारे में मेरा जो छोटा सा संशोधन है उसको वे स्वीकार करें। इस संशोधन को मैं लाना तो नहीं चाहता था किन्तु इसको लाने की वजह यह है कि माइनर इरिगेशन वर्क्स एक्ट पास हो चुका है और उसके बाद इस बिल को जल्दी पास करने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं सरकार से कहूंगा कि लेजिस्लेशन्स के मामले में एक खास प्रिन्सिपल होता है। जो लेजिस्लेशन पास किया जाय वह धैर्य से पास किया जाय, सोच-समझ कर पास किया जाय क्योंकि जो भी लेजिस्लशन पास होता है उसका जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जनता की राय लिए बिना जनता की सरकार अगर कोई लेजिस्लेशन पास करती है तो इसको मैं न्यायोचित नहीं कह सकता। विरोधी पक्ष के सदस्य तो इस संशोधन का समर्थन करेंगे ही किन्तु उस पक्ष के महानुभावों से भी मैं अपील करूंगा कि वे लोग मेरे इस छोटे से संशोधन का समर्थन करें।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—यह कोई जरूरी नहीं है कि विरोधी पक्ष समर्थन करे ही।

श्री **मानसिंह महार**--और इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय।

कुंवर श्री **जसवन्तसिंह**—मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका यह सुझाव हरएक बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजने का है?

श्री **अध्यक्ष**—He has just risen from illness. (हंसी)

कुंवर श्री **जसवन्तसिंह**—तो यह एक समस्या बन जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर विचार करेंगे तो उसको विद्ड्रा कर लेंगे।

श्री **भैरूंसिंह केलवा**—माननीय अध्यक्ष, माइनर इरिगेशन वर्क्स एक्ट सदन द्वारा पास किया जा चुका है। राजस्थान की विचित्रता को देखते हुए, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है और कहीं पहाड़ी जल के स्रोत हैं, उनको देखते हुए इरिगेशन सम्बन्धी बिलों को आँथोरिटी से पास करना पड़ता

Page No.31

[श्री भैरूंसिंह केलवा]

है। राजस्थान की विचित्रता को देखते हुए यदि हम अलग अलग स्थानों की इन्फार्मेशन ठीक तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो सिलेक्ट कमेटी में उन बातों को ठीक तरह से नहीं रख सकते और सिलेक्ट कमेटी में जो पोलिसी रहती है; उसमें किस तरह से काम होता है वह उचित नहीं मालूम पड़ता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की विचित्रता को देखते हुए ऐसे बिलों पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान में कई पहाड़ों से अपने आप पानी निकलता है और बिना किसी मूल्य के पिलाई होती है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां कि पिलाई के लिये काफी खर्चा करना पड़ता है और पिलाई के साधन नहीं हैं। पिलाई के साथ साथ रेवेन्यू केसेज भी हैं।

रेवेन्यू के केसेज भी ऐसे मिलते हैं कि जहां की पानी भी मिलता है। कहीं प्राकृतिक श्रोतों से भी अपने आप पानी मिलता है। वहां के रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने अलग अलग रेट्स लगा रक्खी हैं कुए से पिलाने की, अपने आप प्राकृतिक स्त्रोतों से पिलाने की, बंध आदि से पिलाने की; इन सब चीजों से इन रेट्स की भिन्नता पर असर पड़ता है।

तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत अहमियत का बिल है इसलिए इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जावे जिससे हम सब तरह के अनुभवी और सभी स्थानों के वकीलों को ओपीनियन भी प्राप्त कर सकें और हम सब सही निर्णय पर पहुंच सकें; नहीं तो कई आपत्तियां आएंगी और इसमें इतनी जटिलताएं हैं कि यह सिलेक्ट कमेटी से ठीक तरह से तय नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—इससे आप क्या बताना चाहते हैं ? Should it be referred to the Select Committee or....

श्री भैरूंसिंह केलवा—It should be circulated for eliciting public opinion.

श्री कानसिंह—मेरे लायक दोस्त ने प्रस्ताव पेश किया है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए भेजने के बजाय पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्क्यूलेट किया जावे और सरकार की तरफ से यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की बात कही गई है तो इसके लिये मैं निवेदन करूं कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने में तीन-चार महीने लग जायेंगे तो सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के साथ साथ ही इसको अगर पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दिया जावे तो दोनों ही कार्यवाहियां बराबर हो सकती हैं और इसमें समय भी कम लगेगा।

श्री अध्यक्ष—There is no provision in the Rules.

श्री कानसिंह—मेरे खयाल में है।

Page No.32

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—अध्यक्ष महोदय. मेरे एक मित्र ने इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रक्खा है लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो, पहले भिन्न भिन्न जो रियासतें थी उनमें जो अलग अलग दरें थी उन्हीं का एकीकरण है। हमारे ये ही मित्र पहले कहा करते थे कि इनका एकीकरण नहीं हुआ इसलिए भी इसका एकीकरण करना और इस बिल को सदन के सामने पेश करना आवश्यक हो गया है। इसे हमारे 'ना' पक्ष ने मानकर सिलेक्ट कमेटी के लिए नाम भी दे दिये हैं। मुझे 'ना' पक्ष की ओर से नाम भी प्राप्त हो चुके हैं, फिर हम जनता के प्रतिनिधि यहां हैं। वे सदस्य इस सिलेक्ट कमेटी में अपनी अपनी रायें दे सकते हैं इसलिए मेरे खयाल से सिलेक्ट कमेटी में देना ही काफी है और पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजना जरूरी नहीं है।

(श्री मानसिंह महार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—It is not necessary to reply.

श्री मानसिंह महार—Two minutes, Sir........

श्री अध्यक्ष—Order! Order !!

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Man Singh of Mahar regarding referring......I read the motion, "The Rajasthan Irrigation and Drainage Bill 1953, be circulated for eliciting public opinion."

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the Bill to regulate irrigation and drainage in Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of the personnel as proposed by the Minister-in-charge.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

राजस्थान भूदान यज्ञ विधेयक १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to move that a Bill to facilitate donation of land and distribution thereof in connection with the Bhoodan Yagna Movement initiated by Shri Acharya Binoba Bhave be referred to Select Committee consisting of the personnel; the names I will just submit.

Page No.33

श्री अध्यक्ष—Names.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—I will submit the list just now.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

There is an amendment to this motion by shri Bhairon Singh to the effect that the Rajasthan Bhoodan Yagna Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion.

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ बिल के सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है कि उसको कानून का रूप देने से पूर्व जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय तो अधिक उत्तम होगा। इसके कई कारण हैं।

जब कभी भूदान यज्ञ के लिए निर्मित समितियों के सदस्य गांवों में भूदान के सम्बन्ध में जाते हैं तो लोगों से उनकी बातचीत से जो वातावरण बनता है वह मैंने देखा है और उस वाद-विवाद में मैंने भी भाग लिया है।

लोगों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि इससे भूमि समस्या किस प्रकार से हल होगी और इसके साथ साथ वे दो प्रकार की विशेष शिकायतें भी करते हैं। एक तो यह कि राजस्थान में भूमि की अवश्य ही कमी है। हो सकता है कि भारत के दूसरे प्रान्तों में अधिक भूमि होने से इस प्रकार के भूदान यज्ञ से सारी की सारी समस्याएं ही हल हो जावें पर चूंकि राजस्थान में पहले से ही जमीन की कमी काफी है, इसके होते हुए यहां कोई भी आदमी अपनी अच्छी भूमि देने के लिए तैयार नहीं होगा और जो जमीन दी जाती है वह इस प्रकार की दी जाती है जिसको तैयार करने में कम से कम धनाढ्य आदमी, साधन-सम्पन्न आदमी भी प्रयत्न करें तो २० साल लग सकते हैं। इसलिए उन ग्रामवासियों का कहना है कि जो लोग अपनी अच्छी जमीन नहीं दे सकते और बुरी जमीन दी जाती है तो वह बुरी जमीन उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों के पास एक बीघा भी जमीन नहीं है, जो भूमिहीन हैं और जो धनाढ्य या साधन-सम्पन्न भी नहीं हैं और इस कारण वे उस जमीन को खेती के योग्य नहीं बना सकते और उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, उस जमीन की तरक्की करने में और इसका नतीजा यह होगा कि जिस "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" की आप चर्चा करते हैं वह चर्चा बेकार होगी। भूमि का सुधार उस गरीब, साधनहीन और भूमिहीन व्यक्ति को भूमि देने से नहीं होगा और इस तरह आपका यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता; न अन्न की समस्या ही सरकार हल कर पावेगी इस तरीके से। सरकार की योजना सफल रूप में नहीं चल रही है। इसका सबसे मोटा कारण यही चीजें बनती हैं।

दूसरी जो लोग चर्चा करते हैं कि भूमिदान समितियां जो बनाई गई हैं वे भूदान के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई हैं। इस पर किसी प्रकार का सन्देह किसी आदमी को नहीं हो सकता, पर सबको

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

सन्देह होता है भूमिदान देने वालों पर । वे बड़े बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं । वे अपनी अच्छी जमीन तो कभी देंगे नहीं बल्कि जो बेकार जमीन पड़ी है और जो गोचर-भूमि है उस सारी की सारी गोचर भूमि को उसमें दे देते हैं । हालांकि इस कानून में गोचर भूमि न दी जावे, इसके लिए प्रोवीजन है; पर फिर भी ऐसी शिकायतें आई हैं । छोटे से बड़े........

श्री अध्यक्ष—Why are you going in detail.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—इसकी डिटेल में जाने के बाद ही जो आवश्यक कारण हैं उनकी जानकारी होगी और यह मालूम हो सकेगा कि इसे कानून का रूप दिया जाय या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—No, no.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—जो डिटेल में न जाकर थोड़े में ही अपने विचार व्यक्त कर देता हूं ।

दूसरा जो तरीका है इस भूमि-दान-यज्ञ का वह जोर जबर्दस्ती का नहीं है । कोई वालंटेरिली देना चाहे तो दे सकता है । किसी आदमी के लिए मजबूरी नहीं है कि क्योंकि इस प्रकार का कानून बन गया है जिसके जरिये से जमीन देनी ही पड़ेगी इसलिए मेरा कहना आवश्यक हो जाता है कि जो चीज दान के रूप में लेनी है, किसी की इच्छा से लेनी है तो उसको लेने और उसके बाद में बांटने के लिए कोई भी कानून बने, इसके लिए जनता की राय जान लेना आवश्यक है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में तथा और और प्रदेशों में भी हैं और उनके बारे में जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं कह सकता हूं कि उन जगहों पर भी पहले इन पर जनता की राय ली गई और इसके बाद कानून को शक्ल दी गई है ।

इसके लिए तकाजा जो किया जाता है उसका एक कारण है । इसमें भूमि-दान देने वाले का पजेशन का जो राइट है उसको दूसरे के हक में ट्रान्सफर करने को किसी प्रकार लीगलाइज (legalise) किया जावे इसके लिए यह कानून जल्दी जल्दी बनाया गया है । पर जहां तक लिगलाइज बनाने का सवाल है वह जनता की राय जानने के बाद कानून की शक्ल में आ जावे तब भी किया जा सकता है । जिस प्रकार और कई मामले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होते हैं उसी तरह इसमें भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी हो सकता है ।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे कानून बनाने से पूर्व, इस पर जनता की आवश्यक राय ली जावे । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जनता की राय के लिए जाने का मेरा जो संशोधन है वह मानने योग्य है और इसे स्वीकार कर लिया जावे ।

श्री मानसिंह महार—On a point of order, Sir........

श्री अध्यक्ष—There is no point of order.

श्री मुख्य मंत्री की यात्रा के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों पर वाद-विवाद

श्री मानसिंह महार—ग्रॉन ए पोइन्ट ऑफ ग्रार्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच बात है कि प्रेस गेलरी के लोग किसी बात के प्रोटेस्ट में गेलरी छोड़ गये हैं ?

श्री ग्रध्यक्ष—There is no point of order. Everybody is free to go from this House, there is no confinement.

जयपुर में चल रही हड़ताल के विषय में वक्तव्य सम्बन्धी

श्री कँवर जसवन्तसिंह—Sir, there was also a question, you stated, that the Treasury benches will give a statement about the Jaipur condition.

श्री ग्रध्यक्ष—I will just ask about the time.

(राज-पक्ष से विचर-विमर्श के पश्चात्)

It will be given after 11. O'clock.

राजस्थान भूदान-यज्ञ विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, भूदान संबन्धी बिल के बारे में माननीय श्री भैरूंसिंहजी ने कुछ एतराज उठाये हैं ग्रौर उदाहरण के तौर पर यह कहा कि जो भूदान का मूवमेन्ट (ग्रान्दोलन) चलाया गया है उसके ग्रन्दर जो जमीन दी जाती है वह भूदान समिति को खुश करने के लिए (खराब जमीन) दी जाती है ग्रौर चरागाह वगैरह की जमीन दी जाती है ग्रौर वह जिन लोगों को दी जाती है उन लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं। सबसे पहले मैं यह ग्रर्ज करदूं कि इस बिल के ग्रन्दर कहीं किसी पर किसी प्रकार की जबरदस्ती करके जमीन देने का या लेने के लिए किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगाई गई है। यह सब देने वाले की इच्छा पर छोड़ा गया है। वह स्वयं चाहे तो भूदान में जमीन दे। लेकिन लेने वाले के लिए इस वक्त सवाल उठता है कि वह जमीन लेने के लिए स्वयं दर्ख्वास्त दे या उसको स्वयं को ही जमीन दे दी जाय। इसलिए इस संबन्ध में जो ग्रापकी शिकायत है उसके होने का ग्रवसर ही नहीं ग्राता। साथ ही यह भी बताया गया कि चरागाह की जमीन दे दी जाती है। ग्रगर ग्राप इस बिल के विस्तार में जायेंगे तो ग्रापको मालूम होगा कि कोई भी चरागाह की जमीन भी नहीं दे सकेगा। ग्रगर वह देता है तो सरकार उसको रोक सकती है। इसलिए यह बिल ऐसा है कि इसके लिए पब्लिक ग्रोपिनियन राजस्थान के लिए ही नहीं, सारे भारतवर्ष के लोगों की राय ग्राचार्य विनोबा भावे ने तैयार की है; उससे बढ़कर हमारा बिल ग्रौर क्या प्रचार कर सकेगा। जनता के ग्रन्दर पब्लिक ग्रोपीनियन के लिए इसे भेजने से उसका प्रचार नहीं हो सकता, जितना कि श्री विनोबा भावे ने ग्रपने प्रवचन द्वारा इसके लिए जनमत तैयार कर दिया है। इसलिए यह बिल इतना ग्रावश्यक है कि जब सारे भारतवर्ष का वातावरण इस पक्ष में है तो ऐसे समय में इस पर तुरन्त विचार करके जल्दी से जल्दी निर्णय कर लेने का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। यह मूवमेन्ट केवल राजस्थान के अंदर चला हो यह बात नहीं, सारे ही भारतवर्ष ने इस मूवमेन्ट को महत्वपूर्ण माना है। सारे हिन्दुस्तान के ग्रन्दर यह ग्रान्दोलन दिन प्रति दिन ज्यादा महत्व प्राप्त करता जा रहा है। भूमि की समस्या भूमि के कम होने से बड़ी विकट होती जा रही है, यह बात नहीं। यू. पी. के ग्रन्दर ग्रौर बाहर ग्रन्य प्रान्तों में जहां पर कि भूमि की समस्या काफी गंभीर है, भूमि की जहां पर काफी कीमत है, विनोबा जी ने जो प्रचार

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

किया उसका परिणाम यह आया कि हैदराबाद के अन्दर भी इस आन्दोलन के कारण भूमिहीन किसानों को बहुत सी भूमि प्राप्त हो सकी है। भारतवर्ष के भूमिहीनों की समस्या को हल करना और उनके लिए आजीविका का साधन जुटाना भूदान आन्दोलन का एक प्रभावकारी कार्यक्रम चल रहा है। यह हमारे प्रान्त के लिए महत्वपूर्ण बिल है और इस जरिये हम समय के अनुसार शान्तिमय और बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बहुत हद तक कामयाब हो सकेंगे।

मैं नहीं कह सकता कि पूरी कामयाबी हमें किस हद तक हासिल हो सकती है; लेकिन मेरी यह मान्यता है कि शान्तिमय तरीके से समाज के अन्दर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए यह एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज कर और ज्यादा विलम्ब करने के बजाय हमें तत्काल ही जल्दी से जल्दी इसे पास करना चाहिये। इसी दृष्टि से मैंने इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं कि सदन इस बात के लिए मंजूर देगा और श्री भैरूसिंहजी से निवेदन करता हूं, कि वे, जैसा कि बहुत सी बार करते हैं अमेन्डमेन्ट रखने के लिए अमेन्डमेन्ट देते हैं, अपने संशोधन को वापिस लेंगे।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—इस नियत से नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the motion regarding reference of the Rajasthan Bhoodan Yagna Bill, 1953 to a Select Committee consisting of the following, be accepted :—

1. The Minister-in-charge.
2. Shri Raghubir Singh.
3. Shri Chhatar Singh.
4. Shri Bhairon Singh Barkana.
5. Col. Shri Dalip Singh.
6. Shri Mohbat Singh.
7. Shri Jayendra Singh.
8. Shir Dwarka Das Purohit.
9. Shri Bhagwan Singh Tarani.
10. Shri Dhulji Bhai.
11. Shri Jai Chandra Mohil.
12. Shri Hans Raj Arya.
13. Shri Bishambhar Nath Joshi.

[श्री अध्यक्ष]

14. Shri Ram Ratan Tikkiwal.
15. Thakur Shri Ghisi Singh.
16. Shri Durlabh Singh
17. Shri Madho Singh Bhenswara.
19. Shri Sheodan Singh.
19. Rao Raja Shei Sardar Singh.
20. Rawal Shri Sangram Singh, and
21. The Advocate General.

The Minister-in-charge will be the Chairman of the Committee.

(स्वीकृत)

The motion is accepted.

राजस्थान अधि-सम्पति (एकीकरण तथा खण्ड विरोध) विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–Sir, I beg to move that the Bill to provide for the compulsory consolidation of agricultural holdings and for preventing the fragmentation of agricultural holdings in the State of Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of the personnel, the list of which I will just now submit.

श्री अध्यक्ष—There is no amendment to this.

श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)—मेरा एक संशोधन है इसमें।

श्री अध्यक्ष--Motion moved.

(विराम)

There is one amendment by Shri Bharion Singh that the Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Bill, 1953 be circulated for the purpose of eleciting public opinion.

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जनता की राय जानने के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा है। उसके कई मुख्य कारण हैं। जहां तक ऐसे कानूनों का संबन्ध है सरकार की सराहना करूंगा कि राजस्थान की भूमि की इस प्रकार की जटिल समस्या बनी हुई है कि इस जटिल समस्या को दूर करने के लिए इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक समझा है। लेकिन

[श्री भैंरूंसिह (१६)]

जहां तक इस कानून का संबन्ध है हमें इस कानून की प्रेक्टिकल साइड देखनी पड़ेगा। एक ही जमीन के टुकड़ों को इकट्ठा करने का उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी और खेती में तरक्की होगी। अक्सर गांवों में देखा जाता है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े एक आदमी के हिस्से में होते हुए कई दूर-दूर जगहों पर होते हैं, एक एक मील की दूरी पर होते हैं जिससे वह उन पर निगरानी नहीं रख सकता और निगरानी न रखने की वजह से खेती में किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते। इस असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का कानून होना आवश्यक है। लेकिन जब हम इसकी प्रेक्टिकल साइड को देखते हैं तो हमारे सामने यह आता है कि इस प्रकार के टुकड़े किस प्रकार एक करेंगे ? इसमें जो मार्ग बताया गया है उस पर विशेष न कहकर इतना अवश्य कहूंगा कि आवश्यक समय पर ये संशोधन किये जायेंगे। जनता इसकी प्रेक्टिकल साइड को जानती है, जनता में काश्तकार लोग हैं।

हम एक दूसरे की जमीन को ट्रांसफर करके, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करा सकते हैं। यह चीज जनता के विकास की जो है खेती के संबंध में जहां तक मेरा ख्याल है सदन के माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि यह जटिल समस्या है और इस जटिल समस्या का हल निकालना जल्दी से जल्दी आवश्यक है, इसलिए यह हल निकाल दें लेकिन जिस तरह से आप हल निकाल रहे हैं वह हल नहीं है, बल्कि उससे दूसरी समस्या खड़ी हो जायगी। मुझे डर है कि जिस शक्ल में यह कानून है उस कानून से इस जटिल समस्या का हल होना तो दूर रहा वह स्वयं एक दूसरी समस्या बन जायगी और लोगों में उससे बड़ा भारी असन्तोष होगा। उस असंतोष को दूर करने के लिए, दुनिया को कष्ट हो उसको रोकने के लिए आप जनता की राय लीजिये। जनता अगर इसकी आवश्यकता समझेगी, अगर वह उसे पसन्द करती है तो इस प्रकार की राय देगी। अगर जनता पसन्द नहीं करती है तो वह राय नहीं देगी।

वह समस्या बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि एक एक गांव के अन्दर २०-२० किस्म की जमीनें होती हैं। एक तरफ सिंचाई की है तो एक तरफ बारानी की और उसमें भी एक बारानी में ५ मन धान होता है तो दूसरी में २ मन और किसी में एक मन होता है और इधर चाही जमीन के अन्दर भी इस प्रकार की हैं कि एक चाही में २० मन होता है, दूसरी में १५ मन और तीसरी में ५ मन। यदि आप इनको कन्सोलिडेट (Consolidate) करेंगे तो आपको उसकी प्रेक्टिकल साइड देखनी पड़ेगी। उसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार की जमीनें हैं; जिस जमीन को हम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का फरक है तो उसको किस तरह से कन्सोलिडेट किया जा सकता है, उसको मिनिस्टर साहब एक दूसरे व्यक्ति को किस तरह से दिला सकते हैं, अच्छी जमीन यदि किसी की है तो किस प्रकार से वह जमीन दूसरे व्यक्ति को दिलाई जा सकती है; इससे सारी चीजें जब तक हम नहीं देखलें और कानून बना देंगे तो कानून को किसी प्रकार से सफलता नहीं मिलेगी, जनता को राहत नहीं मिलेगी और लिटीगेशन ज्यादा बढ़ेगा। काश्तकार जनता पहले ही लिटीगेशन में ज्यादा फंसी है, फिर यह वकीलों का घर बनाने की योजना क्यों बनादी गई है ?

इसमें सबसे ज्यादा जो चीज है वह यह है कि इसमें आगे जाकर कलेक्टिव फामिंग (सामुहिक खेती) की स्कीम आती है। कन्सोलिडेशन ऑफ फार्म्स (consolidation of farms)

Page No.39

[श्री भैरूंसिंह]

के बाद कलेक्टिव फार्मिंग (Collective farming) लाया जायगा । वह इस तरह से है कि ४-५ फार्म मिला कर इस प्रकार की योजना बनाई जाय कि सारे के सारे कलेक्टिव फार्मिंग की स्कीम के तहत यह कार्य किया जायगा । कलेक्टिव फार्मिंग किताबों के अन्दर अच्छा है, लेकिन राजस्थान के अन्दर.........

श्री **अध्यक्ष**—It is not necessary to go into details. Collective farming, and all that...........

श्री **भैरूंसिंह**—यह जरूरी है । कैसे समझाया जायगा कि पब्लिक ओपिनियन (public opinion) के लिये जाना आवश्यक है, कमेटी में जाने के पहले ? नहीं तो हाउस को यह कन्विन्स नहीं करा सकूंगा कि पब्लिक ओपिनियन के लिये जाने की इसलिये आवश्यकता है ।

जहां तक किताबी नोलेज (ज्ञान) लोगों का है तो कन्सोलिडेशन (Consolidation) और कलेक्टिव फार्मिंग (Collective farming) उनके लिये बहुत जल्दी से जल्दी जनता को राहत पहुंचाने का मार्ग है । उन किताबों को मैंने भी पढ़ा है ; लेकिन प्रेक्टिकल साइड (practical side) मैंने उसकी अच्छी तरह से देखी है । अगर आप उसकी प्रेक्टिकल साइड देखेंगे तो सिवाय अन्धेरे के वहां कोई चीज सामने नजर नहीं आयेगी । उन प्रान्तों में, जिनकी जमीनों में काफी भेद है, अध्यक्ष महोदय, एक-एक मील में ५-५ किस्म की जमीनें हैं । प्रेक्टिकल व्यू (practical view) देखने के लिये और कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि कानून बनाने वाले खेतों में जांय । इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने केवल खेती की किताबें पढ़ी होंगी, खेती स्वयं नहीं कराते होंगे और न खेती का उन्हें कोई अनुभव ही होगा, मेरा खयाल है । इसलिये निवेदन करूंगा कि ऐसे कानून बनाने के पहले उन लोगों की राय जान लेनी चाहिये जो खेती करते हैं, खेती पर जो जीवन-निर्वाह करते हैं, खेती ही जिनके जीवन का आधार है ; उन लोगों की राय के बिना, उनका प्रेक्टिकल व्यू देखे बिना हमारे इस कानून के बनाने से कोई मतलब पूरा नहीं होगा । उसका प्रेक्टिकल व्यू देखने के पूर्व ही इस प्रकार का अगर हम कानून बना देंगे तो सिवाय झगड़े पैदा होने के दूसरा लाभ नहीं मिलेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी को भेजने के पूर्व उस पर जनता की राय ले ली जाय । जनता इस प्रकार के कानून से (समय-समाप्ति सूचक घंटी) अपनी राहत समझती है तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा ; यह कानून जल्दी से जल्दी आप बना दीजिये ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक इस बिल के सिद्धान्त का सवाल है माननीय श्री भैरोंसिंहजी भी सहमत है । उनको एतराज या शिकायत कहीं है अगर तो इस बात पर कि इसके इम्पलीकेशनन्स (Implications) में कुछ कॉम्प्लिकेशन्स (complications) पैदा नहीं हो जांय । मैं समझता हूं कि उसके लिये ही तो यह सिलेक्ट कमेटी में जायगा । उस समय गोरेगजट में पब्लिश (प्रकाशित) होने के बाद जनता की राय से विचार करने का अवसर रहता है और उसके साथ साथ इस सदन में भी

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

जनता के वे प्रतिनिधि हैं, सभी चुन कर आये हैं। वह बिल भी जब इस सदन में स्वीकृति के लिये आयेगा तो उस अवसर पर भी आप काफी कह सकते हैं। इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय इसलिये भी आवश्यक है कि सदन के सब सदस्यों से यह छिपा हुआ नहीं है कि भाखरा और नांगल योजना और चंबल योजना जो हमारे यहां चल रही है उसमें जमीन के एलाटमेंट का सवाल है। हमारे सामने यह बिल प्रस्तुत है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स (oonsolidation of holdings) के बारे में एक कानून हमारे यहां पास हो। खुद काश्त की समस्या के लिये में अर्ज करना चाहता हूं कि यह कन्सोलिडेशन का कानून आवश्यक होगा। तो उन सारी दृष्टियों को सामने रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिये यह कानून लाया गया है, मैं समझता हूं कि पब्लिक ओपीनियन के लिये रेफर (refer) करके और उसके बाद में अगले अधिवेशन में सिलेक्ट कमेटी को रेफर करके अधिक समय लगाने का अवसर भी हमारे सामने नहीं है और जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिये जब सिद्धान्त पर कोई मतभेद नहीं है तो मैं चाहता हूं कि दूसरे मतभेद सिलेक्ट कमेटी के अन्दर मिल कर और जो इस तरह की बातें हैं उन पर विचार किया जा सकता है। इसलिये सदन इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है उसका समर्थन कर, मैं चाहता हूं, जल्दी से जल्दी पास कराने के अन्दर सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष--The question is that the amendment that the Rajasthan Holdings (consolidation and Prevention of Fragmentation) Bill, 1953, be circulated for the purpose of eleciting public opinion, be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the Bill be referred to a select Committee consisting of Personnel, the names of whom will be announced later.

(स्वीकृत)

The motion is accepted.

राजस्थान कृषि भूमि उपयोग विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)--Sir, I beg to move that the Bill to provide for the utilisation of uncultivated agricultural lands in the State of Rajasthan and for regulating the cultivation of specified crops therein be referred to a Select Committee consisting of the following personnel:

1. Shri Bhairon Singh of Khejarla
2. Shri Jawan Singh

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

3. Shri Jayendra Singh
4. Shri Bhim Singh
5. Shri Pratap Singh
6. Shri Jagat Singh
7. Shri Bhairon Singh of Barkana
8. Shri Dharam Pal
9. Shri Kishan Lal Shah
10. Shri Chhotu Singh
11. Shri Tika Ram Paliwal.
12. Shri Hari Shanker Siddhant Shastri
13. Shri Tej Mal Bapna
14. Shri Kanwar Lal Jelia
15. Shri Srigopal Bhargava
16. Maharawal Shri Sangram Singh and
17. The Minister-in-charge.

श्री **अध्यक्ष**—Motion moved. There is an amendment by Shri Bhairon Singh, for circulating the Bill for the purposes of eliciting public opinion.

(विराम)

Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन मूव करना नहीं चाहता, लेकिन इसके विरोध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—क्या सिलेक्ट कमेटी रेफर का (प्रस्ताव) नहीं हो या किस...............

श्री भैरोंसिंह—कन्सीडर (consider) नहीं किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह कि जनता की राय थी कि प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स (Protection of Tenants Ordinance.) से एक तरफ हमने मुकद्दमे बाजी बढ़ाई है और दूसरे तरफ यह भी चीज हुई है कि उसके डेरों के अन्दर

[श्री भैरूँसिंह]

कुछ कमी हुई है। क्योंकि लोगों ने अपनी जमीन दूसरों को काश्त करने के लिये नहीं दी। इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण) में--

"In many parts of Rajasthan, considerable areas of land, even though capable of being cultivated, are either lying fallow or are in possession of persons who are neither able to cultivate them personally nor are prepared to let them out for fear of being deprived of their holdings more or less permanently by virtue of the provisions of the Rajasthan Protection of Tenants Ordinance, 1949........."

अध्यक्ष महोदय, जनता की यह भावना आज सही निकली और आज माननीय राजस्व मंत्री ने इस चीज को मंजूर किया कि प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स ऑर्डीनेंस से प्रेक्टिकल रूप में काश्तकारों को कोई राहत नहीं मिली। यदि किसी काश्तकार को किसी कानून के जरिये कुछ राहत मिली है तो खेती में इस प्रकार की कमी आ गई कि दूसरों को हिस्सा देने वाले अपनी जमीन के अन्दर करते थे और जो हिस्से का अनाज आता था उतना अनाज भी नहीं मिला। जिस कोठी में ८ बैलों से काम किया जाता था उसमें अब २ बैल ही काम करते हैं, इसी डर से कि यदि कहीं किसी आदमी को सीर में दे दिया, किसी आदमी को हिस्सा दे दिया तो अगले साल उसका कब्जा हो जायगा, वह गिरदावरी में अपना नाम लिखा लेगा और परचा भी जल्दी से जल्दी ले लेगा।

उस सूरत में एक आदमी चाहे उससे काश्त हो सके या न हो सके, सारी जमीन पर कब्जा कर लेगा और हल चलाने लग जावेगा। जिस जमीन में पहले ८-८ जोड़ियों से हल चलाये जाते थे और जहां पर आठ-आठ आदमी काम करते थे उसके बजाय अब उसी जमीन पर दो आदमी सिर्फ दो बैलों से हल चलाने व खेती करने लगे। आप यह सोचते होंगे कि उससे काश्तकारों को राहत मिलेगी, पर दरअसल में ऐसी बात नहीं है। उनसे पूछने पर मालूम हुआ है कि उनको उलटी अधिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जागीरदारों का जरूर इससे फायदा हो सकता है कि उनको खुदकाश्त के लिये काफी जमीन मिल जाती है। जागीरदारों ने खुदकाश्त के लिये ऐसा रवैया अपनाया है कि उन्होंने लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया है और जब खेती करने के दिन आये तो उनकी जमीन यों ही पड़ी रह गई। इससे किसानों को नुकसान हुआ और उनकी खुदकाश्त की जमीन की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है और काश्तकारों को काफी मुकद्दमा बाजी करनी पड़ रही है। आज यह कहा जाता है कि राजस्थान में "अधिक अन्न उपजाओ" और इसके लिये नारे लगाये जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया अख्तयार किया जाता है। लोगों की सहायता करने की दृष्टि से काम करने की भावना और दृष्टिकोण खत्म होता जा रहा है और लोगों का विश्वास भी आपकी तरफ से उठता जा रहा है और अविश्वास की भावना इतनी बढ़ गई है कि आदमी एक दूसरे का विश्वास नहीं करते और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह स्थिति दूर हो जाय।

इस पर एतराज करने का दूसरा कारण यह है कि राजस्थान में जल्दी ही टिनेन्सी एक्ट पास होने वाला है। यह बिल सदन के सामने रखा गया है और मैं समझता हूं कि आज ही वह प्रवर समिति को सौंप

[श्री भेरूंसिंह]

दिया जायगा और अगले अधिवेशन में पास हो जायगा और उसके बाद इस कानून की विशेष आवश्यकता नहीं समझी जायगी। इस कानून में जो चीजें हैं उनको टिनेन्सी एक्ट में रख लीजिये और उस कानून के बनने के बाद कोई आदमी जिसके पास अधिक जमीन है, उतनी जमीन नहीं रख सकेगा। यदि उसके पास जमीन ज्यादा है तो उसको उस पर से कब्जा छोड़ना होगा। अब बरसात का मौसम भी निकल गया है और खेती का मौसम नहीं है। दो-तीन महीनों बाद जब मौसम आयगी तब चाही जमीनों के लिये खेती की मौसम होगी। ऐसी हालत में इस कानून की इस समय आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जल्दी ही टिनेन्सी एक्ट पास कर रहे हैं। ये सारी चीजें उसमें आ सकती है। यदि हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि हम कोई कानून बनाना चाहते हैं तो हमें एक ही ऐसा अच्छा बिल बनाना चाहिये कि सारी चीजों का उसमें समावेश हो जाय। कानून ज्यादा रहने से एक प्रकार से मुकदमा बाजी बढ़ेगी और जनता में असंतोष फैलेगा और यह कानून उलझन पैदा करने के लिये होंगे। अलग अलग कानूनों का अलग अलग इन्टरप्रिटेशन होगा और कोई लोग किसी कानून के अंतर्गत प्रोटेक्शन पाने की बात सोचेंगे तो दूसरे लोग दूसरे कानून के अंतर्गत प्रोटेक्शन पाने कि कोशिश करेंगे। यदि आप यह चाहते है कि अधिक मुकद्दमे बाजी से लोगों को दूर रखें तो आपको चाहिये कि आप एक बड़ी चीज सामने रखें। छोटे-छोटे विभिन्न कानूनों की आवश्यकता नहीं है, बड़ा कानून बनाइये जिसमें छोटे कानून विलीन हो जावें। इस प्रकार की छोटी चीज जनता को राहत नहीं पहुंचा सकेगी। पडत भूमि के लिये कलेक्टर साहब पहिले नोटिस देंगे, फिर उस पर अपना निर्णय देंगे, फिर अपील करने के लिये एक महीने की मोहलत देंगे। आज आप कोई कानून बनायेंगे तो दो महीनों बाद उस पर एतराज उठा सकेंगे, फिर कलेक्टर के पास उसकी अपील होगी और रेवेन्यु बोर्ड के पास रिवीजन होगा। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार के छोटे मोटे कानूनों से राहत नहीं मिलने वाली है। यह जनता के लिये उपयोगी नहीं होंगे, इनसे मुकद्मेबाजी और बढ़ेगी। इसलिये मैं चाहता हू कि आप इस बिल को Consider न करे तो अच्छा हो। टिनेन्सी एक्ट जल्दी ही आनेवाला है। उसके अन्दर ही इन प्रोविजन्स को भी रख दें ताकि एक ही कानून जनता के सामने आवें और उसी को देखकर उसका इन्टरप्रिटेशन अच्छी तरह से लोग कर सकें और जनता को तकलीफ न उठानी पड़े। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को मंत्री महोदय वापिस लेलें।

श्री मुख्य मंत्री की यात्रा के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों पर वाद-विवाद

श्री **जसवन्तसिंह**--On a point of information, Sir, I want to submit to you that we, on the opposition side are feeling it very much in regard to the ruling which you have been pleased to give and in this regard I had definitely asked a question about the Chief Minister, being away from Jaipur.

श्री **अध्यक्ष**--Order, please. !

श्री **जसवन्तसिंह**--Then we have to stage a walk-out.

Page No.44

श्री अध्यक्ष—I do not want that any of my statements should be questioned; it was altogether wrong.

श्री जसवन्तसिंह—For five minutes.

(विरोधी पक्ष के सदस्य एक साथ सदन के बाहर गये)

श्री अध्यक्ष—You may walk-out for five minutes or longer I do not mind, it is altogether wrong.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Should we wait for five minutes ?

श्री अध्यक्ष—No, no. It is not necessary for us to wait for them. It is their sweet will to be in the House or not.

राजस्थान कृषि भूमि उपयोग विधेयक, १९५३ (क्रम में)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने ऐतराज उठाया था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहिये वे तो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने यह कहा था कि यह जो बिल है उसके पास होने पर लिटिगेशन बढ़ जायगा और दूसरी ओर उन्होंने यह भी कह दिया कि टिनेन्सी बिल आ रहा है, उसमें इसको और एड कर दिया जाय। मैं नहीं समझ सका ऐसा करने से लिटिगेशन कैसे कम हो जायगा। इन दोनों बातों से परस्पर विरोधाभास ही प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि बहुत जगह जमीनें लोगों ने ज्यादा लेली है और यों ही पड़ी हुई हैं व उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इस बिल के पास होने पर निश्चित तौर से लाभ होगा। इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना उचित ही होगा।

श्री अध्यक्ष—There was no motion of Shri Bhairon Singh except that he critisised the motion of the member-in-charge of the Bill.

(विराम)

So the question is that the Rajasthan Agricultural Lands Utilisation Bill, 1953, be referred to a Select Committee consisting of the persons as mentioned by the Member-in-charge in his original motion.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

We come to the next item.

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill to consolidate and amend the law relating to agricultural tenancies in the State of Rajasthan and other matters connected therewith be referred to a Select Committee consisting of—

1. The Member-In-Charge.
2. Shri Lal Singh Shaktawat.
3. Shri Ramjilal Yadav.
4. Shri Damodar Vyas.
5. Shri Harlal Singh.
6. Shri Sohan Lal Bhatnagar.
7. Shri Roshan Lal.
8. Shri Mathura Das Mathur.
9. Shri Nathuram Mirdha.
10. Shri B. N. Joshi.
11. Shri Kumbha Ram Arya.
11. Shri Khet Singh.
13. Shri Balbir.
14. Shri Kapil Deo Agrawal.
15. Shri Tej Pal.
16. Shri Lal Bahadur.
17. Shri Jaswant Singh.
18. Shri Bhairon Singh of Khejarla.
19. Maharawal Shri Sangram Singh of Samod.
20. Shri Himmat Singh (Kunadi)
21. Shri Sajjan Singh.
22. Shri Devi Singh.
23. Shri Jawan Singh.
24. Shri Abani Kumar Mukerji.
25. Shri Gopi Lal Yadav.
26. The Advocate General.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

There is another amendment to this by Shri Man Singh of Mahar that the Rajasthan Tenancy Bill, 1953, be circulated to elicit public opinion.

(विराम)

Yes, Shri Man Singh.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज पेश हुआ है। एक टिनेन्सी बिल हमारे सामने हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी ने राजस्थान असेम्बली के दूसरे या तीसरे सेशन में रखा था। इस बिल को भी, जैसा कि हमारे मंत्री महोदय ने फरमाया था, कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, उसी प्रकार इस बिल को भी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जा रहा है। उस बिल को पहिले सिलेक्ट कमेटी में भेजने से सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों का समय और राजस्थान सरकार का रुपया उन मिटिंगों में जो खर्च हुआ था वह सब बेकार गया क्योंकि, माननीय अध्यक्ष, सरकार ने उस बिल को स्क्रेप कर दिया।

श्री अध्यक्ष--You come to the present one. Do not waste your time. The time is very precious.

रावत श्री मानसिंह--I want to impress. कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास न भेज कर पब्लिक ओपीनियन के लिये क्यों नहीं भेजा जाना चाहिये।

तो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्ष, कि उस बिल को स्क्रेप किया गया। फिर राजस्थान सरकार को क्या मंशा हुई कि यह नया बिल सदन में आया और फिर सरकार ने उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रबंध लगा दिया। सरकार यह चाहती है कि नये बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जावे। मैं समझता हूं कि जागीरदारी एबोलिशन बिल में समझौता होने पर; हाई कोर्ट का फैसला हो जाने पर सरकार को इस बिल में कई एमेन्डमेन्ट लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि सरकार को फिर नया बिल लाना पड़े। ऐसी सूरत में सरकार के लिये यह उचित होगा कि सिलेक्ट कमेटी में जो खर्च होता है वह बचाये और वह न करे और इस बिल को समय की बचत के लिये पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जावे। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होगा और हमारी राजस्थान की पब्लिक जिसका कि यह बिल एक प्राण है अपनी राय भी दे सकेगी। इसको पहले जनता की राय के लिये सर्क्युलेट करके उसके बाद वह चाहे तो सीधा सदन में ले आवे या चाहे तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करे। उस समय हमें उस पर किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा और न हम करेंगे। जो कुछ होगा उसको हम उस समय सहर्ष स्वीकार करेंगे। इसलिये इस वक्त इसकी ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सरकार सभी राजस्थान में टेनेन्सी बिल्स का एकीकरण करना चाहती है। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, इस दृष्टिकोण से भी इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाना जरूरी है। हम इसमें राजस्थान सरकार को सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

इस मसले पर हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय को और सरकार को उदारता पूर्वक सोचना चाहिये और उदारता से काम लेना चाहिये। सरकार को इसे पब्लिक के सामने लाने में डरना नहीं चाहिये। जब पब्लिक ओपीनियन आ जावे तब आपको जो एमेण्डमेण्ट उसमें करना हो आप शौक से कीजिये। उसके बाद यदि आप उस बिल को सदन के सामने पेश करेंगे तो जल्दी ही वह पास हो जावेगा वरना उसकी भी वही हालत होगी जो पंचायत बिल की हुई और हमको अफसोस इस बात का होगा कि उस समय हमारे मंत्री महोदय को बोखलाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--Order ! This is unparliamentary. I would not allow.

रावत श्री मानसिंह--I withdraw.

श्री अध्यक्ष--You withdraw your speech. If you go on passing such remarks. ....This is twice......I would not allow you to trespass the dignity and decorum of the House.

रावत श्री मानसिंह--I withdraw my words.

रावत श्री मानसिंह-- माननीय अध्यक्ष, यह एक बड़ा ही अहम मसला है। जब हम इस राजस्थान टिनेन्सी बिल, १९५३, के स्टेटमेण्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखते हैं तो मालूम होता है कि इस बिल को क्यों पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाना आवश्यक है। इसमें लिखा है :-

"Since the integration of the various States in the State of Rajasthan the need for uniform Tenancy Law for the whole of the State is being increasingly felt. Very few of the integrating Units had enacted Tenancy Laws and the diversity of conditions prevailing in different parts of Rajasthan in respect of land tenures and relations of tenants and land-holders have been causing serious difficulties in administration. A Bill was introduced in 1952."

श्री अध्यक्ष--It is not necessary to read the whole of it. The members have got a copy.

श्री मानसिंह--Two lines more.

श्री अध्यक्ष--No.

रावत श्री मानसिंह--इसको देखने से हमको यह मालूम होता है कि सरकार पूरे राजस्थान के लिये लेण्ड टिन्योर सिस्टम को बदलना चाहती है और एकीकरण करना चाहती है। ऐसी अहमियत की चीज को आप पब्लिक ओपीनियन के लिये नहीं भेजना चाहते तो यह आपकी मर्जी है। फिर भी एकीकरण के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो टीनेन्सी का एकीकरण है इसमें सरकार को जल्दी नहीं करना चाहिये, धीरे धीरे चलना चाहिये जिससे किसी प्रकार को किसी को शिकायत नहीं हो। आप जानते हैं कि राजस्थान की सर्विसेज के एकीकरण में आपको ५ साल लगे हैं। (घंटी) इसमें ज्यादा से ज्यादा दो वर्ष लगेंगे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें और इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट करें।

श्री गोपीलाल यादव--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अमुमन बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा करते है और उन्हीं को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजते हैं जिनको हम खतरे में डालना चाहते हैं। जब माननीय सदस्य की यह राय है कि यह एक अहम बिल है तो इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिये

[श्री गोपीलाल यादव]

और पब्लिक ओपीनियन के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये। इसके लिये तो मैंने लड़ाई लड़ी थी कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसको जितना जल्दी पास किया जावे उतना ही अच्छा होगा, जिससे झगड़े से बचेंगे। इसलिये यह सिलेक्ट कमेटी में ही जाना चाहिये।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो अहम मसला माननीय मानसिंहजी ने सदन में रखा है और जिसके लिये आपने पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट करने के लिये कहा है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अहम मसले को तो जल्दी तय किया जाना चाहिये और उसे पब्लिक ओपीनियन के लिये नहीं भेजा जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जितने सदस्य हैं उनकी भी यही राय होगी जो श्री गोपीलालजी ने राय दी है। उन्होंने कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये। मुझे इस पर ज्यादा आर्ग्युमेंट में नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जावे जिससे उसके बाद हम इसको जल्दी पास कर सकें।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment put in by Shri Man Singh that the Bill be circulated for eliciting public opinion be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendmen is lost.

(विराम)

The question is that the Rajasthan Tenancy Bill, 1953, be referred to a Select Committee, consisting of the personnel which will be announced just now.

(स्वीकृत)

The motin is accepted.

राजस्थान अधिसम्पत्ति (एकीकरण तथा खण्ड-निरोध) विधेयक, १९५३

I shall now mention the personnel for the Rajasthan Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Bill, 1953. The personnel are :—

1. The Minister-in-Charge.
2. Shri Lal Sinha.
3. Shri Sajjan Singh.
4. Shri Madho Singh of Bhenswara.
5. Shri Bhopal Singh.
6. Shri Jayendra Singh.
7. Shri Chhatar Singh.
8. Shri Jaswant Singh.

[श्री अध्यक्ष]

9. Shri Kumbha Ram Arya.
10. Shri Motilal Jain.
11. Shri Badri Prasad.
12. Shri Hardeo Joshi.
13. Shri Madholal Khanpuria.
14. Shri Sampat Ram.
15. Shri Triveni Shyam.
16. Shri Moti Ram Chowdhri.
17. Shri Mathura Das Mathur.
18. Shri Tej Raj Singh.
19. Shri Bhim Singh.
20. Shri Sheodan Singh.
21. Shri Damodar Vyas.
22. The Advocate General.

(विराम)

As the personnel of the Select Committee consists of more than 15, is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

The motion is accepted.

(विराम)

Now we come to next item.

(श्री एच. के. व्यास के सदन में प्रवेश करने पर विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)

Shri Jai Narain Vyas.

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १९५३ (क्रम में)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—On a point of information, Sir, you just said that the names of the personnel of the Select Committee on the Tenancy Bill will be announced just now.

श्री अध्यक्ष—That has been announced.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Both have been announced ?

श्री अध्यक्ष—If you want I can again announce.

श्री अवनिकुमार—I would like that.

श्री गोपीलाल यादव—It may be announced again.

श्री ग्रध्यक्ष—It was in the proposal made by the Minister-in-Charge. If you want I repeat it.—

1. The Member-in-Charge.
2. Shri Ramjilal Yadav.
3. Shri Damodar Vyas.
4. Shri Harlal Singh.
5. Shri Sohan Lal Bhatnagar.
6. Shri Roshan Lal.
7. Shri Mathura Das.
8. Shri Nathuram Mirdha.
9. Shri B.N. Joshi.
10. Shri Kumbha Ram.
11. Shri Khet Singh.
12. Shri Kapil Deo.
13. Shri Taj Pal.
14. Shri Lal Bahadur.
15. Shri Balbir Singh.
16. Shri Lal Sinha Saktawat.
17. Shri Jaswant Singh.
18. Shri Bhairon Singh Khejarla.
19. Maharawal Shri Sangram Singh.
20. Shri Himmat Singh (Kunadi).
21. Shri Sajjan Singh.
22. Shri Devi Singh.
23. Shri Jawan Singh.
24. Shri A.K. Mookerji,
25. Shri Gopi Lal Yadav.
26. The Advocate General.

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव से—Your name is there.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने रिपोर्ट के टाइम के बारे में अर्ज नहीं किया था। मेरा यह निवेदन है कि अगले सेशन के फर्स्ट वीक तक के लिये टाइम नियत कर दिया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष—In regard to the other bills also.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--Is it the leave of the House?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

राजस्थान मंत्री-गण वेतन (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री जयनारायण व्यास-Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to amend the Rajasthan Minister's Salaries (amendment) Bill, 1953.

मैं इस बारे में पहले ही अर्ज कर चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष --Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री जयनारायण व्यास--Sir, I withdraw the Bill.

राजस्थान जिला मंडल विधेयक १९५३ (अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष-Yes. Before we take into consideration the Rajasthan District Boards Bill, 1953, from clause 147 onwards, I am very sorry to inform the House that inspite of my announcement that all amendments should be given on the 9th by 3.00 o'clock, Members have been tendering their amendments till yesterday and till today.

I am sorry but I cannot ignore the privilege of the Hon'ble Members of this House that they must receive all amendments in sufficient time so that they may given their full consideration. In view of this and in view of the great inconvenience that is caused to the Secretariat—they have to cyclostyle and make available all these amendments to the Hon'ble Members—I have disallowed all these amendments.

खंड १४८

We now come to Clause 148. There is one amendment to this clause by Shri Shyam Lal Goel.

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)--इस क्लॉज के सब क्लॉज (१) की दूसरी लाइन में 'and' और 'shall' के बीच में 'there' शब्द रह गया है जो जोड़ा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

Page No.52

मेजर आपजी रघुवीरसिंह--On a point of order, Sir, is it right that before an amendment is moved, it is accepted by the Minister-in-Charge?

श्री अध्यक्ष—Everthing is right provided the leave is granted.

मेजर आपजी श्री रघुवीरसिंह--Sir, the amendment was not moved.

श्री अध्यक्ष–It is only a grammatical error which has crept into the Bill through oversight. But the Minister-in-Charge accepts it. So is it the leave.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री विधि)--It is a formal amendment.

श्री अध्यक्ष--Is it the leave of the House to grant this amendment?

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 148, as amended, stand part of the Bill, Bill.

(स्वीकृत)

Clause 148, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १४९

Now we come to clause 149. There are no amendments from Clauses 149 to 153. The question is that....

श्री मानसिंह महार--Shri I opposo section 149.

श्री अध्यक्ष–You wero a member of the Seloct Committeo. I presume you had given full considration to these clauses.

श्री मानसिंह महार--I oppose this clause.

श्री अध्यक्ष—We take it as opposed.

श्री मानसिंह महार--I want to give my reasons.

श्री अध्यक्ष —Order, please! Now the question before us is that we refer Bills to a Select Committee in order that its consideration may be facilitated and the members of the Select Committee should consider every clause, and every word of the Bill. That is why we do not take into consideration Bills without their being referred to Select Committees. When the Members of the Select Committee agree with the verdict of the Select Committee and do not append any "Note of Dissent" but come here in the House and oppose it, I do not think it is necessary for this House to consider it. We have been sick of this.

श्री मानसिंह महार--मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया था।

श्री अध्यक्ष—There is no "Note of Dissent."

श्री मानसिंह महार--यह मेरी गलती नहीं है। फाइल में नोट ऑफ डिसेन्ट मौजूद है।

श्री अध्यक्ष--The Note of Dissent is that you will give details of sections later on............

श्री मानसिंह महार--The Note of Dissent is clear.

श्री अध्यक्ष--Order! It will be unfair to this House if once a Member has appended his signature to the Report of the Select Committee, and having agreed to that, he wants to inflict the same arguments before the House and waste the time of the House. I will give you time on any further occasion. It is very unfair to this House to inflict the same arguments over and over again. If the House wants to give such latitude to Hon'ble Members I have no objection, but I will like to state that then it will be no use referring Bills to Select Committees and wasting the time and money of the House by referring bills to Select Committees. When on every clause, Hon'ble Members, who were members of the Select Committee, lay protest to this Bill. I want to know the wish of the House, whether the House wants that every clause should be read because I have received notices for deletion of practically every clause. In hat way it will be difficult to proceed with the business of this House. I want the special wish of the House to be expressed on this, whether the House wants to give this special latitude to Hon'ble Members or not ?

(ध्वनियें 'no, no')

श्री कानसिंह--जो आपने बातें कहीं हैं मैं उस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। अगर सिलेक्ट कमेटी में किसी सदस्य के बिमार हो जाने की वजह से या और किसी वजह से वह नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दे सका है······

श्री अध्यक्ष--Not for a m n b r who was ill. It is for a Member who was present in the House, for whom no pretension can be accepted.

श्री कानसिंह--और उसके पास ऐसे ग्राउन्ड्स हैं जिन ग्राउन्ड्स को वह इस सदन में पेश करना जरूरी समझता है तो वह उन ग्राउन्ड्स की ओर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। वे कारण प्रेस के जरिये, अखबारों के जरिये पब्लिक के सामने जा सकते हैं कि अमुक सदस्य ने अमुक कारण उस चीज के विरोध में बताये जो वाजिब थे या गैर वाजिब; उनको पब्लिक और सदन के सदस्यों को जानने का हक है।

और उस सदस्य को उसे सदन के सामने रखने का भी हक है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे विचारों को जिससे सदन का और पब्लिक का, दोनों का, हित हो सकता है व्यक्त करने की इजाजत दी जानी चाहिये।

Page No.54

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, जहां तक हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस का सवाल है वहां तक कोई क्लॉज स्पेसिफिकेली प्रोवाइड नहीं करता कि आया क्लॉज बाई क्लॉज किसी भी बिल को लेने के बाद किसी भी क्लॉज के ऊपर किसी भी सदस्य को जो सिलेक्ट कमेटी में रह चुका है और जिसने वहां बिल को सपोर्ट किया है अपोज नहीं किया है, वहां उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा।

लेकिन कस्टम और प्रेक्टिस यह है कि जो सिलेक्ट कमेटी का सदस्य रह चुका है उसे कमेटी में अपनी असेन्ट देने के बाद सपोर्ट करना ही चाहिये, पर इस समय सदन के पास मसला यह है कि क्या एक कमेटी के सदस्य ने जिस समय प्रोसीडिंग्स सिलेक्ट कमेटी के पास चल रही थी, उस समय अपनी कंकरेंस जाहिर की या नहीं? यह उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ हमें मालूम हो सकता है और उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक सदस्य ने अपनी यह मान्यता जाहिर की और अगर यह मरजी जाहिर की गई कि मैं यह सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे इत्तिफाक नहीं रखता और आगे भविष्य में अपना नोट ऑफ डिस्सेंट देने की इच्छा करे तो यह जरूर जाहिर कर सकता है; पर जैसा कि सदन की जानकारी में लाया गया है कि उस माननीय सदस्य की स्थिति ऐसी नहीं रही कि वह नोट ऑफ डिस्सेंट वक्त से दे सकता।

श्री अध्यक्ष--You are repeating the same thing.

श्री जवानसिंह--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस विशेष परिस्थिति में क्या उस सदस्य को अधिकार है या नहीं कि वह किसी भी क्लॉज का विरोध कर सके और हमें जहां तक जानकारी है इस सदन की बैठक होने के वक्त भी वे (श्री मानसिंह महार) उपस्थित नहीं थे तो इससे कम से कम यह चीज तो साबित हो जाती है कि वे बीमार अवश्य थे और वे अमेन्डमेंट भी नहीं दे सके इसी वजह से।

श्री अध्यक्ष--The Hon'ble Members have not followed. These amendments are no from him. They ar from another Member who neither says he was ill nor he says he dissents from the Select Commi tee Repor . He has tabled these amendments and he has tabled them after the time that was prescribed under the rules. This was for that.

श्री भैरूंसिंह (डि. नं० १६)--माननीय अध्यक्ष, मुझे निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष--No, n

श्री भैरूंसिंह (डि. नं. १६)--मैं अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--Order ! Your position has been clarified by the amendments when they are tabled after time.

I would like to ascertain the wish of the House whether we shall have to proceed with the Bill in this way.

श्री भैरूंसिंह वांता रामगढ़ (डि. नं. १६)--On a point of explanation, Sir,......

श्री अध्यक्ष—No explanation. What is the wish of the Leader of the House ?

श्री जयनारायण व्यास—I oppose this sort of thing.

इस वक्त सिलेक्ट कमेटी के एक मेम्बर का कहना, मैं तो कहता हूं, वाजिब बात नहीं है। यह हो सकता है कि वे बीमार हों किन्तु बीमार होने से सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर असर नहीं हो सकता। बीमार होने की स्थिति में तो यह बिल भी पास हो सकता था, कोई भी बिल पास हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, I want to know whether the Draft Report of the Select Committee was made available to the Hon'ble Member before it was presented before the House.

श्री अध्यक्ष—Yes, yes. You ask the Hon'ble Member.

श्री भैरूंसिंह (डि. नं. १६)—मुझे इसमें अपनी पोजिशन क्लीयर करनी है।

श्री अध्यक्ष—Order! order !! You keep order. I would like to say that I had made it pointedly clear that all amendments regarding this Bill will be considered only if they are received before 3 P.M. of 9th September. That was after relaxing the rules. I had also said that if you table any amendments after the specified time I am not going to accept them..........

श्री भैरूंसिंह (डि. नं. १६)—जहां तक समय का सवाल है मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Order. ! You will keep decorum. No member should dare speak when the Speaker is standing.

श्री भैरूंसिंह (डि. नं. १६)— पर जब ऐसा,....

श्री अध्यक्ष—Order ! order please !

श्री अध्यक्ष—Mr. Mahar, you want to express your views over which clause ?

श्री मानसिंह महार—क्लॉज १४६ ?

श्री अध्यक्ष—I have put the question. The motion is... There are no amendments to Clauses 149 to 153. So the motion is that Clauses 149, 150, 151, 152, and 153 be accepted.

(श्री मानसिंह खड़े हुए)

(श्री मानसिंह से) Yes.

Page No.56

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, मुझे क्लॉज, १४९ से सख्त विरोध है। यह एक बड़ी ही घातक सैक्शन है जो कि भविष्य में चलकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फाइनेन्सेज को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज में यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिबेन्चर्स इश्यू करके ओपन मार्केट में लोन रेज कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, इसके बारे में माननीय अध्यक्षजी, मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि जिस समय जयपुर का नया मौजूद. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हुआ उस समय लाखों रुपया जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जमा था, लेकिन जब पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को मालूम हुआ कि उनके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिजोल्व किया जा रहा है तो उन्होंने लाखों रुपयों में से बहुत बड़ी रकम को एक महीने के अन्दर तालाबों के ठेकों में और स्कूलों वगैरह में खर्च कर दिया। आप यह विचार कर सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी रकम एक महीने में खर्च होती है तो बोर्ड की क्या बहबूदी हो सकती है? इसके बाद जो बची खुची रकम थी उसके अन्दर हमारे नये जो सदस्य आये थे उन्होंने मनमानियां करनी शुरू करदीं और यहां तक उनकी मनमानी चली कि, अध्यक्ष महोदय, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया कि हमारे बोर्ड के जो चैयरमैन महोदय हैं, उनको ५००) माहवार का स्टिपेन्ड दे दिया जाय और उस प्रस्ताव को जब मैंने इस सदन के फ्लोर पर आज के तीन दिन पहले चैलेंज किया था उसी दिन बोर्ड में यह इन्स्ट्रक्शन पहुंची कि इस ५००) के स्टिपेन्ड को रिडयूस करके २००) रुपया कर दिया जावे और उस बोर्ड में इस प्रकार का प्रस्ताव पेश होने वाला है।

(बीच में टोकते हुए)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—

This is false.

श्री मानसिंह महार—फाल्स (झूठ) कहने वाले फाल्स (झूठी) बातें कहते हैं। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि इस प्रकार की बात हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष, तो जिस तरह से ये बातें होती हैं उस स्थिति में अगर इस बिल की धारा पास हो जावेगी तो बोर्ड यह करेगा कि जब उसके सदस्य यह देखेंगे कि अब तो हमारी मियाद खतम होने वाली हैं और रुपया पास नहीं हैं तो वह इस अधिकार के अन्तर्गत लोन्स फ्लोट करेंगे और फ्लोट करके जब उनकी मियाद खतम होने वाली होगी तो उस समय उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। जहां पर उनकी पार्टी को वोट प्राप्त होने की उम्मीद होगी वहां तालाब आदि बनवाएंगे, कुए आदि खुद बनवाएंगे और इस प्रकार के काम करके अपने वोटों को सुरक्षित करेंगे और यही नही करेंगे, माननीय अध्यक्षजी, उनके इन कारनामों का परिणाम यह होगा कि जब वह कर्जा बोर्ड पर हो जावेगा और नया बोर्ड बनेगा तो उस विचारे को इस कर्ज को चुकाना पड़ेगा।

तो ऐसी सूरत में इस प्रकार का जो घातक क्लॉज है इस सदन में मैं उसको पास कराने में अपने आपको एसोशियेट (associate) नहीं कर सकता हूं और मैं जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में इस सदन के फ्लोर पर कह सकता हूं उतने कड़े शब्दों में, इस घातक क्लॉज का विरोध करता हूं और कम से कम इस ओर के सब सदस्यों से और उस ओर के भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सदस्यों से, जो इस प्रकार की

[श्री मानसिंह महार]

बातों को भुगत चुके हैं और जिनको बहुत ही कटु अनुभव इन बातों का है, अपील करूंगा कि वे मेरी इन बातों का समर्थन करें और मेरे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को यह बता दें कि इस प्रकार की बातें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और जनतन्त्र के इस युग में इस प्रकार की घातक चीजें आप कर नहीं पावेंगे।

(११.५० पर सभापति, श्री राज हिम्मतसिंह अटरू, पदासीन हुए)

श्री कानसिंह—सभापति महोदय, श्री मानसिंहजी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनकी बातों की ताईद करता हूं और सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इस प्रकार कर्ज लेने का अधिकार दे दिया तो इससे जनता का आयन्दा बहुत बडा नुकसान होने वाला है। हमने इसी सदन में देखा है कि फाइव इयर प्लान और फेमीन का रुपया किस प्रकार बांटा गया, अकाल का रुपया किस तरह बांटा गया। इन रुपयों को, किस प्रकार सत्तारूढ दल ने, अपने क्षेत्र में फेंका इन सब बातों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में जो यह कर्जा लेने का एक नया सोर्स निकाला गया है मैं यह अच्छी तरह कह सकता हूं कि इसका अवश्य दुरुपयोग किया जायगा और खास कर अब जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का विधान बदला है, उसके मुताबिक जो नोमीनेटेड मेम्बर रखे गये हैं और नोमीनेटेड मेम्बर रखकर जो एक आजादी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, अपनी पार्टी को खास तौर से मेजोरिटी में बदलने की तजवीज की गई है तथा मेजोरिटी पार्टी के हाथ में इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं, इससे पब्लिक के साथ बडा अन्याय होगा; यह पब्लिक के साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट (Criminal breach of trust) है।

श्री मोतीलाल—माननीय सदस्य कौन से क्लॉज पर बोल रहे हैं?

श्री कानसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं क्लॉज १४९ पर बोल रहा हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मेम्बरों को हाउस में ऊंघने का अधिकार है?

श्री मानसिंह (दांता रामगढ़)—यह प्रिविलेज गवर्नमेन्ट साइड के सदस्यों को है।

श्री सभापति (श्री **राज हिम्मतसिंह**)—Order! Order!!

श्री **चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)**—(श्री कानसिंहजी से) क्या माननीय सदस्य १४५ वें क्लॉज पर बोल रहे हैं, वह तो पास हो चुका।

श्री **कानसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय सभापति जी, मैं क्लाज १४९ पर बोल रहा हूं माननीय उप-मंत्री जी शायद कम सुनते होंगे।

इस संबन्ध में मेरा इतना ही कहना है कि जो लोन्स के लेने के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अधिकार दे दिये गये हैं और वह भी अनलिमिटेड लोन्स के अधिकार दे दिये गए हैं। सो उनको इन

Page No.58

[श्री कानसिंह]

रुपयों से अपनी पार्टी का तरह तरह का काम करने का मौका मिल जायगा । इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट हासिल करने के लिए उन रुपयों का उपयोग ऐसे क्षेत्र में किया जायगा जहां से अपनी पार्टी को वोट मिल सके। वहां पर वह लाखों रुपया कूए बनवाने में, तालाब खुदवाने में धर्मशालायें, पाठशालायें खुलवाने में खर्च कर दे। इससे यह होगा कि नये चुनाव में आने वाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों के लिए वह कर्जा उतारना बड़ा मुश्किल होगा, उसको अपनी पोजीशन संभालना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस खण्ड का घोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस खण्ड को वापिस लेकर अपने मित्रों के साथ सहयोग बतलायें और जो कुछ यहां कहा जाता है, उसकी कद्र की जाती है; तो इस प्रकार का अपने आप को साबित करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो माननीय सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कर्जा लेने के अधिकारों से वंचित रखने की बात कही है और इसी सिलसिले में उन्होंने बतलाया है कि इस प्रकार कर्जा लेने की प्रणाली से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास काफी पैसा आ जायगा और इस तरह से वे इस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। कई बार, ऐसा हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पैसे की खराबी करता है मगर इसके मायने यह नहीं होने चाहियें कि सिद्धान्तः स्वायत्त शासन संस्थाएं कर्जा लेने के अधिकारों से वंचित कर दी जायें। मैं मानता हूं कि पैसे के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिये, जहां पैसे का दुरुपयोग होता हो उसको रोक कर उसका सदुपयोग करना चाहिये; बजट बनाते वक्त, ठेके देते वक्त उनके खर्च के ऊपर अवश्य रोक लगानी चाहिये। यह स्वयं बोर्ड का अधिकार है कि वह कर्जा ले और बड़ी बड़ी स्कीम्स जनता के हित के लिये अपने हाथ में ले। आजकल आपने राजस्थान में देखा होगा कि कई जगह के बिजलीघर और पानी की व्यवस्था जमाने का काम म्युनिसिपल बोर्ड अपने हाथ में ले रहा है। ऐसी स्थिति में म्युनिसिपल बोर्ड जब बड़ी बड़ी स्कीम्स अपने हाथ में ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए उसके अनुसार उसको अधिकार दिये जाने चाहियें। इस दृष्टि से इसमें यदि किसी प्रकार पैसे का दुरुपयोग होता हो तो उसके लिये हमें सरकार को निवेदन करना चाहिये। सरकार को वह खराबी रोकनी चाहिये उसमें किसी प्रकार की अनियमितता मालूम हो तो सरकार को उसे रोकना चाहिये। किन्तु स्वायत्त शासन संस्थाओं को यदि कर्जा आदि लेने का अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार को नहीं रोकना चाहिये, उनको अधिकाधिक ताकतवर बनाना चाहिये।

आज जो नोमिनेटेड संस्थायें हैं वे ज्यादा दिन तो रह नहीं सकतीं। कुछ दिनों बाद वहां पर भी चुनाव होंगे और अधिक से अधिक प्रजातांत्रिक आधार पर काम होगा। ऐसी सूरत में हमको चाहिये कि हम इन संस्थाओं को ऐसे अधिकार दें ताकि वे अच्छे से अच्छे ढंग पर काम कर सकें।

(११.५० पर अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पुनः पदासीन)

श्री टीकाराम पालीवाल--माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष--Is it necessary to speak ?

श्री टीकाराम पालीवाल--I thought it was necessary. It is only for the Chair to permit, otherwise I will sit.

(आज्ञा की प्रतीक्षा के पश्चात्)

श्री टीकाराम पालीवाल--Am I permitted, Sir, to speak.

श्री अध्यक्ष--Yes.

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज का संबंध किसी दूसरे क्लॉज से नहीं है, यह अपने आप बिलकुल स्वतंत्र क्लॉज है; मेरा भी यह फीलिंग (feeling) है। पहले मैं अपनी कमी को अनुभव करता हूं, पहले मैंने इस क्लॉज को देखा नहीं है। अगर स्वायत्त शासन मंत्री उचित समझें तो मैं सरकार को सजेस्ट करूंगा कि इस पर सरकारी दल में विचार कर लेना चाहिये। मेरा स्वयं का यह विचार है कि यह ठीक है कि कुछ म्युनिसिपल बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार हो सकते हैं जो संभवत: बहुत मानी हुई संस्थायें होंगी; किन्तु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिनका हमारे राजस्थान में नव-निर्माण होने जा रहा है, नई संस्थायें बनने जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कई छोटे डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे और कई बड़े डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे। वैसे भी हमारे राज्य में सारी जनतन्त्रात्मक प्रणाली एक प्रकार से नई है। हमारे लेजिस्लेचर में हम ऊंचे केलिबर की आशा रख सकते हैं किन्तु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में निश्चित रूप से वह केलीवर उतना ऊंचा नहीं रह सकता। जो आशंकायें अन्य सदस्यों ने प्रगट की है उन सब से सहमत न होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि यह ज्यादा पॉवर्स दिये जाने का क्लॉज है। कुछ दिनों के परीक्षण के बाद साल, दो साल के बाद अगर यह जरूरी माना जाय और उचित हो तो इस प्रकार के अधिकार दिये जा सकते हैं। लेकिन शुरू ही में इस प्रकार के अधिकार दे देना मेरे खयाल से उचित नहीं है और आवश्यक तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल इस क्लॉज पर विचार स्थगित कर दिया जाय और सरकार स्वयं इस पर पार्टी में विचार करे; उसके बाद सदन में लिया जायगा तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, क्लॉज को अगर पढ़ा गया होता तो इस किस्म की शिकायत का कोई कारण उपस्थित नहीं होता। आज यह ज्यादा जरूरी है जब कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नये नये बन रहे हैं। चालू संस्थाओं में कुछ बेलेंस रहता है। कुछ आमदनी के जरिये चालू होने से उसके रास्ते खुले रहते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिसकी शुरूआत भी कर्जे के आधार पर होगी, जो कि गवर्नमेण्ट लोन किसी भी संख्या में उनको दिया जायगा। यह बात कहने से कि उनको यह अधिकार नहीं होना चाहिये, तो काम नहीं चल सकता है।

दूसरी बात है कि कर्जा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने मनमाने तरीके से कहीं से ले नहीं सकता। इस क्लॉज में साफ है "with the prior sanction of the Government" और इसके साथ ही है "subject to such rules as may be prescribed". तो कुछ नियम बनेंगे। उन नियमों के मातहत और सरकार की आज्ञा पहले प्राप्त करने के बाद उनको स किस्म का कर्जा दिया जा सकता है। इसलिये इस बात पर शंका का जो कोई भी कारण हो सकता

[श्री रामकरण जोशी, (स्वायत्त शासन मंत्री)]

है उसकी रुकावट पूरी है। उसमें और उसके बाद बोर्ड के काम में किसी किस्म की बाधा नहीं हो, जो काम उस जिले के उत्थान के लिये जरूरी हों, और जिस काम को इम्पोर्टेंस स्टेट गवर्नमेण्ट मंजूर करती हो और बोर्ड पर भी स्टेट गवर्नमेण्ट विश्वास करती हो। ऐसी सूरत में उन नियमों के अनुसार जो लेन लेने के नियम बने हुए हैं यह लोन लिया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जिन मित्रों ने जिन जिन शंकाओं के आधार पर अपना अमेण्डमेण्ट प्रस्तुत किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वे उसे वापिस लेलें।

श्री अध्यक्ष--It is only an expression of views to that effect.

श्री टीकाराम पालीवाल--विरोध नहीं किया, अपील की है; पार्टी में विचार किया जाय। पार्टी के सामने नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—It is not an amendment.

श्री टीकाराम पालीवाल--स्थगित करके विचार करने में आगे की क्लॉज के विचार में बाधा नहीं पहुंचती है। पार्टी में एक दफा मौका होना चाहिये। कोई बात पार्टी फूटिंग पर करनी होगी तो गवर्नमेण्ट से हम पार्टी के अन्दर बैठ कर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष--The question is that Clause 149 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 149 is added to the Bill.

खण्ड १५०-१५२

Clause 150, 151 and 152.

(विराम)

The question is that Clauses 150, 151, and 152 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 150, 151 and 152 are added to the Bill.

खण्ड १५३

Clause 153.

(विराम)

The question is that Clause 153 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 153 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 154. Shri Abani Kumar.

Page No.61

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—संशोधन इस प्रकार है—

(1) "Insert the words 'or a tractor-trailer or cart used for Agricultural purpose' after the words 'Motor Vehicles Act, 1939' in part (b)."

(2) "Insert the words 'Other than bullocks and camels purchased for agricultural purposes' after the word 'animals' and before the words 'sold in such market' in part (d)."

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो संशोधन रखे हैं वे सेक्शन १५४ की सब क्लॉज (बी) तथा (डी) पर हैं। क्लॉज (बी) जो है वह किन मोटरों पर टोल टैक्स लगाया जाय इससे संबंध रखता है। क्लॉज (बी) को देखने से पता चलता है कि मोटरों को टोल टैक्स से एक्जेम्प्ट (मुस्तसना) कर दिया गया है। मैंने जो संशोधन पेश किये हैं उनके अन्दर मैंने मोटरों के अलावा ट्रैक्टर, ट्रेलर अथवा कार्ट (tractor-tailer or cart) तथा सब क्लॉज (डी) बैलों तथा ऊंटों के बारे में जो खेती के काम में आते हैं, कहा है; सिर्फ खेतों के काम में आते हैं उन्हें टोल टैक्स से एक्जेम्प्ट कर दिया जाय, यह संशोधन हाउस के सामने पेश किया है। उनके अनुसार राजस्थान मोटर वेहिकल्स एक्ट में ट्रेक्टर्स भी एक्जेम्प्ट हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेकेनिक कल्टिवेटर्स को प्रोत्साहन देने के लिये, काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिये इन संशोधनों को स्वीकार करलें। इस पर ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये अपना संशोधन हाउस के सामने प्रस्तुत करके अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज साफ है और सरकार को ये संशोधन मंजूर नहीं हैं। इसमें कोई ऐसी दलील नहीं है, जिसका जवाब दिया जाय। माननीय सदस्य का यह कहना है कि ट्रेक्टर, ट्रेलर पर टैक्स नहीं लगना चाहिये और सरकार का ऐसा विचार है कि लगना चाहिये; इसलिये संशोधन स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendments moved by Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

(विराम)

The question is that Clause 154 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 154 is added to the Bill.

खण्ड १५५

Clause 155.

(विराम)

The question is .....

श्री **भैरोंसिंह** (वि० सं० १६)—मुझे इसका विरोध करना है ।

श्री **अध्यक्ष**—You were a Member of the Select Committee.

श्री **भैरोंसिंह**—मैं मेम्बर था, लेकिन मैंने एक भी मीटिंग अटेण्ड नहीं की । न मुझे कोई सूचना दी गई, न सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास आई; ताकि मैं नोट ऑफ डिसेन्ट पेश करता ।

श्री **अध्यक्ष**—There is no Note of Dissent also.

श्री **भैरोंसिंह**—मैंने....

श्री **अध्यक्ष**—All right.

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Before we proceed with the next business, on a point of information, Sir.....

श्री **अध्यक्ष**—Order ! Order !!

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—On a point of information, Sir, has the House considered my leave application and what is the decision on that application ?

श्री **अध्यक्ष**—You enquire .. from the office. It has not been received.

श्री **एच० के० व्यास**—That is what I wanted to know.

श्री **भैरोंसिंह** (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज १५५ में मेरा मतभेद है, जो यह है कि इस क्लॉज को इस कानून में रखना बिल्कुल ही गैर आवश्यक है । इस क्लॉज के द्वारा इस बात का प्रोविजन है कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किसी जमीन को पब्लिक इन्ट्रेस्ट में अपने कब्जे में लेना चाहे तो वह सरकार से अपील करके अपने कब्जे में ले सकती है और अपने कब्जे में लेने का तरीका वही होगा जो लेण्ड एक्विजीशन एक्ट में है, जो कि इसी सदन में गये अधिवेशन में पास किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें निवेदन करना यह है कि हमने गत अधिवेशन में एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम लेण्ड एक्विजीशन एक्ट है और उस एक्ट में हमने इस बात को जरूरी समझा कि सरकार को कभी इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि कोई जमीन या कोई मकान पब्लिक इन्ट्रेस्ट (Public interest) के लिये सरकार के कब्जे में आना बिल्कुल ही आवश्यक है और उसमें कलेक्टर साहब को इस बात का अधिकार दिया है कि यदि डिप्टी कलेक्टर इस बात को जरूरी समझे कि उस मकानको हमारे कब्जे में लेना चाहिये तो मकानका सारा ऐस्टीमेट (estimate)सारा प्लान बना कर गवर्नमेंट के पास भेजदे कि गवर्नमेंट स्वीकार कर ले और जिस प्रकार कम्पेन्सेशन (compensation) देने का तरीका है उस तरीके से कम्पेन्सेशन देकर उस मकान पर अपना अधिकार कर ले । इस क्लॉज के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए यह चीज रखी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यदि जमीन चाहिए, पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिए, तो वह किसी जमीन या मकान पर कब्जा करना चाहे तो वह भी उसे कानून के जरिये कर सकते हैं जो कानून पहले बना दिया गया है । उसमें इसकी कोई रुकावट नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस

[श्री भैरोंसिंह (दाँतारामगढ़)]

जमीन या मकान को लेना जरूरी समझे तो वह कलेक्टर साहब के पास दरख्वास्त पेश नहीं कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के पास वैसे दरख्वास्त पेश की जा सकती है। कलेक्टर साहब यदि आवश्यक समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस जमीन की मांग कर रहे हैं, जिस मकान को लेना जरूरी समझ रही है, पब्लिक इन्ट्रेस्ट (public interest) में कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कब्जे में वह जमीन या मकान आना बडा ही आवश्यक है तो कलेक्टर साहब उस एप्लिकेशन को उसी एक्ट के मातहत आगे भेजकर सेन्क्शन ले सकते हैं, इसका एस्टीमेट बना सकते हैं, प्लानिंग वगैरह करके कम्पेन्सेशन उस व्यक्ति को दे सकते हैं। हमारे पास पहले से कानूनी प्रोवीजन है जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सुविधा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कलेक्टर के मारफत जो जमीन या मकान वे चाहते हैं वह कब्जे में करें। इस चीज का यों विरोध करता हूं कि एक कानून के द्वारा कोई राहत मिली है, एक कानून के द्वारा उसके उपयोग से उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं तो दूसरी यह क्लॉज रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि माननीय उप मंत्री महोदय ने कल फरमाया था कि इस कानून में कई ऐसे क्लॉज हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं है और फायदा नहीं है, इसलिये मुझे यह निवेदन करना है कि अगर कानून से कोई चीज ऐसी है जिससे कोई फायदा नहीं है या जिससे तनिक भी फायदा नहीं है तो उसे कानून की किताब में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये; नहीं तो दुनियां समझेगी कि अगर इसकी आवश्यकता नहीं थी तो इसको लगाया क्यों गया या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है और यह लोगों के मस्तिष्क में उलझन पैदा कर देता है। जब कि हम लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत कलेक्टर की मारफत किसी स्थान पर अधिकार कर सकते हैं तो इस क्लॉज को इस बिल में से हटा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री कानसिंह—क्लॉज १५५ के बारे में अभी जो वजूहात श्री भैरोंसिंहजी ने व्यक्त किये उनकी ताईद में मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जब हमने लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट थोड़े दिन पहले पास किया है और जमीन पब्लिक परपज के लिये एक्वायर करने के लिये एक जाब्ता कायम कर दिया है तो उस जाब्ते को छोड़ कर, उस कानून को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, जो एक स्वायत्त शासन संस्था है, ऐसे अख्त्यार और क्यों दिये जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि एक स्वायत्त शासन संस्था को इस प्रकार के अख्त्यार देकर जनता के साथ कुठाराघात करना है। आज आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अख्त्यार दिया है, कल म्युनिसिपल बोर्ड कहेंगे कि हमें भी इस तरह का अख्त्यार दो और परसों पंचायतें कहेंगी कि हमें भी यही अख्त्यार दो। हर एक स्वायत्त संस्था को इस प्रकार के अख्त्यार देकर एक प्रकार से उलझन पैदा करना है: इससे जनता की कठिनाइयां, परेशानियां इतनी बढ़ेंगी कि जिसका हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह जो क्लॉज हमारे सामने है उसमें ऐसा कर दिया जाय कि यदि कोई जमीन एक्वायर करनी है तो अपनी राय पास करके गवर्नमेण्ट के पास भेज दें कि हमको फलां जमीन चाहिये.......

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री विधि)—इसमें यही तो लिखा हुआ है।

श्री कानसिंह—ऐसी हालत में कानून को रखने का हवाला नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद--यह तो साफ है ।

श्री गोपीलाल यादव--यदि कहीं स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिये जमीन की जरूरत है तो बोर्ड गवनमेण्ट को लिखेगा कि फलां जमीन की जरूरत है, वह एक्वायर की जावे । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खुद के जमीन एक्वायर करने के पॉवर नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)--माननीय अध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि इसमें तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है । श्री यादवजी ने जो तर्क दिया है वह सही है । श्री कानसिंहजी इसे पढ़ने की कोशिश करते तो उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जो गवर्नमेण्ट को अधिकार मिले हुए हैं उन्हीं अधिकारों के तहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गवर्नमेण्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें फलां जमीन की जनहित में आवश्यकता है, इसलिये दिलाई जाय और उसका वाजिब कम्पेनसेशन हम देंगे ।

श्री भैरोंसिंह--एक बात और क्लियर करदी जाय ।

श्री अध्यक्ष--The question is that Clause 155 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 155 is added to the Bill.

खण्ड १५६-५७

Clauses 156 and 157.

(विराम)

The question is that Clauses 156 and 157 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 156 and 157 are added to the Bill.

खण्ड १५८

We come to Clause 158.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी--On a point of information, Sir. आपने यह फरमाया था कि माननीय मुख्य मंत्री शहर की स्थिति के बारे में अभी स्टेटमेण्ट देंगे ।

श्री अध्यक्ष--Wait, Wait. After 11.00 O'clock he will give the statement. We will stay upto 1.00.

(विराम)

The question is that Clause 158 stand part of the Bill.

Page No.65

(स्वीकृत)

Clause 158 is added to the Bill.

खण्ड १५६-६०

Clauses 159 and 160.

(विराम)

The question is that Clause 159 and 160 stand part of the Bill.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)—There are some amendments to Clause 159.

श्री अध्यक्ष—I am sorry, Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—संशोधन इस प्रकार है:—

(1) "In Clause 159 (1)(b) between the words 'dispensary' and 'maternity centre' insert the word 'Aushdhalaya'.

(2) "In Clause 159 (1)(c), insert the words 'or reading room' between the words 'library' and 'under clause (d)' occurring in line 2."

(3) "In clause 159(2) in second line insert the word 'Aushdhalaya' between the words 'dispensary' and 'maternity centre.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १५६ में मेरे दो-तीन अमेण्डमेण्ट हैं। मेरा पहला अमेण्डमेण्ट यह है कि क्लॉज १५६ (१) (सी) में मैं यह चाहता हूँ कि वर्ड 'रीडिंग रूम' और बढ़ा दिया जाय। जहां लाइब्रेरी है वहां रीडिंग रूम की और गुंजायश होनी चाहिये। इसी तरह से डिस्पेन्सरी और और मेटर्निटी सेन्टर लिखा है उसके बीच में "औषधालय" शब्द और बढ़ा देना चाहिये। आजकल जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनके अन्तर्गत औषधालय चल रहे हैं इसलिये क्लॉज १५६ (१) (ब) में औषधालय और बढ़ाने का मेरा अमेण्डमेण्ट है। इसमें कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे।

श्री चन्दनमल वैद—इन्हें स्वीकार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendments (3)of Shri Goel be accepted.

(स्वीकृत)

The amendments are accepted.

(विराम)

The question is that Clause 159, as amended, stand part of the Bill.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 159, as amended, is added to the Bill.

खण्ड १६०

Clause 160

(विराम)

The question is that Clause 160 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clasue 160 is added to the Bill.

खण्ड १६१-६२

Clause 161 and 162

(विराम)

The question is that clauses 161 and 162 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 161 and 162 are added to the Bill.

खण्ड १६३

Clause 163, Shri Abani Kumar.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी--मैं क्लॉज १६३ में अपना अमेण्डमेण्ट मूव नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष--The question is that clause 163 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 163 is added to the Bill.

खण्ड १६४

Clause 164

(विराम)

The question is that Clause 164 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 164 is added to the Bill..

खण्ड १६५

Clause 165, Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल--मैं क्लॉज १६५ में अपने अमेण्डमेण्ट को मूव नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 165 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 165 is added to the Bill.

खण्ड १६६-७२

Clauses 166 to 172

(विराम)

The question is that clauses 166 167,168,169,170 and 171 and 172 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 166 to 172 are added to the Bill.

खण्ड १७३

Clause 173 , Shri Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"Substitute for the words 'and continuing in force', the words 'while it remains in force' in lines 2 and 3 of the sub-clauses (3)"

क्लॉज १७३ में मैंने एक अमेण्डमेण्ट पेश किया है । मैं समझता हूँ कि उसे मंजूर कर लिया जाना चाहिये क्योंकि क्लॉज की लेंग्वेज ठीक नहीं है उसके वर्ड्स ये हैं:—

"Where the execution or further execution of a resolution or order is prohibited by an order made under sub-section (1) and continuing in force, it shall be etc.etc."

क्लॉज १७३ के सब क्लॉज (३) के दूसरी और तीसरी लाइन में शब्द "continuing in force" लिखा है उससे मतलब साफ नहीं होता, इसलिये मैंने सिर्फ शब्दों में चेन्ज करने के लिये प्रार्थना की है कि "continuing in force" के बजाय "while it remains is force" रख दिया जावे । यह सीधा सा अमेण्डमेण्ट है और मैं समझता हूं कि इससे क्लॉज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । मैं यही निवेदन करूंगा कि इस अमेण्डमेण्ट को मंजर किया जावे ।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री विधि)—"Continuing in force" is all right.

श्री अध्यक्ष (श्री गोयल से)—Do you want to press your amendment ?

श्री श्यामलाल गोयल—I have no objection if.......

श्री अध्यक्ष—Do you want it to be put to vote ?

Page No.68

श्री श्यामलाल गोयल—When the Minister says the language is correct I do not want to press it. I want to withdarw it.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Goel to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री श्यामलाल गोयल—I withdraw.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 173 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Clause 173 is added to the Bill.

खण्ड १७४

Clause 174 has been deleted by the Select Committee.

(विराम)

Clause 175

(विराम)

The question is that Clause 175 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 175 is added to the Bill.

खण्ड १७६

Clause 176, Shri Abani Kumar.

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—Mr. Speaker, Sir, I do not want to move my amendment because I feel there is no chance or reasonable amendments being accepted.

श्री भैरोंसिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १७६ का मुझे विरोध करना है। इस क्लॉज के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि वह चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिजोल्व या सुपरसीड कर सकती है। अब तक इस सदन में हुई सारी कार्यवाहियों को देखने से यह मालूम होता है कि अब तक एक ही विचार-धारा से काम हो रहा है। हमने सरकार को कई अधिकार दिये हैं और जब कभी अधिकारों के देने के संबंध मे वाद-विवाद होता है तो सरकार हमको उस समय आश्वासन दे देती है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा। मगर हम देखते हैं कि सरकार उन अधिकारों

Page No.69

[श्री भैरोंसिंह (१६)]
का हमेशा दुरुपयोग करती जाती है। सरकार उन अधिकारों का उपयोग सद्भावना से नहीं करके दुर्भावना से करती है और अपनी पार्टी को मजबूत करने और विरोधियों को दबाने के लिये उन अधिकारों का खुल कर दुरुपयोग करती है; जिसको हम देखते आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि ऐसा ही प्रश्न अधिकारों का इस बिल के साथ भी है।

अब तक जितने बिल पास किये हैं उनमें सब में इस प्रकार के अधिकार देने का प्रश्न आया और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से यही आश्वासन दिये गये कि यह सरकार पर छोड़ दिया जाये। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों ने हमें आश्वासन देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी और न वे किसी प्रकार की आश्वासन देने में कमी करते हैं लेकिन जब हम उनकी कार्य-प्रणाली की तरफ दृष्टि डालते हैं तो हमें शंका होती है। इसके कई प्रकार के नजारे हमारे सामने आये। जब कभी सदन में वाद-विवाद होता है और सदन के सदस्य अपने विचार प्रकट करते हैं कि ये लोग उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो माननीय मंत्री उसके लिये आश्वासन दे देते और जब वह सदन में आश्वासन दे देते तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाता है और सरकार को अधिकार देने की बात पास हो जाती।

इन दिनों में कुछ ऐसी कार्यवाहियें हुई हैं जिन्हें देख कर हमें शंका होती है। हमने म्युनिसिपल एक्ट में सरकार को इस प्रकार का अधिकार दिया था कि यदि सरकार किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल कौन्सिल को डिजोल्व करना चाहती हो या सस्पेंड करना चाहती हो तो कर सकती है; लेकिन हम देखते हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ। उसकी जिन्दा मिसाल हमारे सामने जयपुर म्युनिसिपल कौन्सिल की है। जयपुर म्युनिसिपल कौन्सिल ने ऑक्ट्राय ड्यूटी के बारे में एक रिजोल्यूशन पास करके उसको हटा दिया; मगर सरकार यह ऑक्ट्राय जनता पर जबरदस्ती थोपना चाहती....

श्री अध्यक्ष--Come to the relevant point.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--It is quite relevant, Sir.

श्री बी० एन. जोशी--He is challenging the ruling of the Chair, Sir.

(घंटी)

श्री भैरूंसिंह--मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि जिस प्रकार जयपुर में म्युनिसिपल कौन्सिल को..........

श्री अध्यक्ष-It has been quoted several times.

श्री भैरूंसिंह (१६)--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसका हमें डर है। हम चाहते हैं कि अधिकारों का दुरुपयोग न किया जाय। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम इस प्रकार की चाबी सरकार के हाथ में दे देते हैं कि सरकार को

[श्री भरोंसिंह (१६)]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या म्युनिसिपल कौंसिल को डिजोल्व करने का अधिकार है तो ऐसी हालत में सरकार जनता की आवाज को कुचल सकती है; चाहे वे संस्थायें जनता की भलाई का काम करती हों, जिससे जनता को राहत मिलती हो। मगर उनकी पार्टी का सम्मान नहीं होता है या उन मंत्रियों का सम्मान नहीं होता है तो वे लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिये जन-हित की परवाह नहीं करते, न जनता की राय की कदर करते हैं और म्युनिसिपल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को डिजोल्व कर सकते हैं।

अब रहा आश्वासन का प्रश्न। पिछले आश्वासनों पर अमल करके यह बतला दिया कि उनके कारनामें ऐसे हैं जिससे हमें उन पर विश्वास करने की अब कोई गुंजायश नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

हम मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक नई संस्था होगी और लोगों को यह समझाना होगा कि उनका क्या कर्तव्य है और जनता को किस तरह से राहत मिल सकती है। बहुत मुमकिन है कि अच्छी नीयत होते हुए भी गलती हो जावे। मगर सवाल आता है नीयत का। यह देखना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बदनियती से कोई काम तो नहीं हो रहा है। इस नीयत के बहाने कोई भी बहाना बना कर सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जब चाहे जब हटा सकती है। यदि अच्छी नीयत से भी लोगों ने काम किया हो तो भी सरकार अगर चाहे तो.... (घंटी)

आज हमारी सरकार ने जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल को सस्पेन्ड किया है जब कि उसके पीछे जनता की आवाज है। इसलिये मेरा विचार यह है कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जावे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पर अपनी अनुमति देंगे कि इस क्लॉज को हटा दिया जाए।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज बिलकुल साफ है। कानून बनाते वक्त किसी एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। किसी एक व्यक्ति के कहने से कानून बनाये और बिगाड़े नहीं जाते। क्लॉज में साफ लिखा है:

"If at any time......a Board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under this or any other enactment, or in exceeding or abusing its powers, the State Government may, after calling for an explanation from the Board.........."

श्री **भैरूंसिंह** (१६)—यह जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल एक्ट में भी था।

श्री **रामकरण जोशी**—उस संबन्ध में हाई कोर्ट में रिट म्युनिसिपल कौंसिल की तरफ से हुई है; हाई कोर्ट में फैसला हो जावेगा।

श्री **अवनीकुमार मुकर्जी**—एक रिट का तो फैसला हो गया।

श्री **रामकरण जोशी**—दूसरी रिट का भी फैसला हो जायगा।

[श्री रामकरण जोशी]

गवर्नमेन्ट यह नहीं चाहती कि किसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए कानूनों का दुरुपयोग करे। जब तक वह किन्हीं कानूनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे तब तक इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब वे अपने मनमाने ढंग से चलें तो उसको रोकने के लिये इस कानून की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह क्लॉज बहुत जरूरी है, इसको रखा जावे। श्री भैरूंसिंह जी ने अपने विचार तो व्यक्त कर ही दिये।

श्री अध्यक्ष--The question is that Clause 176 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 176 is added to the Bill.

खण्ड १७७-१८४

Clauses 177 to 184

(विराम)

The question is that Clauses 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 and 184 be accepted.

(स्वीकृत)

The clauses are added to the Bill.

खण्ड १८५-१९२

Clauses 185 to 200

The question is that Clauses 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 191 to 200 be accepted.

श्री भैरूंसिंह--अध्यक्ष महोदय, एक एक क्लॉज लिया जाए। मुझे १९३ क्लॉज पर विरोध करना है।

श्री अध्यक्ष--Wait. The question is that Clauses 185 to 192 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 185 to 192 are added to the Bill.

खण्ड १९३

Clause 193, Shri Bhairon Singh.

श्री कानसिंह--On a point of order, Sir, I would submit....

अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने यह कहा गया था कि ११ बजे चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेन्ट देंगे। १२॥ बज चुके हैं। (हंसी)

("११॥ बजे हैं" इस प्रकार की सदन में आवाजें)

श्री **अध्यक्ष**—What is the point of order in it? We have not concluded the sitting of the House. He will make a statement, keep patience.

श्री **भैरूसिंह (डि० नं० १६)**—माननीय अध्यक्ष, मैंने क्लॉज १९३ में एक संशोधन रखा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस छोटे से संशोधन को स्वीकार करलें। मैंने संशोधन तो काफी रखे थे किन्तु समयाभाव से वे नहीं लिए जा सके हैं। मेरा संशोधन यह है कि :

"Insert the word 'Judicial' between the words 'such' and 'Officer' occurring in line 5 and 6 of sub-clause (1) of Clause 193".

"..........such judicial Officer as the State Government may appoint...."

मेरे संशोधन में यही बात है कि अपील स्टेट गवर्नमेन्ट के पास न होकर किसी जुडिशियल ऑफिसर के पास होनी चाहिए।

श्री **विशम्भरनाथ जोशी**—I object to this amendment as due notice has not been given.

श्री **अध्यक्ष**—He has expressed an opinion if, the State Government could accept it.

श्री **भैरूसिंह (डि० नं० १६)**—मैंने पहले ही ऐसा निवेदन कर दिया था कि अगर माननीय मंत्रीजी मंजूर कर लेते हैं तो मैं अमेन्डमेन्ट पर नहीं बोलूंगा और यदि नहीं मंजूर करते हैं तो म इस क्लॉज के विरोध में बोलूंगा।

श्री **अध्यक्ष**—I would not allow you to speak twice.

श्री **भैरूसिंह (डि० नं० १६)**—अध्यक्ष महोदय, संशोधन पेश करने की मेरी मंशा यह है कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कार्यवाही से दुख होगा और वह अगर उसके खिलाफ अपील करेगा तो वह अपील स्टेट गवर्नमेन्ट को नहीं की जानी चाहिये, जैसा कि सरकार ने प्रोविजन रखा है कि इस प्रकार की अपील स्टेट गवर्नमेन्ट के पास की जाय। इसमें मेरी मंशा यह है कि इन अपील्स को सुनने के लिए कोई ऑफिसर स्टेट गवर्नमेन्ट की ओर से नियुक्त नहीं किया जाय किन्तु ये अपील्स जुडिशियल ऑफिसर के पास ही पेश की जायं। अगर यह क्लॉज इसी प्रकार से रखा जाता है तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बाहर ही होते हैं और जो व्यक्ति उनके आदेशों से दुखित हुआ है उसको अपील के लिये जयपुर आना पड़ेगा, सेक्रेटेरियट में आना पड़ेगा और स्वायत शासन मंत्री महोदय का दफ्तर ढूंढना पड़ेगा। अगर उसको दफ्तर नहीं मिला तो वह वापिस अपनी तकदीर को रोता हुआ जायगा। अतः इस प्रकार से जिस किसी व्यक्ति को दुख हुआ है, जिस किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती हुई है वह अपील करने के लिये स्टेट के पास न जाकर ज्युडिशियल ऑफिसर के पास जा सकेगा। इसमें उसको समय भी अधिक नहीं लगेगा, और खर्चा भी नहीं लगेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी वहीं होंगे और ज्युडिशियल दफ्तर भी वहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इसमें

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

"Judicial" शब्द इन्सर्ट (insert) कर दिया जाय। अगर "Judical" शब्द इन्सर्ट नहीं किया जाता है तो यह सारा का सारा क्लॉज बेकार हो जाता है और यह चीज दुनिया को दिक्कत पैदा करने वाली है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—अध्यक्ष महोदय, भैरूंसिंहजी ने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूं कि हम उस को मानने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते हैं। उनको इसमें गलतफहमी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ अपील स्टेट गवर्नमेन्ट को नहीं की जावे क्योंकि इसमें हैरानी और खर्चा बढ़ेगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेन्ट पहले ही से इस कार्य के लिये एक आफिसर नियुक्त कर देगी। जिनको अपील करनी होगी वे उसके पास चले जावेंगे और अपील कर देंगे। अब यह कहना कि अपील के लिए जयपुर आना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा आदि; ये सब फिजूल सी बातें हैं। ज्युडिशियल आफिसर पर हम अधिक बर्डन नहीं डालना चाहते हैं और यह उचित भी नहीं मालूम होता। अतः मेरा सदन से निवेदन है कि क्लॉज जो है वैसा ही उसे रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 193 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 193 is added to the Bill.

खंड १९४-२०१

Clauses 194 to 201

(विराम)

The question is that Clauses 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 and 201 stand part of the Bill.

(विराम)

The clauses are added to the Bill.

खंड २०२

Clause 202.

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)—संशोधन के रूप में ले लिया जाय तो मैं उसको मूव कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—It is not necessary. The tax-payer is entitled to inspect the Minute Book. "Any tax-payer" includes everybody.

(विराम)

It is too liberal already. The "Members of the Assembly" need not be inserted.

(विराम)

So it is not necessary for you to speak.

The question is that Clause 202 be accepted.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Clause 202 added to the Bill.

खंड २०३-२०७

Clauses 203 to 207.

(विराम)

The question is that Clauses 203, 204, 205, 206 and 207 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 203 to 207 are added to the Bill.

खंड २० तथा २२

Now we come to the deferred clauses. There are three deferred clauses. Clause 20.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २० के प्रॉविजो में ....

श्री अध्यक्ष—Is there some agreed formula?

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २० के लिए सदन में माननीय श्री गोपीलालजी यादव से बातचीत हुई थी और यह मान लिया गया था कि "and there shall be no appeal on a question of fact" इतना ही रखना है लेकिन क्लॉज १२० प्रोसीजर का क्लॉज है इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सब क्लॉज "ई" को यहां से निकाल कर क्लॉज २२ में सब क्लॉज (४) को इस तरह बना दिया जाय। इससे उसकी मंशा पूरी हो जायगी। It will be thus:—

"(4) An appeal shall lie to the High Court from the order of the Election Court under this section on a point of law only and may be preferred within one month from the date of such order exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof".

श्री गोपीलाल यादव—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

So suk-clause (*e*) will go....

(विराम)

The question is that clause 20 upto clauses (*a*), (*b*), (*c*), (*d*) be accepted, and (*e*) should be deleted.

(स्वीकृत)

Clause 20, as amended, is added to the Bill.

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

The question is that in Cluase 22, sub-clause (4) may be added.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 22, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 22, as amended is added to the Bill.

खण्ड ४५

Now we come to Clause 45.

श्री **श्यामलाल गोयल**—I beg leave to withdraw my amendment.

श्री **अध्यक्ष**—Is it the leave of the House to allow Shri Goel to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

श्री **श्यामलाल गोयल**—I withdraw my amendment.

श्री **अध्यक्ष**—The question is that Clause 45 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 45 is added to the Bill.

खण्ड १०२

Now clause 102.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—माननीय सदस्य इसको समझें। पांच गुना मुआवजा देने का लिख दिया इसके लिये सरकार चाहती है कि वह ऐसा ही रहे।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका कहना ठीक है। But I would like to know what the Minister-in-charge has decided about my suggestion.

श्री **अध्यक्ष**—Nothing can be decided when he opposes it. So it means that 'five times' should be retained ?

श्री रघुराजसिंह—I oppose it because it goes against the Constitution of India, In making compensation..................

Page No.76

श्री अध्यक्ष—Not against the Constitution. It would have been so had it been for profit. It is provided that it may be paid according to law. And this is according to the Acquisition Act.

श्री रघुराजसिंह—But five times and even ten times may not be quite sufficient, and it may be too much also.

Therefore my suggestion is that it should be 'adequate compensation'. Then it includes everything. think it is a reasonable suggesiton and Government should accept it.

श्री अध्यक्ष—(श्री स्वायत्त मंत्री से) He does not want that it should be bound down by 'five times'.

श्री श्रीदास गोयल—कल धारा १०२ को इन्टेन्शनली इस वास्ते आज के लिये रैफर किया गया था कि जो पांच गुना उसकी कोस्ट पर कम्पेन्सेशन देने के लिये प्रोविजन रक्खा गया है वह निस्सन्देह, मैं मानता हूं, किसी भी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के बेसिस पर बेस्ड नहीं है और इसके बारे में यह महसूस करते हुए आपसी बातचीत से कोई सही हल निकाल लिया जावेगा और माननीय श्री रघुराजसिंहजी ने सही हल निकाला था।

श्री अध्यक्ष—I think the Members of the House follow. What is the necessity of prescribing it ?

श्री श्रीदास गोयल—One thing more, Sir. That was that here it is already mentioned that it should not be less than the actual market value. It cannot be more than the market value. From the very cannons of justice, equity and commonsense it appears to be a very strange clause.

श्री अध्यक्ष—"Adequate compensation" means less or more than five times.

श्री चन्दनमल वेद (उप-मंत्री, विधि)—I have no objection.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी— I would like to submit that the word 'adequate' is very vague.

श्री अध्यक्ष—That it will be decided by law. We have got the provision regarding acquisition of land in this Act and that should be decided by the Court.

(राज-पक्ष से)

Have you any objection to accept this amendment,

श्री अवनिकुमार—This is quite clear.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—"Adequate" को तो हम मान लेते हैं। हम तो इसलिये कि कॉम्प्लिकेशन न हो इसलिये पांच गुना मुकर्रर कर रहे थे; पर जैसा श्री अवनिकुमारजी ने कहा कि यह वेग (vague) है तो वैसा वे न समझें। अगर उन्होंने समझ लिया है तो हमने यह "adequate" रखना मान लिया है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—It shall be—

"Provided that in the case of any such projection or structure lawfully in existence at the commencement of this Act, the Board shall make adequate compensation for any damage caused by the removal or alteration."

मेजर श्रापजी श्री रघुराजसिंह—"It shall pay" would be better.

श्री अध्यक्ष—'Making' means 'paying'.

(विराम)

The question is that the amendment to this proviso moved by Shri Raghuraj Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that the amended clause 102 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 102, as amended, is added to the Bill.

(परिशिष्ट)

Now we come to Schedules.

(विराम)

The question is that Schedules I, II and III be accepted.

(स्वीकृत)

Schedules I, II and III are added to the Bill.

खण्ड १

Clause 1, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—I do not want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 1 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

[श्री अध्यक्ष]

संक्षिप्त नाम इत्यादि

Now title and the enacting formula.

(विराम)

The question is that the title and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The title and the enacting formula are added to the Bill.

(विराम)

Yes. Shri Ram Karan Joshi.

श्री रामकरण जोशी--Sir, I beg to move that the Bill, as amended be passed.

श्री अध्यक्ष--Motion moved. There is an amendment by Shri Man Singh of Mahar that the Rajasthan District Boards Bill be recommitted to the same Select Committee.

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष,...............

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)--He cannot move at this stage.

श्री अध्यक्ष--How ?

(श्री मानसिंह महार को सम्बोधित करते हुए)

Under which clause or rule ?

श्री मानसिंह महार--Under rule 146.

श्री अध्यक्ष--(To Shri Man Singh) Which Clause?

श्री मानसिंह--Clause (2) "If any amendment of the Bill is made........"

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--On a point of order, Sir, this particular Rule which the Hon'ble Member has quoted does not empower him to move any amendment at this stage. It only says that the Bill cannot be passed on the same day if an amendment to the motion is received. It does not permit that any other amendment can be tabled.

श्री कानसिंह--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी जोशी जी ने कहा यह जरूरी है कि इस धारा को देखने से सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव अब करना समझ में नहीं आता । लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा। इस रूल (rule) के मुताबिक कि यह हरेक मेम्बर को अख्तियार है कि वह सदन के सामने यह बात रक्खे कि यह बिल पास करने के लिये आज के दिन न लाया जावे । मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल आज न रक्खा जावे ।

श्री अध्यक्ष--This is another objection.

(विराम)

I think I had observed about "the same day" and the observations are quite clear that if the amendments are of such nature that they warrant the Bill to be reprinted and circulated amongst the Members, then it is necessary. Otherwise it is not necessary that the motion may not be made for passing the Bill on the same day. As regards re-committing it to the same Select Committee I do not think it is covered by any of the rules. I rule it out. The question is that ....the Bill be accepted.

श्री मानसिंह महार--थर्ड रीडिंग पर तो बोलने की आज्ञा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--Is it necessary? We will have to observe some decorum. When the Bill was referred to the Select Committee the principles of the Bill were discussed. Then here also it was discussed clause by clause. I have given every opportunity to the Hon'ble Members and now if the Members want to oppose the Bill at this stage, all right, they will have to wait upto 1.00 or 2.00 O'clock and I will give every opportunity.

(विराम)

Now one Member.

श्री भैरूंसिह (वि० सं० १६)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का संबंध है मुझे इसमें कोई मतभेद नहीं । मैं यह चीज मान कर चलता हूं कि किसी भी राज्य में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होना आवश्यक है । लेकिन जिस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण हो रहा है उसकी सारी कार्यप्रणाली से मुझे मतभेद है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्माण के संबंध में हमने इनडाइरेक्ट इलेक्शन रखा है । इसी बात पर इस सदन में कई बार वाद-विवाद हो चुका है लेकिन उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होना अच्छा है, इसके विपरीत किसी की विचार-धारा नहीं हो सकती । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किस तरह बनेंगे, बनाने का तरीका जो इसमें बताया गया है उसमें कोई भी आदमी सहयोग नहीं कर सकता, अगर इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो । पंचायत बोर्ड का इलेक्शन होगा । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बनने से पहले हमें पंचायत बोर्ड का इलेक्शन करना पड़ेगा । पंचायत बोर्ड में सरकार को अधिकार दिया गया है कि सरकार अपनी तरफ से दो व्यक्ति मनोनीत करेगी, एक तो शिडयूल कास्ट का होगा और दूसरा महिला-वर्ग से होगा । यह सरकार की मरजी पर होगा कि वह चाहे उन्हीं दो आदमियों को मनोनीत कर दे ।

[श्री भैरूंसिंह]

दूसरा आपने पंचायत एक्ट के अन्दर यह अधिकार दिया है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति के कारण किसी स्थान पर पंचायत का इलेक्शन नहीं हो और सरकार अगर जरूरी समझे कि इस जगह पर पंचायत बनाना है तो सरकार अपनी तरफ से पूरी पंचायत के सदस्य मनोनीत कर सकती है।

श्री अध्यक्ष—I do not want to intervene nor do I want to partake in the discussions but I want to point out to the Hon'ble Members the scope of debate which is allowed at this stage. Rule 147 says that:

"The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character."

श्री भैरूंसिंह (वि.सं. १६)—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अर्ज करने का मेरा मतलब यह था कि पंचायत एक्ट में हमने यह अधिकार दिया है कि सरकार अपनी तरफ से दो आदमी नोमीनेट कर सकती है। जिस क्षेत्र के अन्दर पंचायत के चुनाव नहीं हो सकेंगे उस क्षेत्र की सारी पंचायतों के नाम सरकार अपनी तरफ से मनोनीत करेगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चुनाव-प्रणाली रखी है कि जो पंचायत के पंच चुने जायेंगे वे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मत दे सकेंगे। मेरा विरोध यह है और जबरदस्त विरोध यह है और इसलिये है कि हर एक पंचायत में दो आदमी सरकार द्वारा मनोनीत होंगे तो कोई भी ऐसी पंचायत नहीं होगी जहां सरकार द्वारा किसी भी आदमी को नोमीनेट न किया गया हो। तो इससे यह होगा कि जो व्यक्ति सरकार द्वारा नोमीनेट किये हुए होंगे उनसे तो कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि वे जितनी सरकार विरोधी संस्थायें हैं और जो सरकार के विरोध में खड़ी होंगी उनको वोट दें और न वे कभी दे सकते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में २० पंचायतें हैं और उन पंचायतों में दो आदमी सरकार द्वारा मनोनीत होंगे तो इस तरह ४० आदमी तो सरकारी पक्ष के हो गये, इसके अलावा एक्सीडेन्टली ऐसी दो-तीन पंचायतें हो सकती हैं जिनके चुनाव न हुए होंगे तो उनमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे वे कभी भी दूसरी विरोधी पार्टियों के पक्ष में मत नहीं देंगे। इस तरह से कोई भी विरोधी पार्टी का सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकेगा। जहां एक वोट के लिए लड़ाई होती है एक एक वोट से सरकारें बदली जा सकती हैं, एक एक वोट से सल्तनत उलटी जा सकती है, राज्य का शासन बदला जा सकता है, हमें एक एक वोटों की कद्र करना है। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में एक वोट की कद्र नहीं सैकडों वोटों की नहीं, हजारों वोटों की कद्र नहीं की गई है, हजारों वोटों की खुली छूट सरकार द्वारा मेम्बरों को मनोनीत करके दी गई है। यह सरकार अपने वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार सदस्यों को नोमीनेट कर रही है। जो सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे उनके ऊपर एक प्रकार से मोरल प्रेशर (moral pressu e) पड़ जाता है कि वे सरकारी पक्ष द्वारा समर्थन किये गये सदस्य को ही वोट दें, दूसरी पार्टी के किसी भी सदस्य को वोट न दें। इस तरह से इस चुनाव में न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इसलिये मेरा जो मतभेद इस चुनाव प्रणाली से है वह बहुत गहरा मतभेद है। इस चुनाव प्रणाली से यह कभी आशा नहीं की जा सकती कि विरोधी पक्ष का सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर हो सकेगा।

[श्री भैरूसिंह]

मैं यह मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक ऐसी संस्था होगी जिससे जनता की रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। हर प्रकार की जनता को राहत मिले जो रोजमर्रा दिक्कतें पेश आती हैं उनको किस प्रकार दूर किया जाय, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम होगा। जनता का इस में पैसा होगा। आज के आर्थिक संकट के जमाने में भी जनता को इस प्रकार के खर्च को उठाना पड़ेगा ताकि जनता अपने क्षेत्र को समृद्धिशाली देख सके, किन्तु यदि उस बोर्ड में एक ही पार्टी का बहुमत होगा, एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो यह एक प्रकार से उन पर जबरन ठोंसना होगा। इसलिये मेरा यह मानना है और यह सही है कि यह जनतंत्रवाद के सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध है, जनता राज्य के विपरीत है, महात्मा गांधी के रामराज्य स्थापित करने के सिद्धान्त के खिलाफ है और साथ में यह महात्मा गांधी के पंचायत राज्य स्थापित करने के सिद्धान्त के भी बिल्कुल विपरीत है। मेरा तो, सरकार की जो प्रणाली है उससे गहरा मत-भेद है। मुझे शंका है और गंभीर शंका है कि इस प्रकार से सरकार यह चाहती है कि विरोधी पार्टी वाले किसी भी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में न आ सकें। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नहीं आ सकेंगे तो जितनी भी विरोधी संस्थायें हैं वे जनता के सामने अपना क्या कार्यक्रम रख सकेंगी, उनको अपनी विचारधारा रखने का मौका ही नहीं आयगा। इसके कारण यह होगा कि दूसरी जो विरोधी संस्थायें हैं उनके खिलाफ ये लोग बरगलायेंगे और कहा जायगा कि इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है और यह कहेंगे कि अगर आप कांग्रेस में होते तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर होते, आपके गांवों में कुए खुदवाये जाते धर्मशालायें होतीं, पाठशालायें होतीं, आदि। इस तरह से प्रलोभन देकर व अपने सदस्य बढ़ायेंगे, अपनी पार्टी को बढ़ायेंगे। मेरी तो यह राय है कि यह तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का मार्ग सरकार ने निकाला है, जनतंत्रवाद के सिद्धान्त के खिलाफ इस प्रकार सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण करना चाहते हैं। यह जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और दूसरों को दबाने का मार्ग है।

दूसरा मेरा विरोध सुपर्सेशन के लिए है। इस क्लॉज का विरोध मैंने पहले भी किया और अब भी कर रहा हूं। यह जनतंत्रवाद के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्माण के साथ साथ सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह चाहे जब बोर्ड के अधिकार को अपने हाथ में ले ले, किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर को सरकार चाहे तो हटा सकती है, दूसरे सदस्यों को हटा सकती है, चेयरमैन को हटा सकती है और इसके साथ अगर वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी खत्म करना चाहे तो कर सकती है और चौथा वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूल्स एण्ड रेगुलेशन(rules an [illegible] regulation) एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बजट को भी खत्म कर सकती है। इस तरह से सरकार ने अपने पास अधिकार रखे हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगर इसी प्रकार सरकार अपने पास अधिकार रखती है तो जनतंत्रवाद यहां कभी नहीं पनप सकता। इन दो बातों को सामने रखते हुए इस पर अगर आप गंभीरता से सोचें तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? इस पर ध्यान दिया जाय तो आपको मेरा दृष्टिकोण सही मालूम देगा। अगर आप विचारपूर्ण दृष्टि से स्थिति का अध्ययन करेंगे तो आपको किसी को भी मेरे मत में विरोध नहीं होगा। फिर मैं एक बार स्वायत शासन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब तक यह इनडाइरेक्ट प्रणाली है इस बिल का निर्माण न होने दें और इसे वापिस लेंज।

श्री **मानसिंह महार** --माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि सिलक्ट कमेटी की रिपोर्ट के समय मैंने अपने नोट आफ डिसेन्ट (Note of dissent) में कहा है कि मेरा इस बिल से फन्डामेन्टल मतभेद है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल की सिलेक्ट कमेटी का भी मेम्बर रहा हूं और जो सिलेक्ट कमेटी ····

श्री **अध्यक्ष**--अगल का भी बता दिया गया है आपको।

श्री **मानसिंह**--जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल की सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर रहा हूं और मेरे सामने जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हाउस ने स्वीकार किया है, किन्तु बडे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस जनतंत्र के युग में, जनतन्त्र की दुहाई देने वाले लोगों ने एक ऐसा बिल सदन के सामने रखा है जो कि का गला घोंट देता है। (हंसी)

माननीय अध्यक्षजी, इस बिल में मेरा जो सबसे बड़ा मतभेद है या कहिये कि विरोध है तो यह है कि यह बिल इन्डाइरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली को प्रोत्साहन देता है। यह बिल यह चाहता है कि ग्राम पंचायतों के ही मेम्बर जो हैं वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों को चुनें। हमारी यह धारणा है कि ग्राम जनता को यह हक होना चाहिये कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों को चुनें, किन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुमत के आधार पर जबर्दस्ती जनता की राय के खिलाफ इस बिल को इस सदन के जरिये जनता पर थोपा जाता है और मैं यह कह देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, कि इस बिल के विरोध में चाहे इस सदन में ८ आदमी हों, चाहे १० हों, लेकिन यह आवाज हम जनता तक पहुंचा देना चाहते हैं कि जो उनकी यह मांग है कि जनतन्त्र के युग में इन्डाइरेक्ट इलेक्शन (अप्रत्यक्ष चुनाव) नहीं होना चाहिये, हम उनकी राय से सहमत हैं और हमारी यह स्पष्ट राय है कि इस जमाने में डाइरेक्ट इलेक्शन (प्रत्यक्ष चुनाव) होने चाहियें।

(१२ बजे मध्यान्ह भोंपू बजने पर)

एक मिनट। यह भोंपू बजे जब तक चुप हो जाऊं। (हंसी)

श्री **अध्यक्ष** --You go on with it.

श्री **चन्दनमल बैद** --It makes no difference.

श्री **अध्यक्ष**--If you close, I will put the question.

श्री **मानसिंह महार** --(अपना भाषण जारी करते हुए) माननीय अध्यक्षजी, जो मेरा इस बिल पर पहला फन्डामेन्टल डिफरेंस (fundamental difference) है वह तो यह है कि ऐसी संस्थाओं में जो इन्डाइरेक्ट इलेक्शन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाता है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

दूसरी इस बिल के अन्दर घोर अन्यायपूर्ण बात जो है वह यह कि सरकार ने अपने हाथ में कई ऐसी बातें रख ली हैं जिनसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुचारुरूप से चलने में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पक्षपातपूर्ण ढंग के अलावा और किसी तरह से चलने की इसको कोई उम्मेद नहीं हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स

[श्री मानसिंह महार]

के ऊपर सरकार ने इतना अंकुश रखा है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को सुपरसीड कर सकती है, और अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जो सरकार एक म्युनिसिपैलिटी को अपने एक प्रस्ताव को रिसाइन्ड (rescind) करने के ऊपर सुपरसीड कर देती है, ऐसी सरकार से हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के साथ किसी प्रकार के अन्याय (हंसी) न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वह म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस पार्टी की थी। मैं कहना चाहता हूं कि वह म्युनिसिपैलिटी चाहे कांग्रेस पार्टी की हो लेकिन जो कुछ एक्शन लिया गया है (समय समाप्ति सूचक घंटी) वह बड़ा ही अन्यायपूर्ण था।

इसके अलावा तीसरी बात जिससे मैं फन्डामेंटली इस बिल से डिफर (differ) करता हूं, वह यह है, माननीय अध्यक्षजी कि इसमें जो सेस का भार लादा गया है वह सिर्फ एग्रीकलचरल (agricultural) क्लासेज पर लादा गया है। दूसरे लोगों को जो गांवों में रहने वाले हैं उन पर किसी प्रकार का भार नहीं लादा गया है। मैंने यह चीज पहले भी कही थी और फिर दोहराना चाहता हूं कि काश्तकार पहले ही करों से लदे हुए हैं। यह और एक कर का भार होगा। वह एग्रीकलचरिस्ट्स (agriculturists) पर नहीं लगना चाहिये.......

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--जागीरदार भी नहीं बचेंगे।

श्री मानसिंह --क्या ?

श्री जयनारायण व्यास --जागीरदारों पर नहीं लादा गया।

श्री मानसिंह महार --जागीरदार कहीं भी जांय। जागीरदारों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यह आवाज जनता की है। (हंसी)

श्री चन्दनमल वैद--कोई बात नहीं। इतना कहने की हिम्मत तो हुई।

श्री मानसिंह महार --अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा फन्डामेन्टली इस बिल से जो डिफरेंस है वह यह है कि इस बिल में आय का जो मुख्य साधन है वह फिर से किसानों को ही बनाया गया है, जो कि भूखे और नंगे हैं (हंसी) मैं यह बता देना चाहता हूं कि इतना सब होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो पैसा होगा वह शहर से मोटे मोटे वकील जाकर (हंसी) खा जायेंगे, लेकिन जनता को उसमें वाजिब लाभ नहीं होगा। उन भूखे और नंगे किसानों का, और हम ग्रामीणों का (हंसी) जो वहां गांवों में रहते हैं भला नहीं होगा। इसलिये मेरा जो तीसरा फन्डामेन्टल डिफरेंस है वह मैंने सदन के समक्ष रखा।

इसके बाद (समय समाप्ति सूचक घंटी) .....

अध्यक्षजी, मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

चौथा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन जो मेरा है, वह मैं सदन के समक्ष रखता हूं। वह चौथा डिफरेंस ऑफ ओपीनियन यह है कि जिस प्रकार मेरे मित्र भैरूंसिंह जी ने कहा था कि ग्राम पंचायतों के अन्दर सरकार

[श्री मानसिंह महार]

ने नोमिनेशन की पद्धति अपनाई है तो नोमीनेटेड (nominated) मेम्बर्स इस प्रकार के होंगे जैसे कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि इस तरह उन्हीं लोगों को नोमिनेट करेंगे जो कि हमारे सपोर्टर (समर्थक) हैं, हम सेबोटेज (sabotage) नहीं करेंगे। तो ऐसे बिल से हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि वह सिर्फ कांग्रेस वालों को ही नोमीनेट करेंगे। वह कांग्रेस वाले अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यून्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में ४०-४० और ५०-५० आदमी इस प्रकार के होंगे, २००-२०० आदमी होंगे तो आप ही सोच लीजिये कि वह तो एक कांग्रेस, यानी सत्तारूढ दल के लिये कॉज ऑफ ए केंत्रक विक्ट्री होगा। उसके अन्दर कोई न्यायपूर्ण चीज नहीं होगी। सत्तारूढ दल होगा वह बड़ी आसानी से ऐसे चुनावों में जीत सकेगा और सत्तारूढ दल इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से जनता की (समय समाप्ति सूचक घंटी) भावनाओं को कुचलना चाहेगा, तो जनता को वाध्य होकर उसका विरोध करना पड़ेगा। उस विरोध से देश में क्रांति आयेगी और क्रांति के साथ देश में साम्य-वाद को बढावा मिलेगा। (हंसी) इससे, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा खतरा उस तरफ (सरकारी पक्ष) बैठने वालों को है ......

(एक आवाज "नहीं है")

श्री मानसिंह महार —(अपना भाषण जारी रखते हुए) जैसा कि मेरे मित्र श्री एच.के.व्यास को टोंक भेज कर साबित कर दिया है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) । तो इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जो ४-५ डिफरेन्सेज हैं वे जब तक तय नहीं होते हैं, मैं इस बिल को हरगिज भी सपोर्ट (support) नहीं कर सकता हूं और सदन से फिर से नम्र निवेदन करूंगा (समय समाप्ति सूचक घंटी) आपके जरिये, अध्यक्षजी, कि अगर थर्ड रीडिंग (third reading) में इस बिल को यह सदन डिस्कार्ड (discard) करदे तो यह सदन और हम सब धन्यवाद के पात्र होंगे ......

(श्री कानसिंहजी खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष —Order! Order!! .

श्री कानसिंह—मैं भी इसके बारे में बोलूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो जाय तो।

श्री अध्यक्ष—No.

The question is that the District Boards Bill, 1953, as amended, be passed.

(स्वीकृत)

This Bill is passed.

(सरकारी पक्ष की ओर से तुमुल करतलध्वनि)

राजस्थान भूदान यज्ञ विधेयक, १९५३

There is a request to me in connection with the personnel of the Select commitee over Bhoodan Yagna Bill, that the name of Rao Raja Shri Sardar Singh may also be added..

[श्री अध्यक्ष]

Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Rao Raja Shri Sardar Singh's name is also added to the personnel of the Select Committee over Bhoodan Yajna Bill.

राजस्थान मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९५३

There is one little item more about the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Bill. The time is very short.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)--Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष--Motion moved.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--Sir, I beg leave to move that this Bill be referred to a Select Committee.

एक माननीय सदस्य--I also support you.

श्री अध्यक्ष--There is one motion more with me saying that the Bill be referred to a Select Committee.

(विराम)

I want the personnel

(विराम)

अ-राजकीय सदस्य कार्य के सम्बन्ध में वाद-विवाद

The Hon'ble Members are very anxious to hear the Chief Minister on the situation of the city. So we suspend the rest of the business we have in hand and if the House so desires we will sit a little longer and can also transact the private members business. It will only mean one hour.

श्री जसवन्तसिंह --Today we would not be able to do it.

श्री अध्यक्ष --What about Mr. Yadav.

श्री गोपीलाल यादव--Sir, the private members business will require at least two days. I request you, Sir, to give two days more and thus to sit on Monday and Tuesday.

श्री अध्यक्ष--That will be.......

श्री गोपीलाल यादव--मेरा निवेदन यह है और आपके जरिये में हाउस के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस असेम्बली को काम करते हुए करीब डेढ़ साल होगया है और इस डेढ़ साल में मुश्किल से दो-तीन दिन प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के लिए दिये गये हैं। कई बिल और प्रस्ताव आपके सामने आए हुए पड़े हैं। यदि इस रफ्तार से हम काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट मेम्बर का एक भी बिल १०० साल तक पास नहीं हो सकेगा। गवर्नमेन्ट को तो उनके बिजनेस के लिये आप जितने दिन चाहें उतने दिन दे देते हैं और प्राइवेट मेम्बर्स के लिये समय नहीं दिया जाता। यह पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होना चाहिये। जिस तरह से गवर्नमेन्ट के बिजनेस को ट्रीट करते हैं उसी तरह से प्राइवेट मेम्बर्स के बिजनेस को भी आपको ट्रीट करना चाहिये। जो बिल आपके सामने प्राइवेट मेम्बर्स का है वह जब तक पास नहीं होजावे आपको उठना नहीं चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह--मैं भी श्री गोपीलालजी के प्रस्ताव का बहुत जोर से समर्थन करता हूं, कम से कम सोमवार का दिन रिजोल्युशन्स के लिये जरूर रखना चाहिये; उस दिन केवल दो रिजोल्युशन्स लिये जा सके थे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एक दिन सोमवार का और देने का मतलब यह है कि २ दिन का और खर्चा दिया जाय। यह फिजूल खर्चा होजायगा और जो छुट्टियों में जाना चाहते हैं उनको भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि सोमवार का दिन और नहीं दिया जाना चाहिये:

श्री अध्यक्ष--There is no question of keeping the business of the House on Monday. What I wanted to know, whether we should sit a little longer today for two hours and transact the private members business?

श्री जसवन्तसिंह--Sir, the time allotted to private members day is according to the time given to the Government. Government business has actually been transacted for not less than about eight or nine days..................

श्री अध्यक्ष--I have allotted one full day to the private members business. If we go and sit a little longer........ all right......As we expect when we meet I will take care to allot sufficeint time so that private members business is very well transacted. So, as the Hon'ble Members are very anxious to here the Chief Minister's statement on the situation in Jaipur; we will here that.

Page No.87

जयपुर में चल रही हड़ताल पर श्री मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—अध्यक्ष महोदय, मुझे लम्बा-चौड़ा कोई वक्तव्य नहीं देना है। इस महिने की दो तारीख को मैं सदन के सामने इस हड़ताल के इतिहास, हड़ताल के कारण और हड़ताल से सम्बन्धित जो तत्व हैं उनके विषय में प्रकाश डाल चुका हूं। उसके बाद स्थिति सुधरने लगी थी और दुकानें खुलने लगी थीं। लेकिन कुछ लोगों के प्रयत्नों से कुछ बातें ऐसी हुई जिनमें सच्चाई की कमी थी। मैंने जो यहां बयान दिया था उसको बहुत तोड़-मरोड़ कर पब्लिक के सामने लाया गया। लोगों में यह फैलाया गया कि मैंने यह बयान दिया है कि जयपुर शहर गुण्डा है, मैं उसे कुचल दूंगा। अफवाएं फैलाने का यहां तक नम्बर चला गया कि दो लड़के मार दिये गये हैं। इसका असर अलवर में हुआ। वहां जब अफवाएं फैलती हैं तो हड़ताल हो जाती है। साथ ही साथ इस विषय में कांग्रेस के लोग भी चिन्तित हुए। उनको कहा गया कि तुम बीच में पड़ो। कुछ व्यक्ति मेरे पास आये थे, कुछ व्यापारी भी आये थे, कुछ कांग्रेस के लोग भी आये थे और जो बातें मैंने सदन में कहीं थीं वे उनसे भी कहीं। मैंने उनसे कहा कि शिड्यूल के अन्दर ऑक्ट्रोय में कमी या बेसी के बारे में कोई राय देना चाहें तो गवर्नमेन्ट उसको सोचने को तैयार है। यह जो बातें मैंने सदन के आंगन पर कही थीं वे ही बातें मैंने सबके सामने दुहराई। ये ही बातें मैंने चेम्बर की मीटिंग में कहीं थीं और यह ही पब्लिक मीटिंग में कही थीं। मेरी स्थिति बिल्कुल एक सी (Consistent) रही है एकसी रही है।

श्री **जसवन्तसिंह**—Here, here.

श्री **जयनारायण व्यास**—**(भाषण जारी रखते हुए)** लेकिन आज जैसा कि सदन को पता है हड़ताल का तेरहवां दिन है।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या बारहवां हो गया ?

श्री **जयनारायण व्यास**—**(भाषण जारी रखते हुए)** इसमें कुछ गुप्त हाथ चल रहे हैं, राजनैतिक दाव-पेंच चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम हड़ताल खोलना चाहते हैं और उसके बाद यों ही वातावरण बिगड़ जाता है। किसी तरह मामला दब जाता है। जहां तक चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स का ताल्लुक है उन्होंने कहा था कि एक दिन की टोकन स्ट्राइक की गई है, बड़ी दुकानें बंद हैं फिर भी अनाज की व्यवस्था की गई है। जब सरकार की तरफ से व्यवस्था अनाज की की जाने लगी तो लोग खानगी तौरसे करने लगे और कहने लगे कि समझौता हो रहा है। ८ तारीख को जिसके दूसरे दिन मैं आपके यहां से गैर हाजिर रहा था, मैंने आपको अर्ज किया था कि दो और दिन की छुट्टी भी मांगी थी; उस रोज मुझे यह कहा गया था कि ९ तारीख से हड़ताल खुल जायगी। उनसे यह कहा गया था कि हड़ताल खुलने के बाद आप सुझाव दें और जो सुझाव आप देंगे उन पर गवर्नमेंट गंभीरता से विचार करने को तैयार है और इसके लिये पहले भी तैयार थी। उस दिन हड़ताल खुलने वाली थी; लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ जो नहीं खुली। मैं तो दो दिन के लिये बाहर गया था। ऐसा मालूम होता है कि अंदर ही अंदर कुछ कारण बन रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ कारण हैं और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट (vested interest)

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)]

कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अब हड़ताल धीरे धीरे खतम हो रही है। आज या कल हड़ताल खत्म हो जायगी। लेकिन कुछ लोग इसे लंबा चलाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ लोग बाहर से भी आये हैं। कुछ गडबडी की वजह से सरकारी चीजों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली के १६ हुंडे तोड दिये गये हैं। जो अच्छे अच्छे हुंडे थे, उनको रिप्लेस करना नामुमकिन होगा। कुछ मुड्ढे जला दिये गये है। पुलिस पर पत्थर फेंके गये हैं और सच्ची बात तो यह है कि हमारे खिलाफ कभी कभी विरोधी पक्षवाले भी कहते हैं, परन्तु पुलिस ने जो रेस्ट्रेन (संयम) रखी उसकी वे भी तारीफ करते हैं। पुलिस पर पत्थर फेंके गये, पर उन्होंने जानबूझ कर संयम रक्खा। लोगों ने अफवाहें फैलाई कि कई बार लाठो चार्ज किया गया, पर उससे कोई मरा नहीं। पुलिस ने जो संयम रखा है, मैं उसकी प्रसंशा करूंगा (करतल ध्वनि) यह तारीफ की बात है कि उसने ऐसी परीस्थिति में भी संयम से काम लिया।

पब्लिक के लोगों ने पत्थर फेंके हों ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हो सकता है कि पब्लिक के दो-चार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पब्लिक के नाम पर हुल्लड़ करके पब्लिक का रोष बढ़ा देते हैं। हमारे विरोधी-पक्ष में भी दो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पब्लिक के नाम पर विरोध करते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—यह आपके ही सिखाये हुए हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—हम तो बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं, जिन पर हम अमल करते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ये भी हमारी तरह हो जावें, जागीरें छोड दें। हम चाहते हैं कि ये भी अब पब्लिक के साथ चलें और पब्लिक मैन (public man) बन जाएं। मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र महार और श्री भैरूंसिंहजी इसको स्वीकार करेंगे।

रावत श्री भैरूंसिंह—मैं पहले ही उसे स्वीकार कर चुका हूं, जागीर छोड़ने के लिये मैं पहले ही तैयार हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—एक गलत फहमी जो फल रही है उस के बारे में मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। दो रोज पहले जब मैं बोडर पर जा रहा था तो मैने एरोड्रोम पर हवाई जहाज में चढ़ते हुए स्टेटमेंट (समाचार-पत्र) में पढ़ा था कि सरकार ने ऑक्ट्रोय ड्यूटी को विथड्रा करना स्वीकार कर लिया है। मैं यह कहूंगा कि यह एक गलत फहमी थी। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि जो बातें मैंने सदन में कही थीं वही बातें उन लोगों से कहीं जो कि मिलने के लिये आए थे। मुझ से मिलने वालों में व्यापारी वर्ग का शिष्टमंडल, कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग जो व्यापारी वर्ग के नहीं थे, यानी मेरे पास तीन प्रकार के लोग आये थे। उन्होंने मुझसे बात-चीत की और मैंने उन से वही बातें कहीं जो मैंने पहले सदन में कही थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे नहीं चाहते कि हड़ताल जारी रहे। लेकिन वे अपनी कुछ मांगें रखना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी मांगें सरकार के सामने रखें और सरकार उनकी वाजिब मांगों पर विचार करेगी। मैं यह आपको

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

साफ बता देना चाहता हूं कि मैंने जो बातें सदन में कहीं वही बातें उनको भी कहीं। सदन में कही हुई मेरी बातें और उन लोगों को कही हुई बातों में कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दुकानें खुलवा देंगे, लेकिन उसके बाद कई कारणों से वे दुकानें नहीं खुलवा सके। लेकिन इसके साथ-साथ मुझ खुशी इस बात से हुई कि उन लोगों में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति सेठ घीयाजी भी थे जिन्होंने अनशन कर रखा था। उनको कुछ लोगों ने गलत बातें कह दी थीं और गलतफहमी के कारण ही उन्होंने अनशन करना शुरू किया था। जब उनको समझाया गया तो उनको असलियत मालूम हो गई और उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने और दूसरे सारे व्योपारी वर्ग और दूसरे जो व्योपारी वर्ग के व्यक्ति नहीं थे सबने यह निश्चय कर लिया कि दुकानें खुलवाई जावें। मगर जब वे दुकानें खुलवाने के लिये गये तो ५-२५ आदमी हुल्लड़बाज इकट्ठे होकर आए और लोगों से कहा कि अभी कुछ और होना बाकी है; इसलिये दुकानें नहीं खोली जाएं और दुकानदार उनके बहकावे में आ गये।

जहां तक हड़ताल का संबंध है मैं यही कहूंगा कि यह हड़ताल जो इतनी लंबी हुई वह सोशिअल थ्रेट्स से हुई; लोगों की मरजी से यह इतनी लंबी नहीं हुई। लोग चाहते थे कि हड़ताल खोल दी जावे मगर थ्रेट्स की वजह से नहीं खोल सकते थे। फिर भी आप जानते हैं कि जहां छोटी-छोटी हड़तालों में भी लाठी-चार्ज, गोली-कांड आदि हो जाते हैं वे यहां पर नहीं हुए, हालां कि हड़ताल बहुत लंबी हुई। अभी श्री अवनिकुमारजी ने, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में जो लोग गिरफ्तार किये गये उनकी तरफ से जो रिट हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई उसके बारे में कहा। मगर रिट के मंजूर हो जाने के माने यह नहीं होते कि जो फैक्टस मैंने आपके सामने रखे वे ठीक नहीं थे, जो रिट मंजूर हो गई उसका कारण यह था कि जिस फॉर्म में रिट एप्लिकेशन होनी चाहिये थी वैसी नहीं थी। "tranquility" शब्द होना नहीं चाहिये था और एक महीने की बात जो उसमें थी वह ठीक नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर के फॉर्म (स्वरूप) में गलती थी इसका मतलब यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैंने जो बयान पहले दिया था वह ठीक नहीं था। जो स्थिति है वह आपके सामने बिलकुल साफ है।

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**--जो स्थिति है वह हमारे सामने बिल्कुल साफ है।

श्री **जयनारायण व्यास**--और वह और भी ठीक हो जावेगी।

श्री **जसवन्तसिंह**--रिट मंजूर हुई उसमें किसकी गलती थी।

श्री **जयनारायण व्यास**--यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गलती से हुई।

श्री **जसवन्तसिंह**--क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ऐसी गलती करता है?

श्री **जयनारायण व्यास**--काम का प्रेशर ज्यादा होने से इस प्रकार के फॉर्म में गलती रह जाने की संभावना हो सकती है। हम उनको बार बार टेलिफोन करते थे क्योंकि हमको भी हाउस में आप लोगों को जबाब देना पड़ता था। फॉर्म में गलती का होना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। मैं भी गलती कर सकता हूं और मेरे साथी श्री जसवंतसिंहजी भी गलती कर सकते हैं।

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

"To err is human" (गलती मानव से होती है) कई बिल भी जरासी गलती रह जाने से इन्वेलिड हो जाते हैं और हुए हैं, इस बात को आप भली भांति जानते हैं।

अब मैं आपको लेटेस्ट पोजिशन (latest position) जो है वह बताना चाहता हूं। १४ व्यक्तियों को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से २ व्यक्ति तो पेरोल पर पहले ही छूटे हुए थे और अब वे छूट गये हैं। इसके अलावा २३८ व्यक्ति दूसरे कानून कायदों के दायरे में गिरफ्तार किये गये जिनके खिलाफ अलग कार्यवाही की जावेगी। उनमें से १७० व्यक्ति तो जमानत पर छोड़ दिये गये थे, २५ व्यक्ति माफी मांगने पर छोड़ दिये गये और ४३ व्यक्ति जुडिशियल लोकअप में हैं। यह उनकी स्थिति है जो आपके सामने साफ है। जौहरी बाजार में कुछ एन्टी सोशियल एलिमेंट (anti-social element) जोर लगा रहे हैं और ज्यादती करते हैं। हम उन लोगों की ज्यादती बरदाश्त करते रहे हैं और वे अपनी ज्यादतियें करते रहे हैं और यदि वे ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें उनके साथ ज्यादती भी करनी पड़ेगी। ज्यादती इसलिये कि उनकी ज्यादती को हमें रोकना है, ज्यादती इसलिए नहीं कि किसी से बदला लेने की हमारी भावना हो।

लोग समझौते की बातचीत कर रहे थे और हमने सोचा कि समझौते की बातचीत लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी बातों को मानों, हम हड़ताल तोड़ देंगे। हमने इसलिये अपने हाथ नरम रखे। पुलिस को हमने स्ट्रिक्ट आदेश दे रखे थे कि वे शांत रहें, यदि कोई एक दो मुर्दे कहीं पर जलादें तो भी वे शांत रहें। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हम सत्याग्रह करते थे उसी प्रकार पुलिस ने भी शांत सत्याग्रह का वातावरण कर दिया था। मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने सोचा था कि एन्टी सोशियल एलिमेंट अपना काम बन्द कर देंगे।

अब दो शब्द में अपनी गैरहाजरी के बारे में भी कहकर स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। कहा जा सकता है कि सैशन के समय और हड़ताल के समय मैंने अपनी जिम्मेवारी महसूस नहीं की। प्रश्न हो सकता है कि जब हड़ताल यहां पर चल रही थी तो उस समय यहां रहना बहुत जरूरी था, ऐसे मौके पर बाहर जाना क्यों जरूरी था। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि एक कान्फ्रेन्स बहुत पहले से तय हो रक्खी थी। पार्टी कान्फ्रेन्स नहीं, जैसा कि मेरे मित्र श्री भैरूंसिंहजी कान्फ्रेन्स से अनुमान करेंगे। इसलिये जनरल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए मुझे बोर्डर पर जाना बहुत जरूरी था। मैं श्री सुखाड़िया को अपना काम सौंप कर चला गया। इसमें पुलिस के आई. जी. पी. को भी मैं अपने साथ ले गया था।

पहले जब मैं जैसलमेर गया था उस समय कुछ लोगों ने स्मगिलंग के बारे में मुझे शिकायत की थी। बोर्डर एरिया ७०० मील लंबा एरिया है और इतने बड़े एरिया में इस प्रकार का स्मगिलंग होना संभव है। इसको रोकने के लिये हमें सख्त कदम उठाने कि जरूरत थी। क्योंकि इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। हम गये और हमने वहां की बहुत सी जगहों कि हालत देखी। उसके बारे में मैं आपको अगले बजट सैशन में अपना स्टेटमेंट दूंगा। हमने कच्छ के सुपरिन्टेन्डेन्ट को भी बुलाया क्योंकि कच्छ का एरिया भी बोर्डर से मिलता-जुलता है। यह कान्फ्रेन्स का प्रोग्राम बहुत पहले से तय हो चुका था इसलिये

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

हमारे यहां के रहने वाले जो पाकिस्तान जा चुके थे उन्होंने जब इस बात को सुना तो वे भी वहां पर आ पहुंचे और जो १४ भाई पाकिस्तान की तरफ चले गये थे उन्होंने भी अपने आपको सरेन्डर कर दिया। उनको भी मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास छोड़ा है। जो कानून कायदे होंगे उनके अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। सजा मिलनी होगी मिलेगी, छूट सकते हैं तो छूट जावेंगे; जैसा कानून में है वैसा होगा। मुझे उन लोगों के पूरे नाम भी मालूम नहीं हैं। लेकिन एक का नाम अवश्य जानता हूं, उसका नाम बलवन्तसिंह है जो काफी जवान आदमी था। ये लोग २५-२५ साल के तगड़े जवान थे। उन्होंने कुछ आर्म्स भी मेजिस्ट्रेट के सामने सरेन्डर किये। यह काम देश के हित के लिये बहुत जरूरी था और ऐसा नहीं होने के कारण नेशन को बहुत लोस होता था। इसलिये इस लोस को रोकने को प्रबन्ध करने के लिये गया था। अतः मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे यह आशा नहीं थी कि हड़ताल का मामला लंबा चलेगा।

इससे ज्यादा इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दुकानें बन्द हैं जल्दी ही खुल जावेंगी और मैं सदन के सदस्यों से और खास तौर से विरोधी पक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि कोई भी इस हड़ताल से राजनैतिक फायदा नहीं उठावें। जब व्यापारी खुद कहते हैं कि हम हड़ताल नहीं रखना चाहते, उनके नेता कहते हैं कि वे हड़ताल नहीं रखना चाहते, वे अपीलें निकालते हैं कि दुकानें खोल दी जाएं तो इसके बाद भी अगर कोई गैर-जिम्मेदार लोग हड़ताल को जारी रखने के लिये थ्रेट (threat) देकर कोशिश करें या हुल्लड़ करें तो हमें उन हुल्लड़बाजों को रोकने के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा और आशा है कि उनको रोकने में आप भी हमारी मदद करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस गड़बड़ी को शांत करने के लिये हमको यदि किसी प्रकार का सख्त कदम भी उठाना पड़े तो उसको भी आप बर्दाश्त करेंगे। यही दो-चार शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह——हम कुछ बातों का स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री गोपीलाल यादव——हाउस के नेता के भाषण पर आप एक घंटे का डिस्कशन एलॉउ कर दें तो अच्छा हो।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)——स्टेटमेन्ट पर डिस्कशन नहीं होता।

श्री भैरूंसिंह (डि० नं० १६)——आनरेरी ड्यूटी पर यदि स्पष्टीकरण होजाय तो अच्छा हो।

(श्री अवनिकुमार मुकर्जी बोलने के लिये खड़े हुए)

कुं० श्री जसवन्तसिंह——दो-चार बातों में जो गलतफहमी है उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

जहां तक विरोधी दल से सहयोग की अपील का सवाल है............

श्री अध्यक्ष——विरोधी पक्ष के या से ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक ही माने हैं ।

मैं आश्वासन देना चाहता हूं और शायद मुझे आशा है कि विरोधी पक्ष की ओर से एक भी सदस्य को आपने ऐसा नहीं पाया होगा जिन्होंने गवर्नमेन्ट की तरफ सहानुभूति न रखी हो और हुल्लड़-बाजों की मदद की हो ।

(करतल ध्वनि)

हमने खुद जयपुर में ही नहीं राजस्थान भर में विरोधी पक्ष द्वारा यह सिद्धान्त कर दिया है कि अच्छे कामों में और लॉ एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने में हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहेंगे ।

(करतल ध्वनि)

हमें इस बात पर जरूर ऐतराज हुआ है कि १३ दिन तक गवर्नमेन्ट ने यह गांधियन पोलिसी काम में क्यों ली ? सरकार ने सत्याग्रह पुलिस को सिखाया, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा है; यह बात गवर्नमेन्ट की प्रेस्टिज को कायम नहीं रखती है । यह बात हुल्लड़बाजी को दबाने में मदद नहीं देगी । पुलिस को सत्याग्रह नहीं करना चाहिये । हमें बड़ा दुःख होता है कि किस तरह से पुलिस को पीटा जा रहा है, हमने आंखों से इस बात को देखा है । हम इस बारे में चुप रहे । हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई स्टाफ पिटे, अपमानित किया जाय । पुलिस के साथ ज्यादती हुई, भले आदमियों के साथ ज्यादती हुई, उन अनसोशियल एलिमेन्ट्स (unsocial elements) द्वारा । यह शोभाजनक नहीं है और न ही सराहनीय है ।

श्री जयनारायण व्यास—वे दूसरों को बीच में ले आते थे ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब भी शान्ति नहीं हो रही है । हम पूछना चाहते हैं कि कृपा करके आप इसको साफ करिएगा ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह भी सुनने में आया है और खास तौर पर अनसोशियल एलीमेन्ट्स द्वारा यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेन्ट ने यह अन्डरस्टेन्डिंग हड़ताल बन्द करने के बारे में दी है कि पहले हड़ताल बन्द कर दो, हम ऑक्ट्रोय बन्द कर देंगे । क्या यह आश्वासन दिया गया या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने पहले ही कहा था कि जो आश्वासन सदन में दिया था कि जो वाजिब बातें होंगी उन पर गौर करने के लिये हम तैयार हैं, विद्रोह करने के लिये हम तैयार नहीं हैं, वही बात अब भी है । मैंने आज स्टेट्समेन म जो खबर पढ़ी है, वह गलत है ।

श्री जसवन्तसिंह—अगर हड़ताल बन्द कर दी जायगी तो क्या ऑक्ट्रोय बन्द नहीं की जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं, ऑक्ट्रोय बन्द नहीं की जायगी, सुधारों पर गौर किया जायगा ।

श्री भैरूंसिंह (डि०नं० १६)—क्या एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए सुझाव दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो एक्सपर्ट मेम्बर साहब ही बता दें तो अच्छा हो ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं और वह यह है कि क्या २० तारीख को म्युनिसिपैलिटी की मयाद खत्म होने वाली थी ?

श्री जयनारायण व्यास—म्युनिसिपैलिटी तो टूट चुकी है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो मैंने देख लिया है । यह बात ऐसी बन गई है जो कि गवर्नमेन्ट द्वारा की गई है । जब म्युनिसिपैलिटी की मयाद ही समाप्त हो रही थी तो उसे पहले क्यों तोड़ दिया गया ? क्या जल्दी ही चुनाव करा दिए जावेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—अवश्य जल्दी चुनाव हो जावेगा । निर्वाचन सूचियां जो हैं उनको तैयार करने के लिए हम उस म्युनिसिपल कौंसिल को मियाद देते रहे थे और इस मियाद के अन्दर वही इन्हें पूरी नहीं कर पाये थे । इसलिए वे लिस्टें अब सरकार तैयार करावेगी ; पर जिस तरह इन्हें तैयार कराने में म्युनिसिपैलिटी ने देरी की है वैसी अनावश्यक देरी तो हम नहीं करने वाले हैं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या हम ऐसी आशा करें कि यह काम शीघ्रातिशीघ्र किया जावेगा; पर इस "शीघ्रातिशीघ्र "की डेफिनिशन क्या होगी ? यानी दो महीना, चार महीना ?

श्री जयनारायण व्यास—कितना काम उन्होंने किया है और कितना डिले (delay) कर रखा है, इन सारी बातों की जांच न कर लें तब तक कोई डेफिनिट पीरियड कैसे बतला सकते हैं, पर अगर शुरू से भी बनानी पड़ी तो भी जल्दी से जल्दी करेंगे ।

श्री कानसिंह—मैं चूंकि चीफ मिनिस्टर महोदय बहुत आफत में हैं, इसलिए उन्हें इस संकट से निकालने के लिए आपका ध्यान रूल ६८ की तरफ आकर्षित करता हूं।

श्री जयनारायण व्यास—संकट जैसी कोई बात नहीं है।

श्री कानसिंह (जारी)—यह जो भाषण चीफ मिनिस्टर महोदय ने इस सदन के सामने दिया उसमें बहुत सी खामियां है, बहुत सी बातें जिक्र करने से उसमें रह गई हैं, जिन पर, मैं समझता हूं, स्पष्टीकरण आइन्दा करेंगे, पर इस बार इस रूल की तहत में इस भाषण में जिरह या बहस नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—Order ! order !!

(विराम)

He has invited my attention to Rule 68 which says that a statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made. It was simply a concession that I granted.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—तो एक मिनिट का कन्सेशन और दे दीजिये साहब

श्री अध्यक्ष—The Leader of the House only is entitled to a concession.

[श्री अध्यक्ष]

राजस्थान मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६५३

I now announce the personnel of the Select Committee on the Rajasthan Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill :—

1. The Minister-in-charge
2. Shri Kastur Chand.
3. Shri Deen Bandhu.
4. Shri Lakshman.
5. Shri Lalu Ram
6. Shri Durlabh Singh.
7. Shri Abani Kumar Mookerji.
8. Shri Jawan Singh.
9. Shri Jayendra Singh.
10. Shri Kan Singh.
11. Shri Shah Alimuddin.
12. Shri Gopilal Yadav
13. Shri Tejmal Bapana.
14. Rawal Shri Sangram Singh.
15. The Advocate General.

(विराम)

We now adjourn *sine die.*

(१२ बज कर ३८ मिनिट पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
११ सितम्बर १६५३।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।